दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना

(1 अप्रैल, 2022 से संशोधित दिशा–निर्देश)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना

(01.04.2022 से यथा संशोधित)

तालिका

भाग – क योजना

पैरा सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	
2.	संशोधन की आवश्यकता	
3.	संशोधित योजना	
3.1	उद्देश्य	
3.2	दृष्टिकोण और कार्यनीति	
3.3	मॉडल परियोजनाएं	
3.4	कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेसियों की पात्रता की शर्तें	
3.5	वित्तीय सहायता के मानदंड	
3.6	आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया	
3.7	कार्यक्रम प्रबंधन	
3.8	डीडीआरएस के अंतर्गत सहायता हेतु अन्य शर्तें	
3.9	निरीक्षण और मानीटरिंग	
3.10	उपयोग प्रमाण पत्र	
3.11	मानदंडों में छूट देने की शक्ति	

भाग – ख माडल परियोजनाओं का वर्णन

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	पृष्ठ सं.
1	गृह आधारित पुनर्वास एवं समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ क्रॉस–डिसेबिलिटी प्री–स्कूल एवं प्रारंभिक उपचार (अर्ली इंटरवेंशन) और प्रशिक्षण की परियोजना	
2	गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ श्रवण दिव्यांगजन बच्चों के लिए विशेष स्कूल	
3	गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास एवं निम्न दृष्टि (लो विजन सेंटर) परियोजना के विकल्प के साथ दृष्टि दिव्यांगजन बच्चों के लिए विशेष स्कूल	
4	गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ अन्य दिव्यांगताओं बच्चों (बौद्धिक दिव्यांगता, प्रमस्तिष्क घात, आटिस्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बहु दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बधिर–दृष्टिहीन आदि) से ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल	
5	गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के प्रावधान के साथ कुष्ठरोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास	
6	गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के प्रावधान के साथ उपचारित एवं नियंत्रित मानसिक रूग्णता ग्रस्त व्यक्तियों के मनो–सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ वे होम परियोजना	
7	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक / उपचार केंद्र परियोजना	
8	क्रॉस–डिसेबिलिटी थेरेपी और काउंसलिंग केंद्र परियोजना	

अनुबंध

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
I.	उपयोग प्रमाण पत्र (जीएफआर–12ए)	
II.	नियुक्त कर्मचारियों का विवरण	

III.	लाभार्थियों की सूची	
IV.	संगठन के पदाधिकारियों/प्रबंधन समिति का विवरण	
V.	नई परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं के लिए बजट प्राक्कलन/मानकीकृत गणना पत्र	
VI.	वर्ष के दौरान व्यय का मदवार/पदवार ब्यौरा प्रपत्र	
VII.	गारंटी संस्थानों द्वारा अनुरक्षित सरकारी अनुदानों में से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अधिग्रहित परिसंपत्तियां	
VIII.	संकल्प	
IX.	बांड	
X.	सहायता अनुदान/निधियों को सीधे संगठन के बैंक खाते में भेजने के लिए प्राधिकार पत्र	
XI.	मंजूरी के निबंधन और शर्तों की स्वीकृति	
XII.	स्टॉफ की प्रत्येक श्रेणी के लिए अर्हता और मानदेय के लिए लागत सीमाएं का विवरण	
XIII.	मानदेय के अलावा व्यय की आवर्ती मदों के लिए लागत सीमा	
XIV.	गैर–आवर्ती मदों की लागत सीमा	
XV.	अर्धवार्षिक वास्तविक प्रगति रिपोर्ट	
XVI	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 के अंतर्गत दिव्यांगताओं की सूची	
XVII	देश के सीमावर्ती जिलों की सूची	

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना

भाग कः–योजना

1. प्रस्तावना

1.1 जनगणना, 2011 के अनुसार, भारत में लगभग **2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 के अस्तित्व में आने से पहले से पहचानी गई 7 दिव्यांगताओं की सूची में 14 और दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। इस प्रकार, अब 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की पहचान की गई है।**

1.2 भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं गरिमा को सुनिश्चित करना है, जिससे सभी व्यक्तियों, विशेषतः लाभ वंचित व्यक्तियों के लिए एक समावेशी समाज की स्थापना करना अभिप्रेत है। भाग IV के अनुच्छेद 41 में (''राज्य के नीति निदेशक तत्व'') जो विशेष रूप से दिव्यांगजनों से संबंधित हैं, निम्नानुसार बताया गया है :

'' 41. कतिपय मामलों में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार–राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की परिसीमाओं के भीतर कार्य, शिक्षा एवं बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रूग्णता और दिव्यांगता के मामलों और अल्पसेवित आवश्यकता के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित बनाने के लिए प्रभावी प्रावधान बनाएगा।''

1.3 इसके अतिरक्त, सरकार ने दिव्यांगजनो ंके कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण के लिए कानूनों को अधिनियमित किया है, नीतियां आदि तैयार की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैंः–

i. **''दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995''** अधिनियमित करना (इसमें इसके पश्चात दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम), जिसने दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, भेदभाव रहित, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है (इसके कारण निरस्त)।
ii. दिव्यांगजनों के शारीरिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास से संबंधित विभिन्न मामलों के निपटान के लिए फरवरी, 2006 में **दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति** का अंगीकरण।
iii. दिव्यांगजन अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) का अनुसमर्थन, जो 03 मई, 2008 से प्रभावी हुआ।

1.4 वर्ष 1999, में दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 की धारा 66 के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए, दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए तत्कालीन चार योजनाओं को मिलाकर' ''दिव्यांगजनों हेतु स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एकल अंब्रैला (समग्र) योजना के रूप में मिला दिया गया। सम्मलित योजना, दिनांक 01.04.2003 से संशोधित की गई तथा इसे ''दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)'' के रूप में पुनर्नामित किया गया। लागत मानदंडों को अंतिम बार दिनांक 01.04.2018 से संशोधित किया गया था।

1.5 यूएनसीआरपीडी का हस्ताक्षरकर्त्ता होने के परिणाम स्वरूप दिनांक 28.12.2016 को उक्त सम्मेलन के अनुरूप सरकार ने **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016** को अधिनियमित किया है और इस कारण से पूर्व निःशक्तजन अधिनियम, 1995 निरस्त हो गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 दिनांक 19.04.2017 से प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, खेल–कूद एवं मनोरंजन पर बल दिया गया है। इस अधिनियम की **धारा 27** में दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में सेवाएं एवं पुनर्वास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकार को अधिदेश प्रदान किया गया है। यह ऐसी गतिविधियों का आयोजन करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी सरकार को अधिदेश प्रदान करता है । इस अधिनियम में दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत संस्थाओं का पंजीकरण करने का भी प्रावधान है अधिनियम की **धारा 55** में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमो के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार की आर्थिक क्षमता एवं विकास की परिसीमाओं के भीतर ऐसे पंजीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अधिदेश प्रदान किया गया है।

1.6 डीडीआरएस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार गैर–सरकारी संगठनों को स्कूली शिक्षा, समुदाय आधारित पुनर्वास, गृह आधारित पुनर्वास, हाफ वे होम आदि के मामले में बच्चों/दिव्यांगजनों को व्यापक स्तर की सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करती रही है।

1.7 **एक उप–योजना के भाग के रूप में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी)** को स्थापित किया गया है और अंब्रेला डीडीआरएस योजना के तहत यह वित्तपोषित है जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों का समर्थन करने के लिए स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों सहित केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित राज्य सरकारों और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं। डीडीआरसी, जिन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के तहत वित्त पोषित किया जा रहा था, को डीडीआरएस की योजना के तहत वित्त पोषित किया जाएगा।

1.8 पुनर्वास एक विशेषीकृत व्यावसाय है। संसद के 1992 अधिनियम के अंतर्गत स्थापित भारतीय पुनर्वास परिषद पुनर्वास से संबंधित व्यावसायिकों एवं कार्मिको के प्रशिक्षण को विनियमित एवं इसकी मानीटरिंग करता है तथा पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढावा देता है।

1.9 विभाग की '' सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप)'' नामक एक अन्य केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदान किये जाते है।''

2. संशोधन की आवश्यकता

2.1 डीडीआरएस में संशोधन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हो गया है:–

i. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत पहचानी गई नई दिव्यांगताओं के अनुरूप नई परियोजनाओं को जोड़ने और मौजूदा परियोजनाओं में संशोधन करने के लिए।

ii. बेहतर मॉनिटरिंग के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन निधियों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए ही किया जा रहा है जिनके लिए निधियां जारी की गई थीं।

iii. समुदाय और गृह आधारित पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए

iv. विशेष स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण घटक को शामिल करने के लिए।

3. संशोधित योजना

संशोधित योजना का आरंभः

उपरोक्त वर्णित कारणों के अनुसार, योजना में संशोधन किया गया है तथा यह 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगी। संशोधित योजना के प्रावधान नीचे दिए गए अनुसार हैंः–

3.1 उद्देश्य

योजना के उद्देश्य हैः–

3.1.1 दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार करना।

3.1.2 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।

3.2 दृष्टिकोण तथा कार्यनीति

3.2.1 इस योजना का दृष्टिकोण प्रारंभिक उपाय, रोजमर्रा के आजीविका कौशल विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सहित दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने एवं उनकी क्षमताओं को वास्तविक रूप देने के विचार सेए शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमो पर बल दिया जाएंगा।

3.2.2 योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य कार्यनीतियां निम्न प्रकार होगीः–

i. शिक्षा के अवसरों को सभी स्तरों पर एवं सभी रूप में बढ़ाना तथा व्यावसायिक एवं पेशेवर अवसरों, आय अर्जन एवं लाभकारी व्यावसायों के कार्य क्षेत्रों को व्यापक विस्तार करना।

ii. सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।

iii. सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।

iv. शहरी एवं ग्रामीण वातावरण में आउटरीच एवं व्यापक समुदाय आधारित पुनर्वास और गृह आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।

v. दिव्यांगजनों के लिए सभी कार्यक्रमों/परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कार्मिको को प्रशिक्षित करने के लिए जन शक्ति विकास गतिविधियों के लिए सहायता करना।

vi. समन्वय, सहयोग और नेटवर्किंग एवं बहु–क्षेत्रीय संबंधों (लिंकेज) को प्रोत्साहित करना।

vii. पर्यावरण अनुकूल एवं पारिस्थितिकी (ईको) को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं में दिव्यांगजनों का सहायता करना।

viii. मनोरंजन, अवकाश समय की गतिविधियां, भ्रमण, रचनात्मक एवं प्रदर्शन कला, सांस्कृतिक एवं साामाजिक रूप से समावेशी गतिविधियों आदि के लिए सुविधाएं स्थापित करना एवं उनके लिए सहायता करना।

ix. उपयुक्त आवास, घर एवं छात्रावास सुविधाओं की उपलब्धता को सुगम बनाना और इसमें सहायता करना।

x. ऐसे अन्य उपायों का समर्थन करना, जो दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके तथा कानून के अंतर्गत यथा निर्धारित दायित्वों की पूर्ति करें।

3.3 मॉडल परियोजनाएं

3.3.1 योजना के अंतर्गत वित्त पोषित की जाने वाली मॉडल परियोजनाएं निम्नलिखित हैंः–

i. गृह आधारित पुनर्वास एवं समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ क्रास–डिसेबिलिटी प्री–स्कूल एवं प्रारंभिक उपाय और प्रशिक्षण की परियोजना

ii. गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ श्रवण दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल

iii. गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास एवं लो विजन सेंटर परियोजना के विकल्प के साथ दृष्टि दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल

iv. गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ अन्य दिव्यांगताओं वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल (बौद्धिक दिव्यांगता, प्रमस्तिष्क घात, आटिस्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर, बहु दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बधिर–दृष्टिहीनता आदि)

v. गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के प्रावधान के साथ कुष्ठरोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास

vi. गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के प्रावधान के साथ उपचारित एवं नियंत्रित मानसिक रूग्णता ग्रसित व्यक्तियों के मनो–सामाजिक पुनर्वास के लिए, हाफ वे होम परियोजना

vii. समावेशी शिक्षा परियोजना को जारी रखने के लिए विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक / उपचार केंद्र (हाल ही में शुरू की गई मॉडल परियोजना)

viii. क्रॉस–डिसेबिलिटी थेरेपी और परामर्श केंद्र परियोजना

3.3.2 इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मॉडल परियोजनाओं के निधियन को बंद कर दिया जाएगा अथवा अन्य मौजूदा परियोजनाओं के साथ विलय कर दिया जाएगाः–

3.3.2.1 **विलय कर दिया गया**

I. समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम (डीडीआरएस की सभी मॉडल परियोजनाओं के साथ विलय कर दिया गया) (VII और VIII के अलावा)

II. गृह आधारित पुनर्वास/ गृह प्रबंधन प्रणाली (डीडीआरएस की सभी मॉडल परियोजनाओं के साथ विलय कर दिया गया) (VII और VIII के अलावा)

III. कम दृष्टि केंद्र (दृष्टि दिव्यांगता के लिए विशेष स्कूल के साथ विलय कर दिया गया)

IV. प्रमस्तिष्क घात बच्चों के लिए परियोजना (आई, एमडी आदि के लिए विशेष स्कूल के साथ विलय कर दिया गया)

3.3.2.2 **बंद कर दिया गया –**

I. मानव संसाधन विकास (बंद कर दिया गया)

3.3.3 कुछ परियोजनाएं (पैरा 3.3.1 एवं 3.3.2 में वर्णित के अतिरिक्त) हैं जिन्हें इस विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा हैं। तथापि उनके लिए सहायता जारी रहेगी बशर्ते कि उनका प्रदर्शन संतोषजनक हो। ऐसी जो परियोजनाएं चल रही हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी और यदि संभव हो तो उन्हें डीडीआरएस की अन्य मॉडल परियोजनाओं या विभाग की अन्य योजनाओं के साथ विलय का प्रयास किया जाएगा।

3.3.4 3.31 में वर्णित मॉडल परियोजना के विस्तृत निबंधन तथा शर्तों का दिशानिर्देशों के भाग–ख में उल्लेख किया गया है।

3.3.5 विशेष स्कूलों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) घटक भी प्रदान किया जाता है जिसके लिए संबंधित परियोजनाओं में लागत मानदंडों का उल्लेख किया गया है।

3.4 कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों की पात्रता की शर्तें

3.4.1 डीडीआरएस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु संगठनों की निम्नलिखित श्रेणियां पात्र होंगीः–

i. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी अन्य संगत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संगठन; अथवा,

ii. भारतीय न्यास अधिनियम 1882 अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य समान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न्यास; अथवा,

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 अथवा वर्तमान समय में लागू किसी अन्य संगत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नोट–फॉर–प्रोफिट कंपनी।

iv. संगठन का पंजीकरण आवेदन की अवधि के लिए मान्य होना चाहिए।

टिप्पणी: योजना का कार्यान्वयन करने वाले सभी संगठनों को अब से कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियां (पीआईए) कहा जाएगा।

3.4.2 इसके आगे, **3.4.1** मे उल्लेख किए गए अनुसार यह पंजीकरण इस योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन करते समय कम से कम 2 वर्ष के लिए प्रभावी होना चाहिए।

3.4.3 योजना के अंतर्गत अनुदान की मांग करने वाले पीआईए को स्वयं को नीति आयोग पोर्टल (पीआईए – एनजीओ दर्पण) में पंजीकृत करना तथा ई–अनुदान पोर्टल में योजना के अंतर्गत आवेदन करने से पूर्व पीआईए एनजीओ दर्पण की विशिष्ट पहचान–संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है।

3.4.4 सहायता अनुदान की मांग करने वाले प्रत्येक संगठन को पुराने निःशक्तजन अधिनियम, 1995 अथवा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

3.4.5 पैरा 3.4.1 (i) से (iii) में निर्दिष्ट संगठन में निम्न विशेषताएं होनी चाहिएः–

i. इसका एक प्रबंधन निकाय होना चाहिए जिसमें इसकी शक्तियों, कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से संगम ज्ञापन (संस्था के बहिर्नियम) में परिभाषित एवं विहित किया गया हो।

ii. इसके पास कार्यक्रम को संचालित करने के लिए संसाधन, सुविधाएं एवं अनुभव होना चाहिए।

iii. यह किसी व्यक्ति अथवा निकाय के लाभ के लिए नहीं चलाई जा रही हो।

iv. इसके पास एक **स्थानीय परियोजना समिति** होनी चाहिए, जिसमें लाभार्थियों के माता–पिताओं में से दो (हर साल बारी–बारी से), स्टाफ सदस्य में से एक (हर साल बारी–बारी से) और उस स्थान के दो प्रख्यात नागरिक (प्रति दो वर्ष में बदलना चाहिए) जहां इस परियोजना को लागू किया जा रहा है, को शामिल करते हुए कम से कम **5** सदस्य होंगें। सभी सदस्य किसी एक सदस्य को समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित करेंगें। सदस्यों में से महिलाओं की संख्या कम से कम **50** प्रतिशत होनी चाहिए। प्रति वित्त वर्ष में स्थानीय परियोजना समिति को कम से कम एक बार बैठक का आयोजन करना होगा और इस विभाग को वार्षिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

नोट: पैरा 3.4.1 एवं 3.4.2 में यथा उल्लिखित क्रमशः संगठन की श्रेणी और अस्तित्व की अवधि से संबंधित शतों तथा वित्तीय सलाहकार के साथ परामर्श करके सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विशेष मामलों में छूट प्रदान की जा सकती है, जिसके कारणों को लिखित रूप से रिकार्ड किया जाएगा।

3.5 वित्तीय सहायता के मानक

3.5.1 कार्यान्वयन एजेंसियो को अनुदान सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी की जायेगी।

3.5.2 (क) पात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियां (एनजीओ), सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी परियोजना के अनुमोदन के पश्चात, इस संशोधित योजना में निर्धारित लागत मानकों के आधार पर परिकलित राशि का 90 प्रतिशत प्राप्त करने के योग्य हैं। परियोजना लागत का शेष **10** प्रतिशत संबंधित पीआईए द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जाएगा।

(ख) **विशिष्ट क्षेत्रों** में स्थित परियोजनाओं के मामले में संशोधित लागत मानकों के आधार पर परिकलित राशि का 100 प्रतिशत राशि अनुमत होगी।

टिप्पणी: उपरोक्त बिंदु (ख) में उल्लिखित विशेष क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:–

i. *आठ* पूर्वोत्तर राज्य,
ii. हिमालयी क्षेत्र के राज्य (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सभी राज्य एवं पश्चिम बंगाल के दो जिले अर्थात दार्जलिंग एवं जलपाईगुडी)।
iii. वाम अतिवाद प्रभावित क्षेत्र (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित), तथा
iv. अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुडे जिले (अनुबंध–XVIII में उल्लिखित अनुसार)।

v. अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह और सुंदरबन।

3.5.3 किसी वित्तीय वर्ष में उसी वर्ष के अनुदान प्रस्ताव के पक्ष में अनुदान निम्न प्रकार से प्रतिपूर्ति आधार पर जारी किया जा सकता है :-

(क) संस्था द्वारा अर्धवार्षिक **लेखा परीक्षित** खातो (ऑडिटेड एकाउंट्स) के प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य अनुदान राशी का **50%** तक जारी किया जा सकता है। शेष अनुदान राशी वार्षिक **लेखा परीक्षित** खातो (ऑडिटेड एकाउंट्स) के प्राप्त होने पर जारी की जायेगी।

अथवा

(ख) संस्था द्वारा नौ-मासिक **लेखा परीक्षित** खातो (ऑडिटेड एकाउंट्स) के प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य अनुदान राशी का **75%** तक जारी किया जा सकता है। शेष अनुदान राशी वार्षिक **लेखा परीक्षित** खातो (ऑडिटेड एकाउंट्स) के प्राप्त होने पर जारी की जायेगी।

अथवा

(ग) संस्था द्वारा पर वार्षिक **लेखा परीक्षित** खातो (ऑडिटेड एकाउंट्स) के प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य अनुदान राशी का **100%** तक अगले वित्तीय वर्ष में जारी किया जा सकता है।

3.5.4 अनुदान की गणना के दो आधार होंगे।

i. परियोजनाएं, जिनमें प्रति लाभार्थी लागत उपलब्ध है।
अनुदान की गणना पीआईए द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, निरीक्षण रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खाता विवरण आदि के आधार पर की जाएगी। हालांकि इस प्रकार की गणना की गई लागत पीबीसी और / या राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी।

ii. परियोजनाएं जिनमें प्रति लाभार्थी लागत उपलब्ध नहीं है।
अनुदान की गणना पीआईए द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, निरीक्षण रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खाता विवरण, और राज्य सरकार की सिफारिश आदि, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी।

3.5.5 **लाभार्थियों की संख्या** : निरीक्षण रिपोर्ट और वैध यूडीआईडी कार्ड/ दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर पात्र लाभार्थियों की संख्या के आधार पर अनुदान सहायता की गणना की जायेगी। इस उद्देश्य के लिए उन लाभार्थियों की गणना की जायेगी जो निरीक्षण की तारीख से पूर्व 30 कार्य दिवसों में से कम से कम 15 दिन संस्थान में उपस्थित थे। निरीक्षण अधिकारी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसे लाभार्थियों की संख्या का निरपवाद रूप से उल्लेख करेगा।

3.5.6 मानदेय के अलावा सहायता अनुदान आवर्ती मदों और सहायता अनुदान की गैर–आवर्ती मदों के लिए मानक क्रमशः अनुबंध XIII एवं XIV पर दर्शाए गए हैं।

3.5.7 सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन को यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसने समान उद्देश्य अथवा गतिविधि के लिए राष्ट्रीय न्यास, एनएचएफडीसी, किसी अन्य मंत्रालय या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग से अनुदान प्राप्त नहीं किया अथवा इसके लिए आवेदन नहीं दिया है।

3.5.8 डीडीआरएस के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले सभी पीआईए को इस योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों के संवितरण के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की व्यय, अग्रिम एवं हस्तातंरण (ईएटी) मॉड्यूल का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना होगा और नियमित रूप से अपडेट करना होगा। ईएटी मॉड्यूल के प्रयोग के बिना कोई अनुदान जारी नहीं की जाएगी।

3.5.9 परियोजना के लिए पूर्ण रूप से सहायता करने का निर्णय मॉडल परियोजना प्रोफाइलों और भाग ख में दर्शाए गए अनुसार आकलित कुल वार्षिक लागत के संदर्भ में होगा। कार्यान्वयन की आवश्यकता और अनुभव के आधार पर विभाग लागत मानकों के आधार पर समय समय पर नई मॉडल परियोजनाएं लाएगा और मौजूदा मॉडल परियोजनाओं में संशोधन करेगा।

3.5.10 ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं जहां पहले से वित्त पोषित संगठन में विविध गतिविधियों को शामिल हो सकती है– जैसे, एक परियोजना जिसमें मूल्यांकन के एक अथवा अधिक घटक, जागरूकता सृजन, प्रारंभिक उपचार, विशेष स्कूल सह वीटीसी शामिल हैं– जो एक से अधिक निदेशात्मक परियोजना प्रोफाइल के तहत आते हैं। लागत मानक ऐसे मौजूदा हाइब्रिड परियोजनाओं में भी विस्तार किए जा सकते हैं और संगठन से ऐसी प्रत्येक गतिविधि के लिए लाभार्थियों, स्टाफ और लागत मदों की पृथक रूप से पहचान करने की उम्मीद की जाएगी।

3.5.11 प्रत्येक संगठन को हर वित्तीय वर्ष में ई–अनुदान पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

3.5.12 प्रति वर्ष आवेदन और विभिन्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का समय

(क). पीआईए के लिए			
क्रम सं.	विषय	दिया गया समय	अंतिम तिथि (प्रति वर्ष)
1.	ई–अनुदान पोर्टल पर वार्षिक रूप से आवेदन जमा करना	2 माह	31 मई
2.	डीडीआरएस परियोजना का लेखा परीक्षा खाता	3 माह	30 जून

3.	डीडीआरएस परियोजना का लेखा परीक्षा खाता	4 माह	31 जुलाई
4.	संसद भवन में सभा पटल पर रखने के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित खाता प्रस्तुत करना (10 प्रतियां अंग्रेजी तथा हिन्दी में)	6 माह	30 सितम्बर
(ख). डीएसडब्ल्यूडीः			
1.	डीएसडब्ल्यूडी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट	60 दिन	31 जुलाई
(ग). राज्य / यूटी सरकार के लिए			
1.	डीईपीडब्ल्यूडी के लिए सिफारिश	60 दिन	30 सितम्बर

3.6.1 आवेदन एवं स्वीकृति हेतु प्रक्रिया

(क) नई परियोजनाओं के लिए, (जिन परियोजनाओं को कोई अनुदान नहीं मिला है)		**(ख) चालू परियोजनाओं के लिए (जिन परियोजनाओं को पिछले वर्षों में अनुदान प्राप्त हुआ है)**	
1. डीडीआरएस के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक संगठन को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल (ई–अनुदान) (www.grants-msje.gov.in) पर नई मामले की श्रेणी के तहत आवेदन करना होगा और केवल ऑनलाइन जमा करना होगा। 2. किसी भी फिजिकल आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। **3. यदि गलत शीर्ष में आवेदन किया गया है (जैसे कि नई परियोजना के बजाय चल रही परियोजना में आवेदन करना), तो प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।**		1. डीडीआरएस के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक संगठन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल (ई–अनुदान) (www.grants-msje.gov.in) पर चालू परियोजना की श्रेणी के तहत आवेदन करेंगे और पूरा प्रस्ताव जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रेषित करेंगे। **2. यदि गलत शीर्ष में आवेदन किया गया है तो प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।**	
4. संगठन ई–अनुदान पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करेगाः	गअए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा न्यास विलेख अथवा निगमन प्रमाणपत्र के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की एक सत्यापित प्रति (जो भी लागू हो) जिसमें आवेदन	**3. संगठन ई–अनुदान पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेज**	i. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा न्यास विलेख अथवा निगमन प्रमाणपत्र के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र के

	की अवधि के लिए वैधता दर्शाई गई है। गअपण निःशक्तजन अधिनियम, 1995 / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण की प्रमाणित प्रति; जिसमें आवेदन की अवधि के लिए वैधता दर्शाई गई है। अपपण संगम ज्ञापन तथा संगठन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को दर्शाने वाले नियमों / विनियमों / उपनियमों की प्रति। पपपण संगठन के पिछले दो वर्षों का लेखा परीक्षित लेखा। लेखा में (i) आय एवं व्यय विवरण (ii) प्राप्ति एवं भुगतान विवरण (iii) तुलन पत्र (iv) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल होंगें। गपगण स्टाफ / कर्मचारियों की सूची (अनुबंध – II के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में) गगण सूची के अनुसार सभी स्टाफ / कर्मचारियों के क्रमिक रूप से अर्हता प्रमाण पत्र; मान्य आरसीआई–सीआरआर नंबर और प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के साथ। गगपण चालू वर्ष के लाभार्थियों की सूची (अनुबंध – III के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में) गपपण लाभार्थी सूची के अनुसार सभी लाभार्थियों के यूडीआईडी कार्ड (अधिमानतः) / दिव्यांगता प्रमाण पत्र। पीआईए को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने लाभार्थियों के लिए यूडीआईडी पंजीकरण करवाएं। पपपण पिछले दो वर्षों के लिए संगठन की गतिविधि / वार्षिक रिपोर्ट । गपअण विभिन्न लागत मदों के लिए विस्तृत औचित्य के साथ चालू वर्ष के लिए परियोजना हेतु बजट अनुमान। ागअण संगठन की प्रबंध समिति की सूची,	**अपलोड करेगाः**	नवीकरण की एक सत्यापित प्रति (जो भी लागू हो) जिसमें आवेदन की अवधि के लिए वैधता दर्शाई गई है। ii. निःशक्तजन अधिनियम, 1995 / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण की प्रमाणित प्रति; जिसमें आवेदन की अवधि के लिए वैधता दर्शाई गई है। iii. संगम ज्ञापन तथा संगठन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को दर्शाने वाले नियमों / विनियमों / उपनियमों की प्रति। iv. पिछले वर्ष के लिए परियोजना के लेखा परीक्षित लेख। इन खातों में (क) आय और व्यय विवरण (ख) रसीद और भुगतान विवरण (ग) तुलन पत्र (घ) लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन शामिल होगा। v. पिछले वर्ष के लिए पूर्ण रूप में संगठन के लिए समेकित लेखा परीक्षित खाते। खाते में निम्नलिखित शामिल होंगें–(क) आय एवं व्यय विवरण (ख) प्राप्ति एवं भुगतान विवरण (ग) तुलन पत्र (घ) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट vi. पिछले वर्ष के

	उनकी नियुक्ति और कार्यकाल की तारीख के साथ। गअपप 20/– रुपये वाले एक गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर समझौता बांड (जैसा कि अनुबंध – IX में है)। अपपप बैंक प्राधिकरण पत्र (एनईएफटी अधिदेश प्रपत्र) जैसा कि अनुबंध–X में दिखाया गया है)। पपपप नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किराया समझौता (किराए के परिसर में परियोजना के मामले में)।		लिए निर्धारित प्रारूप (अनुबंध–VI के अनुसार) में लेखा परीक्षित मद–वार/पद–वार व्यय विवरण, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा उचित रूप से स्याही से हस्ताक्षरित और संगठन के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित। vii. निर्धारित प्रापत्र (अनुबंध –I के अनुसार) में पिछले वर्ष में जारी अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र । viii. स्टाफ/कर्मचारियों की सूची (अनुबंध – II के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में) ix. वैध आरसीआई–सीआरआर संख्या और इसके प्रमाण पत्र की प्रति के साथ स्टाफ सूची के अनुसार क्रमवार सभी स्टाफ/कर्मचारियों का अर्हता प्रमाण पत्र। x. चालू वर्ष के लाभार्थियों की सूची (अनुबंध – III के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में) xi. लाभार्थी सूची के अनुसार सभी लाभार्थियों के क्रमवार यूडीआईडी कार्ड (अधिमानतः)/दिव्यांगता प्रमाण पत्र। पीआईए को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने लाभार्थियों के लिए

			यूडीआईडी पंजीकरण करवाएं। xii. पिछले वर्ष के लिए संगठन की गतिविधि / वार्षिक रिपोर्ट। xiii. विभिन्न लागत मदों के लिए विस्तृत औचित्य के साथ चालू वर्ष के लिए परियोजना हेतु बजट अनुमान। xiv. संगठन की प्रबंध समिति की सूची, उनकी नियुक्ति और कार्यकाल की तारीख के साथ। xv. 20/– रुपये वाली एक गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर समझौता बांड (जैसा कि अनुबंध – IX में है)। xvi. बैंक प्राधिकरण पत्र (एनईएफटी अधिदेश प्रपत्र) जैसा कि अनुबंध– X में दिखाया गया है)। xvii. नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किराया समझौता (किराए के परिसर में परियोजना के मामले में)।
5. संबंधित जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी संगठन का फिजिकल निरीक्षण करेगा और पोर्टल (ई–अनुदान) में इसकी सिफारिश दर्ज करेगा और 3.5.10 में दिए गए तालिका की समय–सीमा के भीतर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की देखरेख करने वाले राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग को प्रस्तुत करेगा।		4. संबंधित जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी संगठन का फिजिकल निरीक्षण करेगा और पोर्टल (ई–अनुदान) में इसकी सिफारिश दर्ज करेगा और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की देखरेख करने वाले राज्य सरकार / संघ राज्य	

6. निरीक्षण उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 7. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के विभाग प्रस्ताव की जांच करेगा, इसकी सिफारिशों को दर्ज करेगा और अनुशंसित प्रस्तावों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेजेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सेवा की कमी वाले क्षेत्रों के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए। 8. सहायता अनुदान मांग करने वाले प्रत्येक पीआईए को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उन्हें अनुदान प्राप्त हुआ है या नहीं। 9. डीईपीडब्ल्यूडी में प्राप्त सभी नए मामलों की समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की जाती है जिसे स्क्रीनिंग समिति कहा जाता है। प्रत्येक नए मामले को जांच के लिए विभाग की स्क्रीनिंग समिति के सामने रखा जाता है और उक्त समिति द्वारा अनुशंसित होने के बाद अनुदान के लिए प्रोसेस किया जाएगा। स्क्रीनिंग समिति परियोजना अवसंरचनाओं के बारे में स्पष्टता रखने के लिए अतिरिक्त कदम भी उठा सकती है। इनमें से कुछ हैं: क. परियोजना के स्थान का निरीक्षण ख. बुनियादी ढांचे, लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ केंद्र के वीडियो के बारे में पूछें। ग. प्रबंध समिति के विवरण और उनके वीडियो बाइट घ. चालू ईमेल और संपर्क विवरण 10. उन राज्यों और जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां मॉडल परियोजनाओं की कमी है।	क्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग को प्रस्तुत करेगा। 5. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के विभाग प्रस्ताव की जांच करेगा, अपनी सिफारिश दर्ज करेगा और अनुशंसित प्रस्तावों को ऑनलाइन पोर्टल (ई–अनुदान) के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अग्रेषित करेगा।
11. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिश के साथ प्राप्त सभी नए प्रस्तावों पर डीईपीडब्ल्यूडी में एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा। विचार के वर्ष के बाद वित्तीय वर्ष के अंत तक स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश वैध रहेगी। उदाहरण के लिए, 2022–23 के दौरान की गई स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश, 31.03.2024 तक वैध होगी।	

3.6.2. ब्रेक केस।

ऐसे सभी अनुदान प्रस्ताव जो ब्रेक केस माने गये है, वे सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 230 (15) के अनुसार किये जायेंगे। सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 230 (15) के अनुसार "ऐसे वास्तविक व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है जो स्वीकृति जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष से अधिक पहले न किया गया हो।"

3.6.3 ई–अनुदान पोर्टल के लिए यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रियाः

(i) पीआईएः– एनजीओ दर्पण यूनिक आईडी मिलने के बाद, ई–अनुदान पोर्टल www.grants-msje.gov.in में पंजीकरण करने की आवश्यकता है। पंजीकरण के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा।

(ii) राज्य के प्रधान सचिवः– पोर्टल में पंजीकरण करने की आवश्यकता है और फिर नए यूजर आईडी / यूजर आईडी में परिवर्तन / संशोधन के लिए डीईपीडब्ल्यूडी को अनुरोध भेजें।

(iii) डीएसडब्ल्यूओ सहित अन्य राज्य सरकार के अधिकारीः– पोर्टल में पंजीकरण करने की आवश्यकता है और फिर अनुमोदन के लिए संबंधित राज्य के प्रधान सचिव को अनुरोध भेजें।

3.6.4 ई–अनुदान पोर्टल पर आवेदन करने के लिए जांच बिंदुः

पावती संख्याः	
एनजीओ का नामः	
एनजीओ की आईडीः	
1. योजना का नाम	
2. परियोजना का नामः	
3. स्थान	
3क. जियो–टैग की गई जगह	
4. क्या ब्लैकलिस्ट किया गया है या नहींः	
5. क्या समय प्रतिबंधित है / ब्रेक केसः	
6. (क) क्या चालू मामला है / नया मामला	

यदि नए मामले हैं तो– दस्तावेज की प्रतियां एक राजपत्रित अधिकारी / नोटरी पब्लिक / **सचिव या गैर–सरकारी संगठन के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए।**	
(ख) क्या संस्थान या संगठन ने प्रमाणित किया है कि उसने भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से उसी उद्देश्य या गतिविधि के लिए अनुदान प्राप्त या आवेदन नहीं किया है।	
(ग) क्या प्रस्तावित सहायता अनुदान स्वीकृति जारी होने की तारीख से दो वर्ष से पहले किए गए वास्तविक व्यय को पूरा करता है।	
7. प्रबंधन समिति का विवरण	
8.(क) भुगतान किया गया वार्षिक किराया (राशि रुपये में)	
(ख) शहर वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार स्वीकार्य राशि	
(ग) किराया समझौता..... तक मान्य है	
(घ) क्या यह प्रमाणित है कि भवन का स्वामी प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं है	
(ङ) कमरों की कुल संख्या	
(च) भवन का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में): यदि कुल क्षेत्रफल वर्ग फुट में है, तो इसे वर्गमीटर में परिवर्तित किया जाए।	
(छ)* किराए का भवन, उसका किराया समझौता	
(ज)* भवन के स्वामी की पैन कार्ड की कॉपी	
9. (क) लाभार्थियों की संख्या जिन्होंने आवेदन भरे हैं	
(ख) भर्ती किए गए लाभार्थी	

आवासीय (लाभार्थियों की संख्या)			
सामान्य	अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	लाभार्थियों की कुल संख्या
गैर–आवासीय (लाभार्थियों की संख्या)			
सामान्य	अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचित जनजाति	लाभार्थियों की कुल संख्या

		(एसटी)	
(ग) पिछले वर्ष में लाभार्थियों की संख्या			
(घ)* पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि			
(ङ) क्या लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि उपलब्ध अवसंरचना के अनुरूप है			
(च) क्या यह प्रमाणित है कि लाभार्थियों की सूची निर्धारित प्रारूप में है और कोई दोहराव नहीं है			
(छ) संलग्न दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या			
10. (क) निर्धारित प्रारूप में कर्मचारियों का विवरण			
(ख) आवश्यक योग्यता प्रमाण पत्रों की प्रतियां			
(ग) क्या मानदेय का भुगतान मानकों के अनुसार किया जाता है या नहीं			
(घ) नियुक्त कर्मचारियों की संख्या			
11(क) पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत पंजीकरण की वैधता .... तक है			
(ख) क्या यह वर्तमान वर्ष के लिए मान्य है		जी हां/जी नहीं	
12 (क) पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता ..... तक			
(ख) प्रमाणपत्र/न्यास लेख की प्रतिलिपि			
(ग) क्या यह इस वर्ष के लिए विचाराधीन है?		जी हां/जी नहीं	
13. स्टाफ के आरक्षण की स्थिति			
14. एमओए/उपनियम/न्यास लेख के विवरण			
15 (क) विदेशी योगदान		जी हां/जी नहीं	
(ख) यदि हां, तो रखा गया एफसीआरए प्रमाणपत्र			
(ग) एफसीआरए प्रमाणपत्र की वैधता			

16. (क) वार्षिक रिपोर्ट का विवरण			
(ख) क्या यह जीआईए के अनुसार योजना के तहत प्रदर्शन को दर्शाता है?			
17.(क) बजट अनुमान			
(ख) अनुदान ..... से प्राप्त की जा रही है			
(ग) गत तीन वर्षों के लिए जारी अनुदान			
वर्ष	आवर्ती राशि	गैर–आवर्ती राशि	कुल
(घ) क्या उपयोग प्रमाणपत्र संलग्न है			
(ङ) क्या यूसी निर्धारित प्रपत्र में है			
(च) क्या यूसी पर संगठन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर भी किया गया है?			
(छ) अव्ययित शेष, यदि कोई हो			
(ज)*(i) अव्ययित शेष राशि पर संगठन द्वारा अर्जित ब्याज			
(ii) ब्याज अर्जित वाउचर अपलोड करने के बारे में पुष्टिकरण प्रमाण			
(झ)* सहायता अनुदान या अग्रिमों (प्रतिपूत को छोड़कर) पर सभी ब्याज या अन्य आय खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद, भारत की संचित निधि में अनिवार्य रूप से भेजे जाने के लिए जारी की गई है। क्या यह किया गया है?			
(ञ) लेखाओं का लेखा परीक्षित विवरण, आय और व्यय के स्त्रोत और पैटर्न आदि। क्या ये प्रस्तुत किए गए हैं?			

(ट) मदवार किए गए व्यय का विवरण	
(ठ) (i) परियोजना के लेखा परीक्षित खाता (ii) समेकित लेखा परीक्षित खाता	
(ड) पंजी. सं. के साथ सीए का विवरण	
18. बॉन्ड/पीएसआर/बैंक विवरण	
19. क्या जीएफआर 238(5) के अनुसार संसद में संगठन/गैर–सरकारी संगठन के वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित विवरण को सभा पटल पर रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ?	
20.(क) ईएटी का अनुपालन, क्या पंजीकृत है?	जी हां/जी नहीं
(ख) ईएटी का अनुपालन, व्यय ..... तक अपडेट किया गया है	
21. जांचबिंदु की जांच की जा चुकी है और पूरी तरह से भरी गई है।	जी हां/जी नहीं

3.7 कार्यक्रम प्रबंधन

3.7.1 राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में नोडल विभाग

प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने विभागों में से किसी एक विभाग को कार्यक्रम के लिए नोडल विभाग के रूप में मनोनीत करेगी। नोडल विभाग का चयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि यह अत्यधिक प्रभावी रूप से संपूर्ण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन करा सके।

3.7.1 (i) प्रत्येक राज्य को दिव्यांगता से संबंधित योजनाओं के लिए एवं पीआईए/वीओ के प्रस्तावों की सिफारिश करने के लिए एक **'सहायता अनुदान समिति'** का गठन करने की सलाह दी गई है।

3.7.1 (ii)मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के विचार से समिति की संरचना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विवेक पर होगा जो सहायता अनुदान समिति बनाने की प्रक्रिया की उपेक्षा भी कर सकते हैं, यदि प्रस्ताव की सिफारिश संबंधित राज्य मंत्रालय/विभाग के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव द्वारा की गयी हो।

3.7.1 (iii)किसी भी मामले की सिफारिश उस वित्त वर्ष के लिए किए गए निरीक्षण के आधार पर होगी।

3.7.2 जिला स्तर पर नोडल उत्तरदायित्व

प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी अथवा एजेंसी को नामित करेगा जिसे जिला स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन का संपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा।

3.7.3 स्थानीय स्तर पर प्रबंधन

स्थानीय स्तर पर, राज्य सरकारें उपयुक्त निकाय अर्थात ग्राम पंचायत, नगर पालिका/निगमों, जैसा भी मामला हो, को कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व सौपेंगी।

3.8 डीडीआरएस के अंतर्गत सहायता हेतु अन्य शर्तें

3.8.1 केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारी अथवा उनके प्राधिकरण द्वारा नामित व्यक्ति अथवा विभाग द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा सहायता प्राप्त संगठन/संस्था/स्थापन का निरीक्षण किया जा सकेगा।

3.8.2 यदि कोई संगठन इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे आवेदन के उद्देश्य के लिए किसी अन्य आधिरिकारिक स्त्रोत से अनुदान प्राप्त कर चुका है अथवा प्राप्त होने की संभावना है, तो सामान्यतः ऐसे अन्य आधिकारिक स्त्रोत से अनुदान को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय अनुदान का मूल्यांकन किया जाएगा।

3.8.3 सहायता प्राप्त संगठन इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के लिए एक पृथक खाता रखेंगे जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जा सकेगी। इसकी आंतरिक लेखा परीक्षा अथवा समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रणाली हागी। इन लेखों की जांच भारतीय नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।

3.8.4 एक सहायता प्राप्त संगठन सरकारी अनुदान से पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से प्राप्त सभी परिसंपत्तियों का रिकार्ड स्टॉक रजिस्टर में रखेगा तथा आवश्यकतानुसार इसे लेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 (भारत सरकार) के प्रावधान लागू होंगे।

3.8.5 एजेसिंयों को सहायता अनुदान स्वीकृत करने की पूर्व शर्त जहांः–

(क) प्राप्तकर्त्ता निकाय नियमित आधार पर 20 से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति करता है तथा जिसके आवर्ती व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से पूरा होता हो; तथा/अथवा

(ख) निकाय एक पंजीकृत सोसाइटी अथवा कोआपरेटिव संस्था है तथा सामान्य उद्देश्य के लिए भारत की समेकित निधि से बीस लाख रूपए अथवा अधिक की वार्षिक सहायता अनुदान प्राप्त कर रहा है;

i. संगठन को निर्धारित दिशा–निदेशों के अनुसार पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने में वरीयता देनी चाहिए।

ii. संगठन को जेंडर/कमजोर वर्ग/अनु.जा./अनु.ज.जाति आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के पर्याप्त और उपयुक्त प्रतिनिधियों को रखने में वरीयता देनी चाहिए।

3.8.6 अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थाओं अथवा संगठनों से अपेक्षित है कि वे शामिल राशि का ध्यान रखे बिना सरकारी अनुदान का एक सहायक खाता तैयार करेंगे तथा जीएफआर 2017 नियम सं. 237(i) के अनुसार आगामी वित्त वर्ष के 30 जून तक परीक्षित लेखा विवरण का एक सेट प्रस्तुत करेंगे। लेखों के इन लेखा–परीक्षित विवरण को सहायता अनुदान के उपयोग हो जाने के पश्चात अथवा जब भी इसकी मांग की जाए, प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3.8.7 पीआईए जो 50 लाख रूपए एवं अधिक की राशि के आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त कर रहें हैं उन्हें जीएफआर नियम सं. 238(6) के अनुसार विभाग को हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी में वार्षिक रिपोर्टों एवं लेखा–परीक्षित लेखों की 10 प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिएं जिसे इन्हें अनुवर्ती वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर सदन के दोनों पटलों पर रखा जा सके। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पीआईए 50 लाख रुपये से अधिक जीआईए प्राप्त कर रहा है तो उसे 30 सितम्बर 2022 को या उससे पहले विभाग को वार्षिक रिपोर्टों और लेखा–परीक्षित लेखों की 10 प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि उसे उल्लिखित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आगे का अनुदान जारी नहीं किया जाएगा

3.8.8 योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान की मांग करने वाले पीआईए यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों की व्यक्तिगत सूचना जैसे कि लाभार्थियों की दिव्यांगता का प्रकार अथवा प्रतिशतता को निर्दिष्ट करने वाली सूची को संगठन की वेबसाइट जैसे सार्वजनिक प्लेटफार्म पर प्रदर्शित न किया जाए। संगठन को वेबसाइट पर लाभार्थियों के निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराना है–

i. लाभार्थी का नाम

ii. लाभार्थी की जन्म तिथि

iii. पिता/अभिभावक का नाम

iv. पता

3.8.9 परियोजना के स्थान परिवर्तन की अनुमति केवल तभी प्रदान की जायेगी जब स्थान परिवर्तित किए जाने की 04 माह की अवधि के भीतर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो तथा इसकी सूचना 01 माह के भीतर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को दे दी गई हो।

3.8.10 पीआईए द्वारा लाभार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क अथवा प्रयोक्ता प्रभार, यहां तक कि परिवहन सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रभार भी नहीं लिया जायेगा। लाभार्थियों को हाइड्रोथेरेपी, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के मामले में, पीआईए द्वारा लाभार्थियों से कोई प्रभार/ प्रयोक्ता शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।

3.8.11 गैर–सरकारी संगठनों की सहायता करने वाले मानव संसाधन कार्मिक भारत सरकार अथवा विभाग के कर्मचारी नहीं है। इस योजना में आरसीआई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले मानव संसाधन कार्मिकों की सेवाओं को सूचीबद्ध करने के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के निकायों/अन्य संस्थाओं के कार्मिकों के समान मानदेय का दावा करने का कारण नहीं समझा जाएगा। भर्ती, मानदेय, नियुक्ति की शर्तों की जिम्मेदारी पूर्ण रुप से पीआईए की होगी और डीईपीडब्ल्यूडी किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

3.8.12 डीडीआरएस के तहत जीआईए प्राप्त कर रहे प्रत्येक पीआईए को विभाग एवं मंत्रालय का नाम और लोगो स्पष्ट रुप से परियोजना के परिसर के प्रमुख द्वार पर प्रदर्शित करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो, आगे का अनुदान जारी नहीं किया जाएगा।

3.8.13 निम्नलिखित विवरण पीआईए के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होनी चाहिए:

- पिछले 2 वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदान
- भर्ती किए गए लाभार्थियों की संख्या
- सेवा प्रदाताओं की संख्या
- शिकायतों के लिए डीएसडब्ल्यूओ का नाम, पदनाम, संपर्क हेतु विवरण

3.8.14 आधार अधिसूचना संख्या 1009 दिनांक 31 मार्च, 2017 के अनुसार सभी लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। यदि निकटवर्ती क्षेत्र जैसे ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील में नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण लाभार्थी नामांकन नहीं कर पाते हैं, तो कार्यान्वयन एजेंसियों को सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं में सहायता करने की आवश्यकता होती है। लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं से आधार प्राप्त करने वाला पीआईए उक्त आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आधार कार्ड की गोपनीयता की सुरक्षा और संरक्षण को बनाए रखना सुनिश्चित करेगा।

3.8.15 प्रत्येक पीआईए अपने प्रत्येक लाभार्थी के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने में भी सहायता करेगा।

3.8.16 आवासीय परियोजनाओं को चलाने वाले पीआईए को छात्रावास के लिए दिए गए मानदंडों का अनुपालन करना होगा और दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य अवसंरचना और सुगम्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

- लड़के और लड़कियों के लिए अलग–अलग छात्रावास की सुविधा।
- लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए छात्रावास सुविधाओं के मामले में महिला वार्डन।
- छात्रावास अधिमानतः भूतल पर होना चाहिए।
- दिन में कम से कम तीन बार भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- छात्रावास बाधा मुक्त / सुगम्य होना चाहिए।

3.8.15(i) छात्रावास के लिए अपेक्षित बुनियादी उपस्कर/मद नीचे दिए गए हैं –

(क) व्यक्तिगत–विशिष्ट

1. बेड
2. बेडिंग (साफ और स्वच्छ रूप से बनाया रखा हो)
3. कुर्सी–मेज (उपयुक्त ऊंचाई का)
4. स्टोर करने के लिए कैबिनेट (पर्याप्त स्थान के साथ)

(ख) समग्र आवश्यकताएँ (सुविधाएं और उपकरण)

1. रसोई उपकरण
2. मेस उपकरण
3. पीने योग्य पेयजल (ठंडा / गर्म, जैसा कि लागू हो)

4. पेयजल डिस्पेंसर

5. पर्याप्त प्रकाश और पंखे की सुविधा

6. वेब (लाइव) टेलीकास्ट सुविधा के साथ सीसीटीवी.

7. अग्नि–निकास और अग्निशामक/अग्नि–सुरक्षा उपकरण

8. पावर बैकअप

9. नहाने के लिए वॉटर हीटिंग सिस्टम

10. रूम–हीटर (जहां भी लागू हो)

11. रूम–कूलर (जहां भी लागू हो)

12. टेलीफोन

13. इंटरनेट

14. सेट–टॉप बॉक्स की सुविधा के साथ टीवी

15. म्यूजिक सिस्टम और मनोरंजन की सुविधा

16. प्राथमिक चिकित्सा सुविधा

17. कपड़े धोने की सुविधा

18. हाउसकीपिंग उपकरण

19. 24×7 पानी की आपूर्ति

20. खेलने हेतु स्थान

(ग) कमरे की आवश्यकताः

1. व्यक्तिगत छात्रावास कक्ष (न्यूनतम 80 वर्ग फुट)

2. सामान्य कमरा / गतिविधि / मनोरंजन कक्ष (न्यूनतम 500 वर्ग फुट प्रति 50 लाभार्थियों)

3. मेस / डाइनिंग एरिया (न्यूनतम 500 वर्ग फुट प्रति 50 लाभार्थियों)

4. रसोई और स्टोर (न्यूनतम 500 वर्ग फुट प्रति 50 लाभार्थियों)

5. शौचालय (08 लाभार्थियों के लिए 01), सुगम्य शौचालय सहित।

6. वाश बेसिन (08 लाभार्थियों के लिए 01)

7. बाथरूम (08 लाभार्थियों के लिए 01), सुगम्य बाथरूम सहित।

8. लॉन्डरी एरिया (न्यूनतम 200 वर्ग फुट)

9. कपडे सुखाने के लिए जगह (न्यूनतम 200 वर्ग फुट)

10. प्रतीक्षा कक्ष (न्यूनतम 150 वर्ग फुट)

11. रिसेप्शन / कार्यालय + चिकित्सा आपातकालीन कक्ष (न्यूनतम 200 वर्ग फुट)

12. वार्डन कक्ष (न्यूनतम 150 वर्ग फुट)

13. केयरटेकर्स रूम (न्यूनतम 150 वर्ग फुट)

महत्वपूर्ण टिप्पणीः पुरूष और महिला दोनों के लिए अलग–अलग छात्रावास अनिवार्य है।

3.9 निरीक्षण एवं मानीटरिंग

3.9.1 राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा विभाग द्वारा निर्धारित कोई अन्य एजेंसी इन एजेंसियों का नियमित निरीक्षण करेगी तथा अपनी रिपोर्टें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को प्रेषित करेगी। इसके अतिरिक्त नामित की गयी मानीटरिंग और निरीक्षण करने वाली एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन भी किया जायेगा।

3.9.2 एक स्थानीय परियोजना समिति, जिसमें लाभार्थियों के माता–पिताओं में से दो (हर साल बारी–बारी से), स्टाफ सदस्य में से एक (हर साल बारी–बारी से) और उस स्थान के दो प्रख्यात नागरिक (प्रति दो वर्ष में बदलना चाहिए) जहां इस परियोजना को लागू किया जा रहा है, को शामिल करते हुए कम से कम 5 सदस्य होंगें (सदस्यों में से महिलाओं की संख्या कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए), को इस विभाग को वार्षिक रूप से अपनी रिपोर्ट भेजनी चाहिए। इसे जिला प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है। यदि पीआईए द्वारा किए गए अनुरोध के बाद जिला प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसे सहायक दस्तावेजों के साथ अनुमोदित माना जाएगा।

3.9.3 योजना की परियोजनाओं के निरीक्षण और गहन निगरानी के लिए एक केन्द्रीय कार्यक्रम निगरानी इकाई (सीपीएमयू) टीम का सृजन किया जाता है। पीएमयू टीम/सदस्य पीआईए का औचक निरीक्षण करेंगे और पीआईए द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रदर्शन और गुणवत्ता को मॉनिटर करेंगे। वे पीआईए के समग्र प्रदर्शन को देने में कार्यक्रम प्रभाग की सहायता करेंगे।

3.9.4 डीडीआरएस के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक पीआईए को सीपीएमयू या विभाग द्वारा कर्मचारियों की बायो–मीट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज आदि जैसी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए पूछे जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

3.9.5 विभाग इस योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच और डाटाबेस विकास को आउटसोर्स कर सकता है ताकि विभाग के भीतर प्रचालनात्मक क्षमता में वृद्धि की जा सके।

3.9.6 यह महत्वपूर्ण है कि वित्त–पोषित पीआईए भी कंप्यूटरीकृत डाटाबेस स्थापित करें और उसे बनाए रखें। इससे मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए निर्धारित रिपोर्टों के समय पर प्रस्तुतीकरण के साथ–साथ प्रभावी संप्रेषण में भी वृद्धि होगी।

3.9.7 डीडीआरएस योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन स्वतंत्र अन्य (थर्ड) पार्टी द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों में कराया जाएगा। उक्त अध्ययन के व्यय को योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए प्रशासनिक व्यय से पूरा किया जायेगा।

3.9.8 नामित एजेंसियों द्वारा स्वैच्छिक संगठन की मानिटरिंग, परियोजनाओं के निरीक्षण, यदि उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय आदि के निर्देशों के मामले में छूट, यदि कोई हो, पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा यथा अपेक्षित निधियां निर्धारित की जाएगी। योजना का प्रशासनिक व्यय एक वित्तीय वर्ष में योजना के लिए आवंटित कुल बजट का 2 प्रतिशत होगा।

3.9.9 प्रत्येक पीआईए को प्रत्येक परियोजना के लिए अलग से निम्नलिखित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिएः –

(क) निरीक्षण के लिए आवश्यक क्लीनिकल और अकादमिक रिकॉर्ड की सूची

(i) व्यक्तिगत लाभार्थी रिकॉर्ड जिसमें केस हिस्ट्री, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/ दिव्यांगता मूल्यांकन रिपोर्ट, हाल ही में फोटोग्राफ (पूर्ण और पासपोर्ट आकार), मूल्यांकन रिपोर्ट, यूडीआईडी कार्ड, उपचाप योजना और अनुवर्ती रिकॉर्ड तथा विभिन्न सेवा प्रदान करने वाले विषयों के मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल हैं।

(ii) माता–पिता–शिक्षक बैठकों / लाभार्थी परिवार की बैठकों की रिकॉर्ड

(iii) विशेष गतिविधियों, घटनाओं और महोत्सव की तस्वीरें

(iv) लाभार्थियों के लिए गतिविधि अनुसूची / समय सारणी

(ख) निरीक्षण के लिए आवश्यक प्रशासनिक रिकार्डों की सूची

i. लाभार्थी की उपस्थिति

ii. स्टाफ (पूर्णकालिक और अंशकालिक / विज़िटिंग / परामर्शदाता) की बायोमेट्रिक उपस्थिति

iii. लाभार्थी के हस्ताक्षर के साथ सेवा अनुसूची रजिस्टर

iv. नियुक्त पेशेवरों (पूर्णकालिक और अंशकालिक /विजिटिंग) का बायो–डेटा, फोटोग्राफ और प्रशंसापत्र

v. पेशेवर का लॉग–बुक (पूर्णकालिक और अंशकालिक /विजिटिंग)

vi. लाभार्थी/अभिभावक के हस्ताक्षर के साथ होम विजिट/कम्युनिटि–विज़िट रिकॉर्ड

vii. वैध सोसायटी / ट्रस्ट पंजीकरण

viii. वैध आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम पंजीकरण

ix. वैध राष्ट्रीय न्यास अधिनियम पंजीकरण (जहाँ भी लागू हो)

x. वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, आईटी रिटर्न रिकॉर्ड

xi. वेतन रजिस्टर

xii. संगठन का मासिक बैंक विवरण

xiii. प्राप्तियों और भुगतानों के प्रमाण के साथ संगठन के सभी लेखों की पुस्तकें

xiv. अपडेट किया गया प्रमाणित उपयोग प्रमाण पत्र

xv. सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

xvi. सीसीटीवी लॉग–बुक

xvii. किराया करार/पट्टा/स्वामित्व वाले दस्तावेज, बिजली का बिल और पानी का बिल

xviii. लाभार्थियों की अपडेट की गई सूची

xix. अपडेट किए गए स्टॉक रजिस्टर

xx. वार्षिक ईवेंट कैलेंडर

xxi. विजिटर लॉग बुक

3.9.10 प्रत्येक पीआईए को बेहतर मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी और बायो–मीट्रिक प्रणाली (स्टाफ सदस्यों के लिए अनिवार्य) स्थापित करना होगा। सीसीटीवी फुटेज कम से कम एक वर्ष के लिए रखा जाना चाहिए और जब भी पूछा जाता है तो इस विभाग को भेजा जाना चाहिए।

3.10 उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी)

इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक संगठन/संस्था **अनुबंध–I** में दिए गए प्रारूप के अनुसार, प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में उपयोग प्रमाण प्रस्तुत करेगी। यदि पीआईए को जारी पिछली निधियों का यूसी नहीं भेजा गया है तो आगे का अनुदान जारी नहीं किया जाएगा।

3.11 मानकों में छूट प्रदान करने की शक्ति

विभाग को वहां पर मानकों की अधिकतम सीमा से कम मापदंड अपनाने का अधिकार सुरक्षित है, जहां पर ऐसा करने का औचित्य हो। सामान्यतः असाधारण और पात्र मामलो में और विशेष रूप से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र के राज्यों, वाम अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों, सीमावर्ती जिलों अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों के मामले में सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुमोदन से इन मानदंडों में छूट प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि विभाग संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए समुचित और वैध आधार है। इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

3.12 विभाग किसी भी परियोजना को सहायता अनुदान देने का अधिकार सुरक्षित रखता है क्योंकि वह इसे उचित समझता है और लगातार अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं है। अंतिम निर्णय सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी पर निर्भर करता है।

भाग–खः मॉडल परियोजना प्रोफाइल

8 मॉडल परियोजनाओं के विवरण इस प्रकार हैं–

i. गृह आधारित पुनर्वास एवं समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ क्रास–डिसेबिलिटी प्री–स्कूल एवं प्रारंभिक उपाय और प्रशिक्षण की परियोजना

ii. गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ श्रवण दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल

iii. लो विजन सेंटर, गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ दृष्टि दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल

iv. गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ अन्य दिव्यांगताओं वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल (बौद्धिक दिव्यांगता, प्रमस्तिष्क घात, आटिस्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बधिरता–दृष्टिहीनता आदि)

v. गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के प्रावधान के साथ कुष्ठरोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास

vi. गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के प्रावधान के साथ उपचारित और नियंत्रित मनो–सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ वे होम परियोजना

vii. समावेशी शिक्षा परियोजना को जारी रखने के लिए विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक / उपचार केंद्र

viii. क्रॉस–डिसेबिलिटी थेरेपी और परामर्श केंद्र परियोजना

I. गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के प्रावधान के साथ क्रॉस डिसेबिलिटी प्री – स्कूल और प्रारंभिक उपाय हेतु परियोजना

क्रॉस डिसेबिलिटी प्री–स्कूल और प्रारंभिक उपचार के लिए परियोजना मुख्य रूप से विशेष स्कूलों में अपनी स्कूली शिक्षा और / या समावेशी शिक्षा के लिए नियमित स्कूलों में उचित चरण में एकीकरण के लिए सभी प्रकार के दिव्यांगजन बच्चों को तैयार करना और प्रारंभिक उपचार करके उनकी दिव्यांगता के बोझ को कम करने के लिए कोशिश करना है। **यह परियोजना शिशुओं और 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की सेवा करेगी।** परियोजना के तहत सहायता अनुदान की मांग करने वाले प्रत्येक संगठन को लाभार्थियों को हर कार्य दिवस पर गर्म भोजन प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक स्कूल में कक्षाएं प्रत्येक कार्य दिवस पर कम से कम 6 घंटे होनी चाहिए।

उद्देश्यः

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी शिशुओं और दिव्यांग बच्चों, विकास संबंधी विकारों और विकासात्मक दिव्यांगता के जोखिम वाले बच्चों को प्रारंभिक उपचार तब प्रदान किया गया है जब मस्तिष्क बढ़ते समय परिवर्तन के लिए सबसे अधिक सक्षम है; और इस प्रकार दिव्यांगता के प्रसार और घटनाओं को कम करता है।
2. अपने बच्चे के इष्टतम विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा परिवार और सामुदायिक गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए परिवारों की सहायता करना।
3. शारीरिक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, संचार कौशल, स्व–सहायता / अनुकूली कौशल और सामाजिक–भावनात्मक कौशल के क्षेत्रों में बच्चों के कामकाजी स्तर में पर्याप्त सुधार प्राप्त करने के लिए ट्रांस–डिसिप्लिनरी व्यक्तिगत परिवार केंद्रित सेवाओं की पेशकश करना।
4. बच्चों में अतिरिक्त और संबंधित दिव्यांगताओं की घटनाओं को कम करने के साथ–साथ उनके सीखने, व्यवहार और स्वास्थ्य के मुद्दों में भविष्य की समस्याओं को कम करने के लिए।
5. परिवार की दिनचर्या में उपचार कार्यनीतियों को शामिल करके चिकित्सीय और पुनर्वास प्रक्रिया में परिवारों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
6. उपचार कार्यक्रम को विकसित, लागू, मॉनिटरिंग और संशोधित करने के लिए परिवारों और पेशेवरों के बीच चल रहे माता–पिता–पेशेवर संवाद और सहयोगी संबंध की सुविधा के लिए; ताकि माता–पिता का सशक्तिकरण और बेहतर गृह प्रबंधन तथा बाल विकास पर प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके।
7. एक वैज्ञानिक और समग्र प्रारंभिक उपचार कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे की सामाजिक बातचीत, अन्वेषण और स्वायत्तता को सुविधाजनक बनाने पर उपचार पर ध्यान केंद्रित करना।
8. सेवाओं को सुनिश्चित करके अपने समुदाय में दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों की पूर्ण भागीदारी के अवसर पैदा करने के लिए ताकि उनका समावेशन सफलतापूर्वक किया जा सके, विशेष रूप से नियमित रूप से स्कूल स्थापनों में सफलतापूर्वक सीखने के अवसरों में वृद्धि करने के लिए।
9. उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करने के साथ प्रारंभिक उपचार तथा प्रशासनिक और क्लीनिकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के लिए गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखना।
10. प्रारंभिक बचपन, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक, सामाजिक और अन्य समुदाय–आधारित सेवाओं की एक समन्वित श्रृंघला को सुनिश्चित करना जो बच्चों और उनके परिवारों को आवश्यक है और उन्हें प्रदान की जाती है।
11. संस्थागतकरण की संभावना को कम करने और जीवन की गुणवत्ता तथा स्वतंत्र जीवन को अधिकतम करने के लिए।

12. दीर्घकालिक विशेष शिक्षा, सहायक उपकरणों और विशेष चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता को कम करके शिक्षा और पुनर्वास की लागत को कम करना।

परियोजना आकारः

प्री–स्कूल उपाय ईकाइयों के लिए लाभार्थियों की संख्या किसी विशिष्ट वर्ग में 15 से 20 बच्चे होनी चाहिए। 25 लाभार्थियों से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट में 15 लाभार्थी होने चाहिए।

1. **अवसंरचनाः**

प्री–स्कूल और अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की अवसंरचनात्मक व्यवस्था में शामिल होना चाहिएः – प्री–स्कूल और प्रारंभिक उपचार केंद्र की अवसंरचनात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित शामिल होने चाहिएः –

- ओटी कक्ष – न्यूनतम 200 वर्ग फुट
- पीटी रूम – न्यूनतम 200 वर्ग फुट
- भाषा और वाक् उपचार कक्ष – न्यूनतम 150 वर्ग फुट
- ट्रांस–डिसीप्लिनरी / विशेष शिक्षा कक्ष – 25 क्षमता के लिए न्यूनतम 200 वर्ग फुट
- प्ले थेरेपी क्षेत्र – न्यूनतम 400 वर्ग फुट।
- माता–पिता प्रतीक्षा / प्रशिक्षण क्षेत्र – न्यूनतम 100 वर्ग फुट
- फीडिंग और एडीएल क्षेत्र – न्यूनतम 100 वर्ग फुट
- आउटडोर/प्ले क्षेत्र का प्रावधान वांछनीय है।

प्रारंभिक यूनिट क्षमता	25 (न्यूनतम 15)
अतिरिक्त यूनिट क्षमता	15

15 लाभार्थियों की प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए, 25 लाभार्थियों से अधिक होने पर; **02 ट्रांस–डिसिप्लीनरी/ विशेष शिक्षा कक्षों के लिए प्रत्येक कक्ष के लिए अपेक्षित कक्ष कम से कम 200 वर्ग फुट होनी चाहिए।**

स्वीकार्य सहायताः

स्वीकार्य मानक प्रति लाभार्थी लागत (पीबीसी) होगी। यदि परियोजना विशेष स्कूल का एक उपांग है, तो कोई भी अतिरिक्त प्रशासनिक पद स्वीकार्य नहीं होगा।

पहले पीबीसी प्रतिवर्ष	संशोधित पीबीसी प्रतिवर्ष	पीबीसी प्रतिमाह
37980 रूपए	37980/-रूपए	3165/-रूपए
आवर्ती और गैर–आवर्ती		
1. उपकरण (मौलिक) खिलौने और खेल उपस्कर		10000/-रूपए
2. 25 लाभार्थियों के लिए एक अलमारी सहित फर्नीचर		14000/-रूपए
3. ओटी, पीटी, एसटी और अन्य चिकित्सीय उपकरण		50000/-रूपए
4. संसाधन कक्ष /पुस्तकालय (पहले वर्ष के लिए 10000 रुपये / बाद के वर्षों के लिए 5000 रुपये)		10000/-रूपए (एक बार)/5000/– रूपए (आवर्ती)
5. विशेष शिक्षण और अधिगम सामग्री		60000/-रूपए

परियोजना (25 लाभार्थियों वाले) के लिए संगठन द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिएः–

पद	पदों की संख्या
1. परियोजना निदेशक/समन्वयक (केवल क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक)	1
2. विशेष शिक्षक (किसी भी क्षेत्र में विशेष शिक्षा प्राप्त) (कम से कम 1 आईडी / सीपी / एमडी आदि में विशेष शिक्षा प्राप्त होना चाहिए) प्रति अतिरिक्त यूनिट के लिए अतिरिक्त विशेष शिक्षक	2 प्रति 15 लाभार्थियों के लिए, 25 लाभार्थियों से अधिक होने पर, 02 विशेष शिक्षक अनिवार्य रूप से
3. आया/परिचारक	2

	प्रति 15 लाभार्थियों के लिए, 25 लाभार्थियों से अधिक होने पर, 01 आया/परिचारक अनिवार्य रूप से
4. डॉक्टर/शिशु रोग विशेषज्ञ (एक अनिवार्य दौरा प्रति सप्ताह सहित प्रति दौरा आधार पर अंशकालिक)	1
5. ऑक्यूपेशनल थेरेपी (ओटी)	दौरा प्रति सप्ताह दो अनिवार्य दौरों सहित प्रति दौरा आधार पर अंशकालिक
6. फिजियोथेरेपी (पीटी)	दौरा प्रति सप्ताह दो अनिवार्य दौरों सहित प्रति दौरा आधार पर अंशकालिक
7. स्पीच थेरेपी (एसटी)	दौरा प्रति सप्ताह दो अनिवार्य दौरों सहित प्रति दौरा आधार पर अंशकालिक
8. प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए अतिरिक्त थेरेपिस्ट का विजिट	प्रति अतिरिक्त 30 लाभार्थियों के लिए, 25 लाभार्थियों से अधिक के लिए, प्रति सप्ताह प्रति थेरेपिस्ट का 01 अतिरिक्त दौरा अपेक्षित है।
9. वाहन (कन्वेयन्स)	मानदेय का 10 प्रतिशत

टिप्पणी

1. स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बडा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ–साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए। प्री–स्कूल और अर्ली इंटरवेंशन प्रोजेक्ट को आकर्षक और बच्चों के अनुकूल होने के लिए सौंदर्यता से डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
2. किराए के प्रति सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। अगर यह परियोजना विशेष विद्यालय का एक उपांग है और उस परियोजना के लिए किराए का दावा किया जा रहा हो तो किराए के लिए अतिरिक्त सहायता पर विचार नहीं किया जाएगा। भवन बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए। स्वामित्व वाले भवन के मामले में, इसका रखरखाव अनुबंध–XIII के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
3. आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।
4. इस प्रकार की परियोजनाओं में लाभार्थियों को एक दिन/सप्ताह में कुछ घंटों की ही देखभाल की आवश्यकता होती है और शिक्षकों, परिचालकों और आया की सेवाओं का इष्टतम उपयोग करने के प्रयास किए जाने चाहिएं ताकि बच्चों द्वारा सेवाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सके।
5. नियुक्त किए गए विशेष शिक्षा शिक्षकों को योग्य होना चाहिए और परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांगता क्षेत्र में आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए।
6. स्थानीय परियोजना समिति के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन और इसकी रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अनुबंध

प्री स्कूल और प्रारंभिक उपचार परियोजना के लिए अधिगम सामग्री और उपकरणों की निदेशात्मक सूची

(क) लर्निंग सेंटर/ड्रामेटिक्स के लिए सामग्रियांः

गृह क्षेत्रः

- बच्चे के आकार का स्टोव, बर्तन रखने के लिए केबिनेट के साथ सिंक, रेफ्रिजरेटर, मेज और कुर्सियाँ, बिस्तर, ड्रेसर, ड्रेस–अप डिस्प्ले और अन्य सामान जैसे वॉशिंग मशीन आदि।

- खाना पकाने के बर्तन जैसे पॉट/पैन, खाने के बर्तन, प्लेन–फूड, खाद्य उत्पादों के खाली नमूने, मसाले आदि।
- सफाई के उपकरण जैसे पोछा, झाड़ू, डस्टर, कूड़ेदान, डस्ट–पैन, वैक्यूम आदि।
- शिशु गुड़िया, वयस्कों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुड़िया, गुड़िया–घरों के लिए छोटी गुड़िया (अधिमानतः विविध जातीय और क्षमता विशेषताओं के साथ), गुड़िया–घर, गुड़िया–फर्नीचर, गुड़िया के कपड़े आदि।
- पूर्ण लंबाई वाला अटूट दर्पण
- खिलौना टेलीफोन, घड़ियां, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, वाहन, स्टफ्ड जानवर, आदि ।
- ड्रेस–अप कपड़े, पुरुष और महिला दोनों (विभिन्न मौसमों और अवसरों को दर्शाते हुए)।

विषय–आधारित क्षेत्र (कुछ उदाहरण, और जोड़े जा सकते हैं):

- अस्पतालः डॉक्टर की किट, स्टेथोस्कोप, सफेद कोट, पट्टियाँ, टेप, गुड़िया आदि।

- रेस्तरांः मेज और कुर्सियों, मेनू–कार्ड, प्ले–मनी, एप्रोन, कटलरी, प्ले–फूड्स, आदि

- किराना स्टोरः खाली उत्पाद के नमूने, टॉय शॉपिंग गाड़ी, टॉय कैश रजिस्टर, बैग, प्लेट–मनी, आदि ।

- फायर स्टेशनः फायर– ट्रक, बूट्स, रबर–हाउस, फायर–सेफ्टी हैट्स, रेनकोट, आदि।

(ख) फाइन मोटर प्रशिक्षण के लिए सामग्रियांः

- बिल्डिंग खिलौनेः छोटे लकड़ी के ब्लॉकस/क्यूब्स, इंटरलोकिंग ब्लॉक, चुंबकीय ब्लॉकस, बरिस्टिल ब्लॉक, वैफ़ल ब्लॉकस, आदि
- पहेलियाँः विभिन्न प्रकार की बनावट (फोम, प्लास्टिक, लकड़ी, बहु–बनावट) और विभिन्न जटिलताएँ, घुंडी, बिना घुंडी, विभिन्न प्रकार के टुकड़े (05 से 30), इंटरलॉकिंग और अलग–अलग टुकड़े, अनुक्रम, फर्श।
- जोड़तोड़ की सामग्रियांः
    - छोटे और बड़े बीड्स, स्ट्रिंक्स , बीड पैटर्न कार्ड, बीड फ्रेम
    - कुंद सुई, ऊन, जूट–स्ट्रिंग, बटन, लेस/स्ट्रिंग के साथ लेसिंग कार्ड सहित सिलाई सामग्रियां
    - खूंटे और खूंटी बोर्ड
    - ज़िप, स्नैप और बटन ड्रेसिंग फ्रेम
    - कनेक्टर्स के साथ स्ट्रॉ / स्टिक
    - नट और बोल्ट, स्क्रू
    - ट्रेन की पटरियाँ और ट्रेन
    - आकार सॉर्टर्स

कला / शिल्प क्षेत्र के लिए सामग्रियांः

- ड्राइंगः बड़े और छोटे क्रेयष्न्स; पेन, पेंसिलस, इरेजर, रंगीन पेंसिल; मोटे और पतले वाषएबल मार्कर; चाक, चाक बोर्ड, इरेज़र; कागज (विभिन्न आकार और रंग, पंक्तिबद्ध और रिक्त), समाचार पत्र, टिशू पेपर, निर्माण (कंस्ट्रजक्षभन) कागज; ड्राई–इरेज़ बोर्ड और मार्कर।
- पेंटिंगः फिंगर पेंट्स; लिक्विड टेम्प्रेरा पेंट्स, ब्लॉक/डिस्क टेम्परा पेंटस और ट्रे; विभिन्न प्रकार के पेंट बर्तन, पेंट ब्रुश, रोलर्स, स्कीव्ज (निचोड़) और स्प्रे बोतलें, स्पंज, क्यू–टिप्स, पेंट स्क्रैपर्स ।
- कोलाजः गोंद की बोतलें, ग्लू–स्टिक्स, गोंद–ब्रश/स्प्रेडर्स; पेपर–स्क्रैप, मैगजीन, कार्ड, रैपिंग पेपर, रिबन; कार्डबोर्ड ट्यूब, बक्से, निर्माण के लिए रोल/फैब्रिक स्क्रैप, यार्न/स्ट्रिंग्स; रुई के गोले; पोमपोम्स; ग्लिट्टर, बटन, सेक्विन, जेम्सै; प्राकृतिक वस्तुएं (पत्तियाँ, बीज, टहनियाँ, पंख) ।
- 3 डी सामग्रियांः प्ले,–डो, ग्लूइंग/ निर्माण के लिए क्ले, लकड़ी ; पाइप–क्लीनर, प्लास्टिसिन, आदि।
- उपकरणः सुरक्षित कैंची (बाएं और दाएं हाथ वाली), स्ट्रेपलर, पेपर पंच, टेप (विभिन्न प्रकार), टेप–होल्डर; प्ले–डो (क्राफ्ट स्टिक्से, कुंद चाकू, कैंची, स्टेंसिल) के साथ उपयोग करने के लिए उपकरण ।

(ग) ब्लॉक–बिल्डिंग क्षेत्र के लिए सामग्रियांः

- ब्लॉकः विभिन्न शेप्सर और आकार में यूनिट ब्लॉक जैसे त्रिकोण, वर्ग, रेक्टेंगल्स, सिलेंडर और आर्चेज। बड़े हॉलो ब्लॉक (खुले किनारों के साथ), ट्री–ब्लॉक, शिक्षक–निर्मित ब्लॉक (बड़े कार्डबोर्ड दूध के डिब्बे, प्लास्टिक के कंटेनर, फोम कंटेनर, स्ट्रडी बॉक्स, ब्लॉक आकार में कटी हुई लकड़ी)।
- उपकरणः ब्लॉक बिल्डिंग एसेसरीज जैसे खिलौना वाहनों (ट्रकों, कार्ड, ट्रेन, कृषि वाहन) यातायात / सड़क संकेत, फ्लोर रोड़ मैप/कालीन, स्माल टोय पीपल, स्माल टोय एनिमल, (चिड़ियाघर, खेत, घरेलू), रैंप, बोर्ड, आदि के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने के लिए।

(घ) पढ़ने के क्षेत्र के लिए सामग्रियांः

पुस्तकों के वर्गीकरण की आवश्यकता है। उन्हें स्टोर से खरीदा जा सकता है, वयस्क और बच्चों की किताबें, फोटो एलबम और बच्चों की पत्रिकाएं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में से कुछ चुनेंः

- तथ्यात्मक पुस्तकेंः जानवरों; जानवरों और पौधों के बारे में तथ्य; वास्तविक जीवन के अनुभवों (जैसे चिकित्सक के पास जाना); संख्या; आकार; रंग;
- प्रकृति और विज्ञानः पांच इंद्रियां; मानव शरीर; पशु घर और जीवन ;
- नस्ल और संस्कृतिः विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के लोगों के बारे में ऐतिहासिक और समकालीन कहानियां, विभिन्न भाषाओं में किताबें।
- विविध निपुणता : विविध निपुणताओं वाले व्यक्तियों का चित्रण करने वाली पुस्तकें (व्हीलचेयर उपयोगकर्ता, बैसाखी, श्रवण यंत्र, वाकिंग केन, आदि।)
- फेन्टेसी पुस्तकेंः लोगों और जानवरों के बारे में कहानियों का नाटकीकरण।

- अन्य सामग्रियांः कठपुतली, कठपुतली थियेटर; पोस्टर सेट (सर्दी/बरसात के दिन आदि); श्रवण केंद्र और रिकॉर्ड की गई कहानियाँ; फलानेल बोर्ड।

.

(ङ) ग्रोस मोटर प्रशिक्षण के लिए सामग्रियांः

- स्टेशनरी उपकरणः चढ़ाई वाले उपकरण, स्लाइडस, कम संतुलन वाले उपकरण, झूले (स्विंग्स), बॉल्स (विभिन्न आकार और बनावट); खेल उपकरण (बच्चे के आकार की बॉस्केट–बॉल हूप, प्लास्टिक का बल्लाल, हॉकी स्टिक); पहिए वाले खिलौने (वैगन्स, पुश/पुल टॉय, स्कूटर); राइडिंग खिलौने (विविधता आकार के पैडल के साथ और पैडल के बिना, एक या दो बच्चों द्वारा उपयोग हेतु); टम्बलिंग मैट; कूदने वाली रस्सी ; बीन बैग; हूला–हुप्स; सुरंगें; बड़े ब्लॉक (इनडोर और आउट डोर); लूज मैटेरियलस (बिग कार्डबोर्ड बॉक्स, कंबल, टायर) ।

(च) रेत / जल क्षेत्र के लिए सामग्रियांः

- रेत के बक्से, रेत के गड्ढे (बाहरी); विभिन्न प्रकार की रेत/वाटर मेज जैसे कि बर्तन, प्लास्टिक के डिब्बे, टब, बाल्टी, सिंक; वाटर–होज; रेत या रेत–विकल्प (मॉडलिंग रेत, प्ले छर्रे); वाटरप्रूफ एप्रन या स्मोक्स;
- मापने के कप/चम्मच, विभिन्न प्रकार के कंटेनर/बोतलें; फावड़े, स्कूप्स, मोल्ड्स; स्पोंजेज; छोटे पानी के ड्रॉपर, स्प्रे बोतलें, कीप; प्लास्टिक ट्यूब, सिफ्टर; चीजें जो डूबती या तैरती हैं; प्राकृतिक वस्तुएं जैसे शैल, चट्टानें, लकड़ी के टुकड़े ;

(छ) विज्ञान क्षेत्र के लिए सामग्रियां :

- प्राकृतिक वस्तुएंः फूल, पत्तियां, शैल, चट्टानें, पाइन कोन्स, पंख, लकड़ी, टहनियाँ, शाखाएँ ;
- जीवित चीजें : पौधे और फूल; मछली के साथ मत्स्यालय/मछली; बर्ड–हाउस, बर्ड–फीडर्स;
- अन्य सामग्रियां : पशु, पौधे, पक्षी, मछली, मानव शरीर, ऋतुएं, मौसम, ग्रह, पर्यावरण जैसी तथ्यात्मक पुस्तकें/पोस्टर ; मानचित्र; ग्लोब; एटलस; प्राकृतिक विषय के साथ खेल (मिलान/सिक्वेंश कार्ड; प्रकृति अथवा प्राकृतिक सीक्वेंश के साथ पहेलियां जैसे कि जीवन चक्र उदाहरण मेंढक, तितली, चिकन, संयंत्र, फ्लोर पहेलियां जैसे कि मानव शरीर (हृदय, फेफड़े आदि।) ;
- विज्ञान और खेलः पिनव्हील्स, विंड–चाइम्स, तो हवा के झोंके जैसे पंखे; लोहे और गैर–लौह मदें के साथ चुंबक ; आवर्धक चश्मा, सिंक और फ्लोट मद; पुली/लीवर; मिलाते हुए डिब्बे, महक के डिब्बे, फीलिंग बॉक्स; रंगीन चश्मा, यथार्थवादी कीड़े।

(ज) गणित / संख्या क्षेत्र के लिए सामग्रीः

- मापनेः तरल / सूखी मापने वाली सेट (कप और चम्मच); तराजू और वजन; कपड़ा को मापने वाला टेप; मीटर छड़ी; रूलर; वाइंड–अप मीटर टेप; थर्मोमीटर, ऊंचाई मापने वाला चार्ट; सेंटीमीटर क्यूब्स।
- आकारः चुंबकीय आकार, किसी भी आकार के खिलौने के लिए पैट्टर या मिलान कार्ड; ऐट्रिब्यूट ब्लॉक (विभिन्न साइज, रंग, आकार, मोटाई के); विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों वाली पहेलियाँ; आकार सॉर्टर्स/ऑर्गनाइजर
- गिनतीः रंगीन मोतियों, जानवरों, वाहनों, पैटर्न कार्ड या छंटाई / गिनती ट्रे के साथ या बिना जैसी छोटी वस्तुएं गिनती करने के लिए; प्ले–मनी; मिलान करने के लिए नम्बर और छेद के साथ पेग्स; खेल या पहेली जहां वस्तुओं की मात्रा लिखित संख्या के साथ मैच की जाती हैं, पासा खेल।
- लिखित नम्बरः नंबर वाली पुस्तकें और पोस्टर; चुंबकीय नम्बर; नम्बर वाली पहेलियाँ; नम्बर लेसिंग कार्ड; प्ले–टेलीफोन; प्ले–मनी; घड़ी; कैलेंडर; फ़्लैश कार्ड।
- मात्राः नेस्टिंग / स्टैकिंग कप; डोमिनोज़; अबेकस; चार्ट और ग्राफ़; अधिक या कम / अंशों को खोजने के लिए खिलौने और खेल; स्नैप–क्यूब्स, सेंटीमीटर क्यूब्स; पहेलियाँ या तीन आयामी ग्रेजुटेड सिलेंडर जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों का एक अनुक्रम दिखाया गया हो।

(झ) संगीत/मूवमेंट क्षेत्र के लिए सामग्रियांः

- म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट : बेल्स, पियानो, ट्रायंगल्स, जाइलोफोन, रिदम स्टिक्स; ड्रम; टैम्बरीन्स, सिम्बल्ज़, टोन–ब्लॉक्स
- डांस प्रॉप्सः स्कार्व्स, रिबन, स्ट्रीमर; हुप्स; कपड़े और जूते (पुरुष और महिला);
- ऑडियो उपकरणः टेप/सीडी प्लेयर, रेडियो; संगीत के विभिन्न प्रकार के टेप/सीडी जैसे, फोक, क्लासिकल, बच्चों के लोकप्रिय गीत, राइम्स, विभिन्न संस्कृतियों से और विभिन्न भाषाओं में संगीत, हेडफोन, गीत–पुस्तकें, माइक्रोफोन ।

(ञ) प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए सामग्रियांः

- ऐसी कहानी का वीडियो जिसे बाल साहित्य माना जाता है।
- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें संख्या, रंग, मिलान आदि जैसी अवधारणाओं को पेश करने की शैक्षिक सामग्रियां है।
- बच्चों और स्टाफ के प्रयोग के लिए वीडियो।
- ऐसे वीडियो जो बच्चों के पाठयक्रम/हितों का समर्थन करते हैं।

महत्वपूर्णः कार्टून, वीडियो, बाल–फिल्म सहित किसी भी ऑडियो/विजुअल उपकरण सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और विकासात्मक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, जिसमें कोई हिंसक, भयावह अथवा यौन विषयक (मुखर) सामग्रियां नहीं होनी चाहिए।

फिजियोथेरेपी उपकरण

क्र.सं.	वस्तु के नाम
1.	पैरेलल बार (पीडियाट्रिक)
2.	स्टेयर क्लाईम्बर
3	स्टेटिक साइकिल
4	स्टैंडिंग फ्रेम
5	रोइंग – मशीन
6	इंटर लॉकिंग मैट
7	कॉर्नर चेयर
8	सीपी चेयर

9	प्रोन क्रॉलर
10	प्रोन वैज
11	बोल्स्टर
12	थेरेपी बॉल
13	हैण्ड बॉल
14	बैलेंस बोर्ड
15	स्कूटर बोर्ड
16	ट्रेम्पोलिन

ऑक्यूपेशनल थेरेपी उपकरण

क्र.सं.	वस्तु के नाम
1.	विभिन्न प्रकार के कागज (कार्डबोर्ड, सैंडपेपर, टिश्यू आदि)
2.	बोर्ड गेम्स और पज़ल्स
3	प्ले डफएंड कुकी कटर
4	नट और बोल्ट
5	सेंसरी बिन्स / बॉक्सेस
6	शेप सॉर्टर्स

7	फिंगर पेंटिंग सामग्रियां
8	विविध रंगों के साथ कलरिंग बुक (विभिन्न आकार और टेक्सचर)
9	बीड्सएंड स्ट्रिंग (विभिन्न आकार, रंग और टेक्सचर)
10	बिल्डिंग ब्लॉक (विभिन्न आकार, रंग और टेक्सचर)
11	थेरेपी बॉल और बोल्स्टर
12	ग्रिप स्ट्रेंग्थेनर (विभिन्न ग्रिप)
13	सुरक्षा कैंची (विभिन्न आकार और पैटर्न)
14	पेपर पंचिंग मशीनें (विभिन्न आकार और पैटर्न)
15	नेत्र–हस्त समन्वय के लिए सामग्रियां
16	द्विपक्षीय समन्वय के लिए सामग्रियां
17	कोर– स्ट्रेंग्थेनिंग के लिए एक्टिविटीज आधारित सामग्रियां
18	विजुअल–मोटर इंटीग्रेशन के लिए सामग्रियां
19	ज़िप, स्नैप और बटन ड्रेसिंग फ्रेम
20	स्टैकिंग, सिक्केंसिंग और मैनीपुलेशन टॉयज

प्ले थेरेपी उपकरण

क्र.सं.	**वस्तु के नाम**
1.	बॉलपूल

2.	प्ले–डफ / क्ले
3.	स्विशी बॉल
4.	पपेट्स
5.	टेक्टाइल वाल
6.	इंडोर बास्केट बॉल
7.	गुड़िया, जानवरों के खिलौने, वाहन आदि।
8.	मैजिक / काइनेटिक सैंड
9.	फ्लोरमैट
10.	स्किटल्स
11.	स्विंग्स
12.	खिलौने और सॉफ्ट–टॉयज बनाए जाने चाहिए
13.	फेस मास्क
14.	पेंटसेट
15.	सिम्बल्स
16.	टॉय टनल

स्पीच थेरेपी उपकरण

क्र.सं.	**वस्तु के नाम**
1.	थेरेपीमैट
2.	थ्मरर
3.	टोर्च
4.	हैंड सैनिटाइजर और टिश्यू
5.	फ्लैश कार्ड (फल, सब्जियां, जानवर, आम वस्तुएं, एक्शन कार्ड, वाहन, स्वयं सहायता

	कौशल, अच्छी आदतें, शरीर के अंग, संख्या, आकार, रंग आदि)
6.	खिलौना सामग्रियां (जानवर, फल, सब्जियां, वाहन आदि)
7.	साउंड मेकिंग टॉयज
8.	प्ले–डफ/क्ले
9.	पिक्चरचार्ट (बेबी एनिमल, पक्षी, कीड़े, सुरक्षा, मेरापरिवार, राइम, रंग, पीपल एट वर्क, वर्ल्ड ऑफ़ फ्लैग्स, फूल आदि)
10.	कलरिंग पुस्तक और रंग
11.	आई गेज़– टॉयज
12.	स्टिकर – फल, सब्जियां आदि
13.	फिंगर पपेट्स
14.	बीनबैग
15.	ड्राइंग और स्टोरी बुक्स
16.	प्रीटेंड प्ले किट (किचन सेट/डॉक्टर सेट आदि)
17.	विजुअल स्टिमुलेशन टॉयज
18.	सेंसरीमैट
19.	पेग बोर्ड्स ऑफ़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स

संसाधन कक्ष सामग्रियां

क्र.सं.	वस्तु के नाम
1.	बॉडी पार्ट्स पज़ल्स
2.	सब्जियांः मॉडल
3.	फलः मॉडल
4.	नॉब के साथ स्वर (क्षेत्रीय भाषा)
5.	प्रीराइटिंगपैटर्न

6.	ग्रोथ पजल
7.	अंग्रेजी वर्णमाला ट्रे– अपर केस
8.	अंग्रेजी वर्णमाला ट्रे– लोअर केस
9.	शेप्सबोर्ड
10.	बिल्ड एटॉवरः सर्कल, स्क्वायर, क्यूब्स
11.	पज़ल्स
12.	फ्लैशकार्ड – वर्णमाला, संख्याएं, आकार, रंग, पशु, फल, सब्जियां, जानवर, एक्शन, पक्षी, फूल, वाहन
13.	विभिन्न आकार, रंग, टेक्सचरकेबीड्स
14.	ट्रेसिंग स्टेंसिल – अंग्रेजी, हिंदी/क्षेत्रीय भाषा
15.	ड्रेसिंगफ्रेम
16.	गुड हैबिट्स फ्लैशकार्ड
17.	अर्ली मेमोरी गेम्स
18.	स्टोरी टेलिंग फ्लैशकार्ड
19.	सॉफ्ट टॉयज, स्टफ्ड एनिमल्स, डॉल्स
20.	बागवानी सेट

21.	**प्री–स्कूल सीरीज** 1. मेरी पहली पक्षियों की पुस्तक 2. मेरी पहली जानवरों की पुस्तक 3. मेरी पहली सब्जियों की पुस्तक 4. मेरी पहली संख्याओं की पुस्तक 5. मेरी पहली फलों की पुस्तक
22.	**पुस्तकेंः एलकेजी**

	1. प्राथमिक अंग्रेजी 2. क्षेत्रीय भाषा में राइम 3. आल इन वन – टर्म 1 4. आल इन वन – टर्म 2 5. आल इन वन – टर्म 3
23.	**पुस्तकें: यूकेजी** 1. क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकें 2. आल इन वन टर्म 1 3. आल इन वन टर्म 2 4. आल इन वन टर्म 3

विशेष स्कूलों के लिए मॉडल परियोजनाएं

दिव्यांग बच्चों के लिए गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए विशेष स्कूल

विशेष स्कूलों का उद्देश्य शिक्षण की नियमित संस्थाओं में और सामान्यतः समाज में उनके एकीकरण के लिए दैनिक आजीविका निर्वाह की बुनियादी गतिविधियों जैसे मूलभूत कौशल अर्जित करने के माध्यम से दिव्यांग बच्चो के आजीविका निर्वाह में व्यवहार्य सुधार लाने के अंतिम लक्ष्य के साथ आवसीय के साथ–साथ गैर आवासीय देखभाल प्रदान करना है। दिव्यांग बच्चे के प्रत्येक उप वर्ग की जरूरतों के आधार पर विहित इनपुट, जिनसे व्यावहारात्मक परिवर्तन, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं में अभिवृद्धि (विशेषकर बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में) और विशेषीकृत कौशल जिससे पुनर्वास प्रक्रिया सरल होती है, संक्षिप्त रूप से इन संस्थानों के पाठ्यक्रम होते हैं। शारीरिक गतिविधियां जो बाहरी दुनिया के संबंध में सुधार लाती हैं, जैसे नृत्य, अभिनय, योग, मार्शल आर्ट और वे गतिविधियां जो सुरूचिपूर्ण प्रेरणा जैसे संगीत, चित्रकला और अन्य रचनात्मक व्यावसायिक इनपुट उपलब्ध कराती है, इन संस्थानों से अपेक्षित इनपुट हैं।

यह वांछनीय है कि स्वैच्छिक संगठन एक प्रकार की दिव्यांगता और/अथवा बहु दिव्यांग लाभार्थियों पर ध्यान केन्द्रित करें और न कि मिश्रित दिव्यांगता वर्गों में अपनी गतिविधियां का प्रसार करें। **क्रॉस दिव्यांगता के मामले में, पात्रता को किसी विशेष दिव्यांगता के लिए पात्र लाभार्थियों की न्यूनतम संख्या के अध्यधीन माना जाएगा, जिसके बाद योजना की मॉडल परियोजना के अनुसार योग्य शिक्षकों की अपेक्षित संख्या और पेशेवरों की सेवाएं प्रदान की जाएंगी।** पीआईए को उनके

प्रचालन स्थानों में दिव्यांगजनों को दी जा रही सेवाओं में आपसी तालमेल प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए आसपास के मौजूदा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त संबंधित सेवाओं का इष्टतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विशेष स्कूलों का अंतिम उद्देश्य, आदर्श रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को नियमित स्कूलों/संस्थाओं में समावेशन के प्रति होना चाहिए और इस प्रकार मुख्यधारा में उनके एकीकरण को सुगम करना है। इस परिदृश्य में इन संस्थाओं की भूमिका संसाधन प्रदाताओं और समन्वयकों की होनी चाहिए।

परियोजना के अंतर्गत सहायता अनुदान मांगने वाले प्रत्येक संगठन को लाभार्थियों को हर कार्य दिवस पर गर्म भोजन प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में कक्षाएं प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम 6 घंटे होनी चाहिए।

जबकि विशेष स्कूल के लिए सहायता, विभाग द्वारा दिव्यांग छात्रों के मुख्य उपवर्ग के लिए जारी की जाती है, गतिविषयक दिव्यांग विद्याथियों के लिए, विभाग इस वर्ग के व्यक्तियों को नियमित स्कूल से जोड़ने के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, न कि इनके लिए पृथक स्कूल को प्रोत्साहित करना है, इसके पीछे सिद्धांत यह है कि दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है।

पर्यावरण अनुकूल एवं पारिस्थितकी परियोजना का प्रावधान विशेष स्कूलों का हिस्सा होगा।

> ''इसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों द्वारा उद्यान लगाना, बागवानी नर्सरी का निर्माण, पेड़ लगाने इत्यादि जैसी पर्यावरण अनुकूल और पारिस्थितकी प्रोत्साहक परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है।

विशेष स्कूल जिन्हें दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा हैः–

1. **श्रवण दिव्यांगता वाले बच्चों की विशेष शिक्षा के लिए विशेष स्कूल**
2. **कम दृष्टि के लिए केंद्र के विकल्प के साथ दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों (बधिर–दृष्टिहीन सहित) के लिए विशेष स्कूल**
3. **अन्य दिव्यांग बच्चों (बौद्धिक दिव्यांगता, प्रमस्तिष्क घात, ऑटिस्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर, बहु दिव्यांगता, बधिर–दृष्टिहीन आदि) के लिए विशेष स्कूल।**

II गृह–आधारित पुनर्वास / समुदाय–आधारित पुनर्वास के विकल्प के साथ श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष स्कूल

श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में, भाषा और संचार कौशल एवं शिक्षाविदों के विकास पर जोर दिया गया है। इस मॉडल परियोजना के लिए विशेष शिक्षा का मूल उद्देश्य श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के माध्यम से यथासंभव सामान्य जीवन–यापन में सहायता करना है।

1. उद्देश्यः

i. विशेष शिक्षा को सुगम्य बनाने के माध्यम से श्रवण बाधितों को उत्पादक नागरिक बनने हेतु सशक्त एवं सक्षम बनाना।

ii. उम्र के अनुसार समुचित और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना।

iii. सांकेतिक भाषा के माध्यम से श्रवण बाधित बच्चों में संप्रेषण कौशल को सुगम्य बनाना, जहॉ कहीं भी उपयुक्त हो।

iv. श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों को उनकी बची हुई श्रवण क्षमता को अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग करने में सहायता करना।

v. श्रवण दिव्यांग बच्चों को ग्रहणशील और अर्थपूर्ण भाषा कौशल अर्जित करने में सहायता करना।

vi. श्रवण दिव्यांग बच्चों को उनके वाक् कौशल में सुधार लाने में सहायता करना।

vii. शैक्षणिक एकीकरण के लिए अवसर तैयार करने और उपलब्ध करवाने हेतु सामान्य साक्षरता स्तरों का सामना करना जिस कारण अंततोगत्वा सामाजिक एकीकरण होगा।

viii. श्रवण दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए अभिभावकों को शामिल करना और इसमें उनकी भागीदारी की भूमिका के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना।

ix. श्रवण दिव्यांग बच्चों को समाज में अन्य लोगों के साथ भावनात्मक रूप से संतोषप्रद पारस्परिक संबंध विकसित करने में सहायता करना।

x. श्रवण दिव्यांग बच्चों की संवृद्धि एवं विकास के लिए एक अच्छा वातावरण उपलब्ध करने को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से समाज में जागरूकता पैदा करना।

xi. एकीकृत/समावेशी कार्यक्रम संचालित करने वाले नियमित स्कूलों में अपने बच्चों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना।

2. परियोजना का आकारः

यह मानते हुए कि शिक्षकःलाभार्थी अनुपात 1:8 है, प्रत्येक स्कूल के लिए 40 (प्रत्येक 15 लाभार्थियों के अतिरिक्त यूनिट के प्रावधान के साथ) बच्चों की कुल संख्या के साथ स्कूल का आकार इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें श्रेणीकरण के आवश्यक स्तर हो। **विशेष स्कूल के लाभार्थियों की कालक्रमबद्ध उम्र 5 से 18 वर्ष होनी चाहिए।** 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्री–स्कूल और प्रारंभिक उपचार परियोजनाओं जैसी प्रोफाइल परियोजना के अंतर्गत कवर किया जाना अपेक्षित हैं। तथापि, स्कूलों को बच्चों से नियमित स्कूल के साथ एकीकृत करने के यथाशीघ्र प्रयास करना आवश्यक है। उन

बच्चों को जो नियमित स्कूलों के साथ एकीकृत हो गए हैं, विशेष स्कूल को यथापेक्षित उपचारात्मक और सहायक उपाय प्रदान करते रहना चाहिए।

3. अवसंरचनाः

स्कूल की अवसंरचनात्मक व्यवस्था में श्रवण बाधित छात्रों के लिए उपयुक्त न्यूनतम 04 कक्षाएं (आकार 250 वर्ग फुट) और 01 थेरेपी / भाषा हस्तक्षेप कक्ष (आकार 200 वर्ग फुट) होनी चाहिए। 15 लाभार्थियों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए, प्रत्येक के लिए 250 वर्ग फुट आकार के न्यूनतम 02 अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है। आउटडोर/खेलने के लिए जगह का प्रावधान वांछनीय है।

प्रारंभिक इकाई क्षमता	40
अतिरिक्त इकाई क्षमता	15

4. स्वीकार्य सहायताः

पहली पीबीसी प्रतिवर्ष	57828 रूपए
संशोधित पीबीसी प्रतिवर्ष	57828 रूपए
आवासीय लाभार्थियों के लिए पीबीसी प्रतिमाह	5320 रूपए
गैर–आवासीय लाभार्थियों के लिए पीबीसी प्रतिमाह	4320 रूपए

आवर्ती और गैर–आवर्ती	
1. फर्नीचर (अल्प लागत वाले बहु उद्देशीय और अनुकूलित फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए) प्रति लाभार्थी के लिए अधिकतम 2000 रूपए तक (3 वर्ष में एक बार) (2000*40)	80000/-रूपए
2. खेलकूद उपकरण/अनुकूलित खेलकूद उपकरण, (10000 रूपए अथवा वास्तविक, जो भी कम हो)(3 वर्ष में एक बार)	10000/-रूपए

3. कंप्यूटरीकृत वाक् चिकित्सा उपकरण	इस मॉडल परियोजना के नीचे दिए गए अनुसार
4. व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास उपकरण	
5. वाक् और भाषा उपचार सामग्री	
6. ऑडियोलॉजी उपकरण	
7. कंप्यूटर हार्डवेयर एवं एक्सेसरीज (5 वर्ष में एक बार)	50000/-रूपए
8. कच्चा माल (वीटीसी हेतु 50 लाभार्थियों के लिए 100000 रुपये प्रति वर्ष । उसके बाद अगले 20 लाभार्थियों के लिए 20000 रुपये अधिकतम 2 लाख रुपये तक)	100000/-रूपए (50 लाभार्थियों के लिए)
9. विशेषीकृत सॉफ्टवेयर (जैसे ऑडियों फाइल में पाठ रूपांतरण करना) (किसी प्राधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन के अनुसार वास्तविक लागत के अधीन)	60000/-रूपए
10. संसाधन कक्ष /पुस्तकालय (पहले वर्ष के लिए 10000 रुपये / बाद के वर्षों के लिए 5000 रुपये)	10000रूपए (एक बार)/5000 (आवर्ती)
10. विशेष शिक्षण और अधिगम सामग्री	60000/-रूपए

संगठन द्वारा मॉडल परियोजना के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिएः–

पद	पदों की संख्या
1. प्रधानाचार्य (पूरी परियोजना के लिए)	1
2. विशेष शिक्षक (शिक्षक – लाभार्थी का 1:8 अनुपात) 40 लाभार्थियों के लिए (विशेष प्रशिक्षका (टीजीटी) : पीआरटी (विशेष शिक्षक) का अनुपात 2:3 होना चाहिए)	5
3. ऑडियोलोजिस्ट और वाक् चिकित्सक (अंशकालिक, प्रति सप्ताह दो अनिवार्य दौरे के साथ प्रति दौरे के आधार पर)	1

4. ईएनटी विशेषज्ञ (अंशकालिक) (प्रति माह एक दौरे के साथ प्रति दौरे के आधार पर)	1
5. मेडिकल चिकित्सक (अंशकालिक, प्रति सप्ताह एक अनिवार्य दौरे के साथ प्रति दौरे के आधार पर)	1
6. वोकेशनल इंस्ट्रक्टर (1 अतिरिक्त वोकेशनल इंस्ट्रक्टर यदि लाभार्थी 60 से अधिक हो)	1
7. लेखाकार (पूरी परियोजना के लिए)	1
8. सफाई कर्मचारी–सह चपरासी (पूरी परियोजना के लिए)	1
9. परिचारक/आया (अतिरिक्त 30 लाभार्थियों के लिए 1 आया)	1
10. वार्डन (केवल पूरी परियोजना के लिए हॉस्टल के लिए लागू)	1
11. रसोईयां और हेल्पर (पूरी परियोजना के लिए)	1 (प्रत्येक)
12. प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अतिरिक्त विशेष शिक्षक	प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए, 40 लाभार्थियों से अधिक; 02 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है।
13. अतिरिक्त ऑडियोलोजिस्ट और भाषाा चिकित्सक के दौरे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए	प्रत्येक 30 लाभार्थियों के लिए, 40 लाभार्थियों से अधिक; 01 दौरा प्रति सप्ताह प्रति भाषा चिकित्सक की आवश्यकता होती है।
14. परिवहन	मानदेय का 10 प्रतिशत

टिप्पणियां:

1. स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बडा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ–साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
2. किराए के लिए सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। स्वामित्व वाले भवन के मामले में, इसका रखरखाव **अनुबंध–XIII** के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
3. **शिक्षक – छात्र अनुपात का मौजूदा मानदंड 1:8 रखा गया है।** तथापि, निधियन की सीमा विभिन्न कारकों यथा सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, पीआईए की वित्तीय क्षमता, सेवा प्रदायगी और पीआईए के गतिविधि स्तर, संगठन आदि द्वारा प्रस्तुत जरूरत एवं औचित्य पर निर्भर करेगा।
4. आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।
5. परिवहन भत्ता, स्टाईपेंड और छात्रावास रखरखाव पीआईए द्वारा बनाए रखा जाएगा यदि यह सेवाएं प्रदान कर रहा है।
6. आवासीय छात्रों के लिए छात्रावास रखरखाव अनुदान, भोजन और अन्य आवासीय व्ययों को पूरा करने के लिए लक्षित है। इस मद में अधिकतम सीमा 2125 रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी होगी। प्रशिक्षुओं/लाभार्थियों को उनके सीमित व्यय को कवर करने के लिए 500 रुपए प्रतिमाह अनुमत होगा। गैर–आवासीय छात्रों (डे–बोडर्स) को संगठन द्वारा मध्याह्न भोजन प्रदान किए जाने के कारण पीआईए द्वारा स्टाईपेंड रखा जा सकता है।
7. यह अपेक्षित है कि वार्डन की ड्यूटी का निष्पादन कर्मचारियों के मौजूदा सदस्यों में से किसी एक द्वारा अतिरिक्त भत्ता अथवा मानदेय के लिए की जाती है। वार्डन के पद के लिए उसी स्थिति में विचार किया जाएगा जहां अन्य कर्मचारी – विशेषकर, शिक्षक/प्रशिक्षक/प्रशासनिक पदाधिकारी, इस अतिरिक्त जिम्मेवारी को नहीं ले सकते हैं अथवा जहॉ पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के लिए आवासीय सुविधाएं हैं। यह सभी प्रकार की आवासीय सुविधाओं पर लागू होगा।
8. नियुक्त किए गए विशेष शिक्षा शिक्षकों को योग्य होना चाहिए और परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांतगता क्षेत्र में आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए।
9. स्थानीय परियोजना समिति के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन और इसकी रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अनुबंध

श्रवण बाधित बच्चों के लिए परियोजनाओं के लिए अनुशंसित शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री और उपकरणों की निर्देशात्मक सूची

स्पीच थेरेपी उपकरण/भाषा हस्तक्षेप उपकरण/शिक्षण–अधिगम सामग्री पर अधिक बल/ध्यान दिया जाना है।

शिक्षण अधिगम सामग्री की सूची

क्र.सं.	आवश्यक वस्तुएँ	विवरण
1	पप्पेट्स (कठपुतलियां)	1. जानवर के आकार में 2. मानव आकार में 3. पक्षियों के आकार में
2	3 टुकड़ों से अधिक जटिलता के साथ पहेलियाँ	1. जानवरों 2. वाहन 3. चित्र बनाना 4. आकार फिक्सिंग बोर्ड 5. आकार और रंग छँटाई
3	बोर्ड के खेल	1. सांप और सीढ़ी 2. बिजिनिस 3. स्क्रेबल 4. जंपिंग फ्रोग्स
4	चार्ट	1. शरीर के अंग 2. फल 3. सब्ज़ियाँ 4. वाहन 5. पक्षी 6. नंबर

		7. वर्णमाला
5	**कौशल बोर्ड**	1. बटन लगाना, 2. लेसिंग
6	**ध्वनि सृजन सामग्री**	1. झांज 2. ढफ 3. सीटी 4. घंटी 5. दबाने वाले खिलौने
7	**फ्लैश कार्ड**	1. एक्शन कार्ड 2. पिक्चर टू पिक्चर मैचिंग 3. कहानी कार्ड 4. फल/सब्जियां/वाहन/पक्षी/ जानवर/फूल 5. अंतर ढूढ़ना 6. जोड़े बनाना
8	**नाटकीय खिलौनें**	1. रसोई सेट 2. डॉक्टर सेट 3. दुकान किट 4. कटिंग सेट 5. गुड़िया स्नान सेट 6. गुड़िया घर
9	**ब्लाक**	1. बिल्डिंग कार, टावर्स, हाउस 2. लॉजिक ब्लॉक 3. खूंटी बोर्ड
10.	**पुस्तक**	1. कहानी की पुस्तकें

		2. ज्ञान की किताबें 3. कला और शिल्प पुस्तकें 4. पढ़ने की किताबें 5. राइम्स 6. पाठ्यचर्या आधारित अध्ययन सामग्री
1 1	**ऑडियो विजुअल**	प्रोजेक्टर के साथ कंप्यूटर शैक्षिक वीडियो

II. खेल/अनुकूलित खेल उपकरण की सूची

क्र.सं.	खेल	विवरण
15.	हर्डल्स	हाइट एडजेस्टेंबल हर्डल्स सेट
16.	बैलेंस स्टोन्स	--
17.	एजिलिटी लेडर्स	--
18.	रबर फ्लोर मैट	--
19.	जेवेलियन रॉड	--
20.	थ्रो बॉल	--
21.	डिस्क थ्रो	---
22.	रिले रॉड्स	---
23.	क्लाकइंबर्स	---
24.	हुला हूप रिंग	
25.	स्किपिंग रोप्स	
26.	क्रिकेट	1. बेट 2. बॉल

		3. स्टंप 4. गलव्स 5. पैड 6. हेलमेट
27.	बैडमिंटन	1. रैकेट 2. शटल कॉक 3. नेट
28.	फुटबॉल	1. फुटबॉल 2. नेट 3. गलव्स 4. पैड

III. संसाधन कक्ष सामग्री की सूची

क्र.सं.	समान
1	इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर
2	शैक्षिक सीडी
3	वर्कशीट और लेखन सामग्री जैसे पेंसिल ग्रिपर, क्रेयॉन, वॉटर कलर, क्रेयॉन आदि
4	चार्ट पेपर
5	शिल्प सामग्री
6	संचार बोर्ड
7	शिक्षक ने अनुकूलित पठन सामग्री बनाई
8	फ्लैश कार्ड और वाक्य स्ट्रिप्स
9	व्यक्तिगत पाठ योजनाएं
10	चिकित्सा सामग्री

11	संवेदी प्रशिक्षण सामग्री

IV. कम्प्यूटरीकृत भाषा चिकित्सा उपकरण की सूची

क्र.सं.	प्रयोजन	उपकरण का नाम
1	निदान और चिकित्सा	डॉ स्पीऔच विसी पिच

V. विशिष्ट कंप्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर / सहायक उपकरण की सूची

क्र.सं.	प्रयोजन	वस्तु
1	भाषा रिकॉर्डिंग के लिए	कंप्यूटर और डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर
2	वैकल्पिक संवर्धित संचार	जेलो एएसी भाषा संचारक

VI. वाक् और भाषा हस्तक्षेप सामग्री की सूची

क्र.सं.	प्रयोजन	समग्री
1	मूल्यांकन	फोटो आर्टिक्यूलेशन टेस्ट भाषा प्रोफ़ाइल परीक्षण ग्रहणशील और अभिव्यंजक उभरती हुई भाषा का पैमाना जीएईएल–पी
2	चिकित्सा	फ्लैश कार्ड वाक्य स्ट्रिप्स चित्र कार्ड क्रिया कार्ड पहेली

		पठन सामग्री जैसे कहानी की किताबें चित्र चार्ट और पुस्तकें खिलौने गुब्बारे, तिनके आदि जैसे उड़ाने वाली सामग्री

VII .ऑडियोलॉजी उपकरण की सूची

क्र.सं.	प्रयोजन	वस्तु
1	एम्पिलिफिकेशन उपकरण	कान की मशीन एफएम सिस्टम (आवश्यक नहीं)
2	श्रवण यंत्रों की शूटिंग में समस्या के लिए	ओटोस्काप स्टेटोक्लिप हियरिंग –एड श्रोता ड्राई किट बटन और पेंसिल सेल मल्टीमीटर
3	श्रवण परीक्षण के लिए	1. वीआरए सेट अप और स्पीच के साथ सिंगल चैनल ऑडियोमीटर (साउंड प्रूफ रूम के लिए आवश्यक) 2. डमरू, डफली , लकड़ी की खड़ताल, पॉम रैटल , गढ़वा, स्टील की घंटी जैसे शोर करने वाले) 3. कंडीशनिंग सामग्री जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्टैकिंग रिंग्स आदि
4	श्रवण यंत्र प्रोग्रामिंग के लिए	1. हियरिंग एड एनालाइजर 2. हाई–प्रो हियरिंग एड प्रोग्रामर

टिप्पणी : उपरोक्त सूची मात्र निर्देशात्मक हैं। स्कूलों और पुनर्वास केन्द्रों के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण सामग्री का सटीक प्रकार और स्वरूप और व्यावसायिक प्रशिक्षण/संरक्षक कार्यशाला के लिए उपकरण और सहायता की आवधिकता के संबंध में मामला दर मामला गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा। इस शीर्ष के अंतर्गत सहायता की सीमा, शिक्षण और

प्रशिक्षण सामग्री के लिए 60,000 रुपए की अधिकतम सीमा और व्यावसायिक और पुनर्वास उपकरणों के लिए 200000 रुपए की अधिकतम सीमा के अंदर विनियमित की जाएगी।

III. गृह–आधारित पुनर्वास / समुदाय–आधारित पुनर्वास और कम दृष्टि वालों के लिए केंद्र के विकल्प के साथ दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल (बधिर–दृष्टिहीन)

दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में, संचार कौशल और अन्य संवेदी क्षमताओं को विकसित करने पर जोर दिया जाता है, इसका अंतिम उद्देश्य इन बच्चों को अधिगम के नियमित संस्थानों और समग्र रू‍प से समाज के साथ एकीकृत करना है।

1. **उद्देश्यः**

i. ब्रैल लिपि के उपयोग के माध्यम से संचार और भाषा कौशल में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।

ii. दृष्टि दिव्यांग बच्चों के गतिशीलता कौशल और आवश्यक सहायक यंत्र एवं उपकरण के प्रयोग की सुविधा में सुधार लाना।

iii. दैनिक जीवन–यापन कौशल के प्रबंधन पर विशेष इनपुट प्रदान करना।

iv. बहु–संवेदी प्रशिक्षण पर विशेष निर्देश के माध्यम से अन्य कार्यात्मक इंद्रियबोध – शक्ति को सशक्त बनाना।

v. शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिवेश के संदर्भ में विशेष अनुकूलन (ओरिएंटेशन) शिक्षा प्रदान करना।

vi. शैक्षणिक एकीकरण के लिए अवसर तैयार करने और उपलब्ध करवाने हेतु सामान्य साक्षरता स्तर का सामना करना, जिससे आगे चलकर अंततः सामाजिक एकीकरण होगा।

vii. माता–पिता को उनके बच्चों के शैक्षणिक विकास में शामिल करना और उन्हें भागीदारी की भूमिका के लिए प्रोत्साहित करना।

viii. नियमित स्कूल में एकीकरण के लिए छात्रों को यथासंभव तैयार करना।

ix. दृष्टि दिव्यांग बच्चों को एकीकृत/समावेशी स्कूलों में पढ़ने के लिए सहायता सेवाएं उपलब्ध करना।

2. **परियोजना का आकारः**

(क) विशेष स्कूल के लाभार्थियों की कालक्रमबद्ध उम्र 5 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ख) स्कूल का आकार इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह स्कूल प्राथमिक या माध्यमिक स्तर का संस्थान या दोनों स्तरों का है, किसी भी स्थिति में प्रति यूनिट विहित आकार 40 लाभार्थियों (प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त यूनिटों के प्रावधान के साथ) के लिए होगा। यह मानते हुए कि शिक्षक/छात्र अनुपात 1:8 से 1:15 के बीच

है। (कक्षा VI तक, जो प्राथमिक विद्यालय हैं) 1:15 (कक्षा VII से XII के लिए)

3. **अवसंरचनाः**

स्कूल की अवसंरचनात्मक व्यवस्था सुगम्य और बाधामुक्त से मुक्त होनी चाहिए। दृष्टि बाधित वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 05 कक्षाएं (250 वर्ग फुट आकार की) होनी चाहिए। 04 छात्रों की प्रत्येक बधिर–दृष्टिहीन इकाई के लिए 01 अतिरिक्त कमरे की आवश्यकता है, 15 लाभार्थियों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए, 250 वर्ग फुट आकार के न्यूनतम 02 अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होती है। आउटडोर / प्ले एरिया का प्रावधान वांछनीय है।

प्रारंभिक इकाई क्षमता	40
अतिरिक्त इकाई क्षमता	15

दृष्टि बाधित वाले बच्चों (बधिर–दृष्टिहीन सहित) की विशेष शिक्षा के लिए स्कूल के लिए सहायता की सीमा निम्नानुसार होगी।

पहली पीबीसी प्रतिवर्ष	58923/-रूपए
संशोधित पीबीसी प्रतिवर्ष	58923/-रूपए
आवासीय लाभार्थियों के लिए पीबीसी प्रतिमाह	5410/-रूपए
गैर–आवासीय लाभार्थियों के लिए पीबीसी प्रतिमाह	4410/-रूपए

आवर्ती और गैर–आवर्ती	
1. फर्नीचर (अल्प लागत वाले बहु उद्देशीय और अनुकूलित फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए) वास्तविक आवश्यकताओं के मूल्यांकन के अध्यधीन अधिकतम 2000 रूपए प्रति लाभार्थी (3 वर्ष में एक बार) (2000*40)	80000रूपए
2. खेलकूद उपकरण/अनुकूलित खेलकूद उपकरण (3 वर्ष में एक बार)	10000 रूपए

3. कंप्यूटर हार्डवेयर एवं एक्सेसरीज (सहायक सामग्री) (किसी प्राधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन के अनुसार वास्तविक लागत के अध्यधीन) (5 वर्ष में एक बार)	50000 रूपए
4. विशेषकृत साफ्टवेयर (जैसे स्क्रीन रीडिंग/जेएडब्ल्यूएस) (किसी प्राधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन के अनुसार वास्तविक लागत के अध्यधीन)	60000 रूपए
5. ब्रैल स्लेटस, ब्रैलर्स, थर्मा फोम, अंकगणित फ्रेम, एबेकस, ज्यामिति किट्स, विज्ञान शिक्षण किट्स, विशेष शिक्षण सहायक यंत्र एवं खिलौने।	इस मॉडल परियोजना के नीचे दिए अनुसार
6. व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास उपकरण	
7. कच्चा माल (वीटीसी के लिए 50 लाभार्थियों के लिए 100000 रुपये प्रति वर्ष, उसके बाद अगले 20 लाभार्थियों के लिए 20000 रुपये अधिकतम 2 लाख रुपये तक)	10000 रूपए (50 लाभार्थियों के लिए)
8. अतिरिक्त घटक – 04 छात्रों की प्रत्येक डीबी इकाई : फर्नीचर और फिक्सचर	10000 रूपए
9. अतिरिक्त घटक – 04 छात्रों की प्रत्येक डीबी इकाई : उपकरण और टीएलएम	50000 रूपए
10. संसाधन कक्ष /पुस्तकालय (पहले वर्ष के लिए 10000 रुपये / बाद के वर्षों के लिए 5000 रुपये)	10000 रूपए (एक) / 5000 (आवर्ती)
11. विशेष शिक्षण और अधिगम सामग्री	

4. संगठन द्वारा परियोजना के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिएः–

पद	पदों की संख्या

1. प्रधानाचार्य (पूरी परियोजना के लिए)	1
2. प्रशिक्षित शिक्षक (टीजीटी) (शिक्षक – छात्र अनुपात 1:15 से 1:8)	5
3. वोकेशनल इंस्ट्रक्टर (1 अतिरिक्त वोकेशनल इंस्ट्रक्टर यदि लाभार्थी 60 से अधिक)	1
4.मेडिकल डॉक्टर (यदि पीआईए ने कम दृष्टि केंद्र का विकल्प चुना है तो उसी की सेवाएं ली जानी चाहिए)	अंशकालिक प्रति सप्ताह 1 अनिवार्य यात्रा के साथ प्रति यात्रा आधार पर
5.लेखाकार (पूरी परियोजना के लिए)	1
6.सफाई कर्मचारी–सह चपरासी (पूरी परियोजना के लिए)	1
7.परिचारक/आया (अतिरिक्त 30 लाभार्थियों के लिए)	1
8.वार्डन (केवल हॉस्टल के लिए लागू)	1
9.रसोईयां और हेल्पर (पूरी परियोजना के लिए)	1
10.प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अतिरिक्त विशेष शिक्षक	प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए, 40 लाभार्थियों से अधिक; 02 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है।
11. बधिर–दृष्टि बाधित छात्रों के लिए अतिरिक्त विशेष शिक्षक (1:4 अनुपात)	बधिर –दृष्टि बाधित छात्रों की संख्या के अनुसार
12. परिचारक / डीबी छात्रों के लिए आया (1 : 8 अनुपात)	बधिर –दृष्टि बाधित छात्रों की संख्या के अनुसार
13. परिवहन	मानदेय का 10 प्रतिशत

***** कम दृष्टि केंद्रों के लिए वैकल्पिक घटक**

5. उद्देश्य:

- पहचान, मूल्यांकन, परामर्श (काउंसलिंग) और प्रशिक्षण
- दृष्टि दक्षता में सुधार
- स्वतंत्रता में वृद्धि

अवसंरचना आवश्यकता: 02 कमरा (250 वर्ग फुट आकार प्रत्येक)

परियोजना के लिए संगठन द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए :

पद	पदों की संख्या
1. नेत्र रोग विशेषज्ञ (अंशकालिक)	2 अनिवार्य दौरे प्रति सप्ताह 980 /–रूपये के दर से
2. कम दृष्टि पुनर्वास सहायक	1
3. चपरासी/ परिचारक/ सहायक	1
4. परिवहन	मानदेय का 10 प्रतिशत

टिप्पणी

1. स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बडा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ–साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
2. किराए के प्रति सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। स्वामित्व वाले भवन के मामले में, इसका रखरखाव **अनुबंध–XIII** के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
3. शिक्षक–छात्र अनुपात का मौजूदा मानदंड 1:15 (सामन्य) से 1:8 (प्राथमिक विद्यालय) के बीच रखा गया है। तथापि, निधियन की सीमा विभिन्न कारकों यथा सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, पीआईए की वित्तीयि क्षमता, सेवा प्रदायगी और पीआईए के गतिविधि स्तर, संगठन द्वारा प्रस्तुत जरूरत एवं औचित्यी पर निर्भर करेगा। योग्य मामलों और प्राथमिक स्कूलों के मामलों में 1:15 से अधिक अनुपात पर विचार किया जाएगा।
4. परिवहन भत्ता, स्टाईपेंड और छात्रावास रखरखाव पीआईए द्वारा बनाए रखा जाएगा यदि यह सेवाएं प्रदान कर रहा है।

5. आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।
6. आवासीय छात्रों के लिए छात्रावास रखरखाव अनुदान, भोजन और अन्य आवासीय व्ययों को पूरा करने के लिए लक्षित है। इस मद में अधिकतम सीमा 2125 रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी होगी। गैर–आवासीय छात्रों (डे–बोडर्स) को संगठन द्वारा मध्याह्न भोजन प्रदान किए जाने के कारण पीआईए द्वारा स्टाईपेंड रखा जा सकता है।
7. यह अपेक्षित है कि वार्डन की ड्यूटी का निष्पादन कर्मचारियों के मौजूदा सदस्यों में से किसी एक द्वारा अतिरिक्त भत्ता अथवा मानदेय के लिए की जाती है। वार्डन के पद के लिए उसी स्थिति में विचार किया जाएगा जब अन्य कर्मचारी, विशेषकर, शिक्षक, प्रशिक्षक / प्रशासनिक पदधारी, यह अतिरिक्त जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं अथवा जहॉ पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के लिए आवासीय सुविधाएं हैं। यह सभी प्रकार की आवासीय सुविधाओं पर लागू होगा।
8. यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे लाभार्थियों जिनकी दृष्टि पुनः वापस लायी जा सकती है को सहायता मिले, छात्रों की आवधिक रूप से मेडिकल और ऑखों की जॉच के लिए प्रावधान होना चाहिए और व्यवस्था की जानी चाहिए।
9. नियुक्त किए गए विशेष शिक्षा शिक्षकों को योग्य होना चाहिए और परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांगता क्षेत्र में आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए।
10. स्थानीय परियोजना समिति के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना वार्षिक रूप से किया जाना चाहिए ।

अनुबंध

दृष्टि दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए परियोजनाओं के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री और उपकरणों की निदेशात्मक सूची

भौतिक विज्ञान

विभिन्न प्रकार के लेंस, विभिन्न प्रकार के दर्पण, प्रिज्म और ग्लास स्लैब, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, रजिस्टेंस बॉक्स, ऑप्टिकल स्टैंड, विभिन्न प्रकार के मैग्नेट, स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस, डिजिटल वजन मशीन, एडेप्टेड लॉ ऑफ रिफलेक्शन बोर्ड, डॉक्टर थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, लाइट प्रोब, विभिन्न प्रकार के मोशन मॉडल, ट्यूनिंग कांटा, स्टॉप क्लॉक, टॉकिंग थर्मामीटर, वाटर लेवल इंडिकेटर, कलर डिटेक्टर, टॉकिंग कम्पास, ऑडिबल लाइट सेंसर।

रसायन शास्त्र

विभिन्न माप के बीकर्स, राउंड बॉटम फ्लास्क, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, टोंग, पिपेट, मेजिरिंग सिलेंडर, ड्रॉपर, चायना डिश, ब्यूरेट, बेल जार, ग्लास ट्यूब, वॉच ग्लास, ग्लास स्लाइड, एडेप्टेड मॉडर्न पिरियोडिक टेबल, एटम मॉडल की इलेक्ट्रॉन संरचना, ड्रॉप काउंटर ।

जीवविज्ञान

माइक्रोस्कोप, कोशिकाओं की तैयार स्लाइड, टेक्टाइल स्लाइड, एम्बोस्ड चित्र और फूलों के चार्ट, कीड़े और पौधें, आंखों के मॉडल, ह्यूमन कंकाल मॉडल, हार्ट मॉडल, लंग्स मॉडल, सेल मॉडल, सोलर सिस्टम मॉडल, पाचन तंत्र मॉडल, एक्सक्रिर्टि सिस्टम मॉडल, सर्कुयुलेटरी सिस्टम मॉडल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मॉडल, ईयर मॉडल, ब्रेन मॉडल, सोलरकुकर, ज्योइंट्स ऑफ बोन्स मॉडल ।

गणित प्रयोगशाला

फ्रैक्शन मॉडल, जंबो बीड्स, नंबर शेप्स, प्लेस वैल्यू मॉडल, पेरेलेलोग्राम किट, एलजेबरा किट, ज्योमेट्रिकल फिगर्स (त्रिभुज, वर्ग, आयत), जियोबोर्ड (छोटा), जियोबोर्ड (बड़ा), मेन्सट्रयूएशन किट, पाइथागोरस मॉडल (लकड़ी), गणितज्ञों के चित्र, 3 डी ज्योमेट्रिकल मॉडल (सिलेंडर, घन आदि), विभिन्न टेक्टाइल मेथमेटिकल चार्ट, वी.आई. हेतु एल्यूमीनियम ज्योमेट्रिकल किट, एबेकस, टेलर फ्रेम, विभिन्न ज्योमेट्रिकल आकार के मॉडल (मछली, कप, ग्लास आदि), क्लोक्स (टेक्टाइल), सेंटीमीटर स्केल 6" (टेक्टाइल)

खेल उपकरण

इनडोर

अनुकूलित शतरंज बोर्ड, ड्राफ्ट बोर्ड, लकड़ी पज़ल बोर्ड, लूडो, साँप और सीढ़ी, पावर लिफ्टिंग (लोहे की छड़ें, वजन प्लेटें, लकड़ी का प्लेटफार्म), जूडो (मैट)

ऑउटडोर

ब्लाइंड फुटबॉल (पिच, गोलपोस्ट, गेंद, साइडबोर्ड, हेड गार्ड, स्टोकिंग्स, हाफ स्टड), ब्लाइंड क्रिकेट (फुल किट), एथलेटिक्स उपकरण (शॉट पुट, डिस्कस, ज्वेलिन, मेजरिंग टेप, विसल (सीटी), स्टॉपवॉच), कबड्डी ।

संगीत कक्ष आइटम्स

संगीत वाद्ययंत्र जैसे हारमोनियम, तबला, तानपुरा, ढोलक, नाल, बांसुरी, सितार, गिटार, वायलिन को रखने के लिए अलमारी।

कमदृष्टि के लिए सामग्री कम

- एलईडी पॉकेट इलुमिनेटेड मेगनिफायर (डिफरेंट पावर)
- फुल – पेज मेगनिफायर (2X, 3X)
- हैंडहेल्ड एलईडी मेगनिफायर (डिफरेंट पावर; रेक्टेंगुलर एंड राउंड)
- सेल फोन मेगनिफाइंग लेंस
- बॉयनोकुलर सिस्टम (डिफरेंट पावर)/ऑप्टीविज़र बॉयनोकुलर मेगनिफायर
- मोनोकुलर (डिफरेंट पावर)
- क्लोज फ़ोकस मोनोकुलर
- कौल रेलाइट इलुमिनेटेड स्टेंड मेगनिफायर
- क्लैंपिंग मेगनिफायर लैंप विथ फ्लेक्स–आर्म
- डोम मेगनिफायर (स्मॉल, लार्ज, एक्सटरा लार्ज)
- फिलिप डॉउन मेगनिफाइंग गलासेस
- ईसाइट
- मोजो (बैटरी–ऑपरेटेड, फुल–कलर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक मोनोकुलर)
- स्पोटर्ट्स स्पेकटेकल्सय/राईजेन स्पोर्ट ग्लासेस
- टाइपोस्कोप
- राईटिंग गाइड फॉर लो विजन
- बोल्ड पेन / मार्कर (डिफरेंट टिप्स एंड कलर्स)
- स्क्रीन मेगनिफायर / डॉल्फिन सुपरनोवा

संसाधन कक्ष आइटम्स

- **टेक्टाइल मानचित्र, मोबिलिटी मानचित्र और मॉडल के विभिन्न प्रकार ।**
- **सॉफ्ट टॉयज़ मॉडल (जानवरों और ट्रॉसपोर्ट)**

ब्रेल लिपि में एनसीईआरटी/सीबीएसई की किताबें, लार्ज–प्रिंट (फान्टफ साइज 18 प्वापइंट एंड एबव) में :

- फाउंडेशनल स्टेज (उम्र 3–8 वर्ष)
- प्रिपेरेट्री स्टेज (आयु 8–11 वर्ष)
- मिडल स्टेज (उम्र 11–14 वर्ष)
- सैकेंडरी स्टेज (आयु 14–18 वर्ष)

अध्ययन सामग्री के माध्यम से पहुँचा जा करने के लिए :

रिफलेक्टिमव मेटिरियल (सीडी और डीवीडी), ब्रेल किताबें, बड़े प्रिंट की किताबें, ऑडियो किताबें, डेज़ी प्लेयर, मेगनेटिक बोर्डों, टेक्टारइल ग्राफिक्स, सैंसरी डायग्राम्सल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, नोटेकर, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर

पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल उपकरणों की सूची

पैग स्लेट, स्लेट एंड स्टाइलस, सिग्नेचर गाइड, ऑर्बिट रीडर, पर्किन्स ब्रेलर, माउंटबेटन ब्रेलर, पर्किन्स स्मार्ट ब्रेलर, ब्रेल नोटटेकर, ब्रेल प्रिंटर, ब्रेल एम्बॉसर, ब्रेल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले

वीआई के लिए विशेष स्कूल के लिए आईसीटी की सूची

*सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) *

* पूरी तरह से सुसज्जित कंप्यूटर लैब उचित लैन कनेक्टिविटी के साथ उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन ।

क. कंप्यूटर और लैपटॉप (विंडोज के साथ लेटेस्ट)

ख. सॉफ्टवेयर

1. स्क्रीन रीडर

    क. जॉज़

    ख. एनवीडीए (हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए टीटीएस के साथ)

2. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस

3. एंटी वायरस

4. डक्सबरी

5. एडोब रीडर

6. वेब ब्राउज़र

7. ओसीआर/आरसीआर सॉफ्टवेयर (विंडोज + एंड्रॉयड)

8. गेम्स

9. टॉकिंग टाइपर

10. डेज़ी और ई पब रीडर (एंड्रॉयड + विंडोज)

ग. हार्डवेयर

प्रिंटर (3 इन 1), ब्रेल प्रिंटर, 3 डी प्रिंटर (यदि संभव हो तो), इंस्टेंट रीडिंग डिवाइस, स्पीकर, हेडफ़ोन /ईयर फोन्स ,

की–बोर्ड के प्रकार :

क. बड़े प्रिंट कीबोर्ड

ख. एक हाथ कीबोर्ड.

ग. मल्टीमीडिया कीबोर्ड

माउस के प्रकार : – यूएसबी और ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, प्रोजेक्टर, यूपीएस, ब्रेल डिस्प्ले (आरबीडी), ब्रेल नोट टेकर, सर्वर

टिप्पणी

उपर्युक्त सूची निदेशात्मक मात्र हैं। स्कूलों और पुनर्वास केन्द्रों के लिए शिक्षण / प्रशिक्षण सामग्री का ठीक–ठीक प्रकार और प्रकृति और व्यावसायिक प्रशिक्षण/संरक्षक कार्यशाला के लिए उपकरण और सहायता की आवधिकता के संबंध में मामला दर मामला गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा। इस शीर्ष के अंतर्गत सहायता की सीमा, शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री के लिए 60,000 रुपए की अधिकतम सीमा और व्यावसायिक और पुनर्वास उपकरणों के लिए 200000 रुपए की अधिकतम सीमा के अंदर विनियमित की जाएगी।

IV गृह–आधारित पुनर्वास / समुदाय–आधारित पुनर्वास के विकल्प के साथ अन्य दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल (बौद्धिक दिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, बहु–दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बधिर–दृष्टिहीन आदि) ।

विशेष स्कूल आवासीय और गैर–आवासीय देखभाल प्रदान करने के लिए हैं जिसका उद्येश्य अंतत दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार की विभिन्न चरणों को लाना है। ये दैनिक जीवन की गतिविधियों के रूप में बुनियादी कौशल प्राप्त करने से लेकर सामान्य रूप से सीखने और समाज के नियमित संस्थानों में उनके एकीकरण तक हो सकते हैं। बौद्धिक दिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी/ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर/बहु–दिव्यांगता/मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बधिर–दृष्टिहीन श्रेणी के बच्चों के संदर्भ में, मुख्य उद्देश्य हैं–:

1. उद्देश्यः

i. प्रत्येक बच्चें का उचित मूल्यांकन और रोग निदान करना।

ii. बच्चे की मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा आवश्यकताओं की पहचान करना।

iii. व्यवहार संबंधी समस्याओं का प्रबंधन करना और विशेष कौशल, स्व–सहायता कौशल प्रदान करने और बौद्धिक दिव्यांगता / सेरेब्रल पाल्सी / ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर / बहु– दिव्यांगता / बधिर दृष्टिहीन / मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आदि वाले बच्चों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना।

iv. शैक्षणिक एवं व्यावसायिक जरूरतों का प्रबंधन करना।

v. आईडी/सीपी/एएसडी/एमडी/डीबी/मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आदि वाले बच्चों के संचार/भाषा/मोटर/सामाजिक/संज्ञानात्मक/अनुकूली कौशल के सुधार के लिए विशेष जानकारी देना।

2. **परियोजना का आकार**

i. विशेष स्कूल के लाभार्थियों की कालानुक्रमिक आयु 5–23 वर्ष की होनी चाहिए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्री–स्कूल और अर्ली इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स के प्रोजेक्ट प्रोफाइल के तहत कवर किए जाने की उम्मीद है।

ii. स्कूलों का आकार ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक स्कूल के लिए ग्रेडेशन के आवश्यक स्तर हों । 15 लाभार्थियों की अतिरिक्त इकाई का प्रावधान है ।शिक्षक : लाभार्थी का अनुपात अधिमानतः उच्च–सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों के लिए 1:8 और 1:4 से है।

प्रारंभिक इकाई क्षमता	अधिकतम 40 (न्यूनतम 25)
अतिरिक्त इकाई क्षमता	15

2. **बुनियादी ढांचा** : स्कूल की बुनियादी ढांचे की व्यवस्था कक्षाओं और चिकित्सा कक्षों सहित न्यूनतम 10 कमरे (आकार 250 वर्ग फुट) होनी चाहिए और बाधा तथा खतरे से मुक्त होनी चाहिए। और, 15 लाभार्थियों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए, प्रत्येक के लिए 250 वर्ग फुट आकार के न्यूनतम 02 अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है। आउटडोर/प्ले एरिया का प्रावधान वांछनीय है।

6. स्वीकार्य सहायताः

पीबीसी मानदंड निम्नानुसार हैं :

पहली पीबीसी प्रतिवर्ष	72123 रूपए

संशोधित पीबीसी प्रतिवर्ष	72123 रूपए
आवासीय लाभार्थियों के लिए पीबीसी प्रतिमाह	6510 रूपए
गैर–आवासीय लाभार्थियों के लिए पीबीसी प्रतिमाह	5510 रूपए

आवर्ती और गैर–आवर्ती	
1. फर्नीचर (अल्प लागत बहु उद्देशीय और अनुकूलित फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए) वास्तविक आवश्यकताओं के मूल्यांकन के अध्यधीन अधिकतम 2000 रूपए प्रति लाभार्थी (3 वर्ष में एक बार) (2000*40)	80000/-रूपए
2. खेलकूद उपकरण/अनुकूलित खेलकूद उपकरण (3 वर्ष में एक बार, 10000 रूपए अथवा वास्तविक, जो भी कम हो)	10000/-रूपए
3. फिजियोथेरेपी उपकरण	
4. ओक्यूपेशनल थेरेपी उपकरण	इस मॉडल परियोजना के नीचे दिए गए अनुसार
5. वाक् थेरेपी उपकरण	
6. विशेष शिक्षण यंत्र और खिलौने	
7. छोटे बच्चों के लिए विशेष डिजाइन किए गए खिलौने	
8. टीचिंग मिरर	
9. वोकेशनल प्रशिक्षण और पुनर्वास उपकरण	

10. कंप्यूटर हार्डवेयर एवं एक्सेसरीज (एक अधिकृत विक्रेता से उद्धरण के अनुसार वास्तविक लागत के अध्यधीन)(5 वर्ष में एक बार)	50000/-रूपए
11. कच्चा माल (वीटीसी के लिए 50 लाभार्थियों के लिए 100000 रुपये प्रति वर्ष, उसके बाद अगले 20 लाभार्थियों के लिए 20000 रुपये अधिकतम 2 लाख रुपये तक)	10000 रूपए (50 लाभार्थियों के लिए)
12. विशेषकृत सॉफ्टवेयर / विशेष कीबोर्ड / एक्सेस प्रौद्योगिकी (एक अधिकृत विक्रेता से उद्धरण के अनुसार वास्तविक लागत के अधीन) (पांच वर्षों में एक बार)	60000/-रूपए
13. संसाधन कक्ष /पुस्तकालय (पहले वर्ष के लिए 10000 रुपये / बाद के वर्षों के लिए 5000 रुपये)	10000 रूपए (एक बार)/5000 (आवर्ती)
14. विशेष शिक्षण और अधिगम सामग्री	60000/-रूपए

संगठन द्वारा परियोजना के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिएः–

पद	पदों की संख्या
1. प्रधानाचार्य	1
2. प्रशिक्षित शिक्षक (शिक्षक – लाभार्थी का 1:8 अनुपात) (विशेष प्रशिक्षकों (टीजीटी) : पीआरटी (विशेष शिक्षक) का अनुपात 40 लाभार्थियों के लिए 2:3 होगा)	5
3. स्पीच थेरेपिस्ट (अंशकालिक प्रति दौरा आधार पर प्रति सप्ताह दो दौरे अनिवार्य दौरे सहित)	1
4. क्लीनिकल सॉईक्लोजिस्ट (अंशकालिक प्रति दौरा आधार पर प्रति सप्ताह दो दौरे अनिवार्य दौरे सहित)	1
5. फिजियोथेरेपिस्ट (अंशकालिक प्रति दौरा आधार पर प्रति सप्ताह दो दौरे अनिवार्य दौरे सहित)	1

6. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (अंशकालिक प्रति दौरा आधार पर प्रति सप्ताह दो दौरे अनिवार्य दौरे सहित)	1
7. मेडिकल इंस्ट्रक्टर (अंशकालिक प्रति दौरा आधार पर प्रति सप्ताह एक अनिवार्य दौरा)	1
8. वोकेशनल इंस्ट्रक्टर (1 अतिरिक्त वोकेशनल इंस्ट्रक्टर यदि लाभार्थी 60 से अधिक)	1
9. योगा/पीटी/संगीत आदि शिक्षक (अंशकालिक प्रति दौरा आधार पर प्रति सप्ताह तीन दौरे अनिवार्य दौरे सहित)	2
10. लेखाकार	1
11. सफाई कर्मचारी–सह चपरासी	1
12. परिचारक/आया (अतिरिक्त 30 लाभार्थियों के लिए 1 आया)	3
13. प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अतिरिक्त विशेष शिक्षक	प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए, 40 लाभार्थियों से अधिक; 02 विशेष शिक्षक की आवश्यकता है।
14. प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अतिरिक्त थेरेपिस्ट का दौरा	प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए, 40 लाभार्थियों से अधिक; 02 विशेष शिक्षक की आवश्यकता है।
15. वार्डन (केवल हॉस्टल के लिए लागू)	1
16. रसोईयां और हेल्पर	1 (प्रत्येक)
17. परिवहन	मानदेय का 10 प्रतिशत

सीपी, एमडी, डीबी, गंभीर / गहन और उच्च–सहायता आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं समूह

(उपर्युक्त मूल संरचना के ऊपर और अधिक)

पद (अतिरिक्त)	पदों की संख्या
1. विशेष शिक्षक (1:4 के अनुपात में)	छात्रों की संख्या के अनुसार
2. परिचारक/आया (1:8 अनुपात)	छात्रों की संख्या के अनुसार
3. परिवहन	मानदेय का 10 प्रतिशत

गैर–आवर्ती (अतिरिक्त	
1. फर्नीचर (अल्प लागत बहु उद्देशीय और अनुकूलित फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए)	कुल 1,00,000
2. खेलकूद उपकरण/अनुकूलित खेलकूद उपकरण	
3. फिजियोथेरेपी उपकरण	
4. ओक्यूपेशनल थेरेपी उपकरण	
5. वाक् थेरेपी उपकरण	
6. विशेष शिक्षण यंत्र और खिलौने	
7. छोटे बच्चों के लिए विशेष डिजाइन किए गए खिलौने	
8. टिचिंग मिरर	
9. कंप्यूटर हार्डवेयर एवं एक्सेसरीज (एक अधिकृत विक्रेता से उद्धरण के अनुसार वास्तविक लागत के अधीन)	
10. विशेषकृत सॉफ्टवेयर / विशेष कीबोर्ड / एक्सेस प्रौद्योगिकी (एक अधिकृत विक्रेता से उद्धरण के अनुसार वास्तविक लागत के अध्यधीन)	

टिप्पणियाँ

1. स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बडा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ–साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।

2. किराए के प्रति सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। स्वामित्व वाले भवन के मामले में, इसका रखरखाव **अनुबंध–XIII** के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

3. शिक्षक–छात्र अनुपात के लिए मौजूदा मानदंड 1:8 रखा गया है।

4. सीपी, एमडी, डीबी, गंभीर/गहन और उच्च–सहायता आवश्यकता समूह वाले छात्रों के लिए शिक्षक–छात्र अनुपात का मानदंड 1:4 पर रखा गया है।

5. परिवहन भत्ता, छात्रावास रखरखाव और स्टाईपेंड पीआईए द्वारा बनाए रखा जाएगा यदि वह सेवाएं प्रदान कर रहा है।

6. (क) प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए परिचारक/आया का एक पद

(ख) सीपी, एमडी, डीबी, गंभीर/गहन और उच्च–समर्थन आवश्यकता समूह के साथ प्रत्येक 08 लाभार्थियों के लिए परिचारक/आया का एक पद।

7. अंशकालिक आधार पर विभिन्न चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ उठाने के बजाय बहु–विषयक बीआरएस स्नातकों की सेवाओं का उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

8. आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।

9. आवासीय छात्रों के लिए छात्रावास रखरखाव अनुदान, भोजन और अन्य आवासीय व्ययों को पूरा करने के लिए लक्षित है। इस मद में अधिकतम सीमा 2125 रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी होगी। प्रशिक्षुओं/लाभार्थियों को उनके सीमित व्यय को कवर करने के लिए 500 रुपए प्रतिमाह अनुमत होगा। गैर–आवासीय छात्रों (डे–बोडर्स) को संगठन द्वारा मध्याह्न भोजन प्रदान किए जाने के कारण पीआईए द्वारा स्टाईपेंड रखा जा सकता है।

10. यह अपेक्षित है कि वार्डन की ड्यूटी का निष्पादन कर्मचारियों के मौजूदा सदस्यों में से किसी एक द्वारा अतिरिक्त भत्ता अथवा मानदेय के लिए की जाती है। वार्डन के पद के लिए उसी स्थिति में विचार किया जाएगा जहां अन्य कर्मचारी – विशेषकर, शिक्षक/प्रशिक्षक/प्रशासनिक पदाधिकारी, इस अतिरिक्त जिम्मेवारी को नहीं ले सकते हैं अथवा जहॉ पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के लिए आवासीय सुविधाएं हैं।

11. नियुक्त किए गए विशेष शिक्षा शिक्षकों को योग्य होना चाहिए और परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांतगता क्षेत्र में आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए।

12. स्थानीय परियोजना समिति के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन और इसकी रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

13. इस मॉडल परियोजना के तहत लाभार्थियों की आयु सीमा 5–23 वर्ष मानी जाएगी।

अनुबंध–

बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों से संबंधित परियोजनाओं के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री और उपकरणों की निदेशात्मक सूची

आंतरिक उपकरण

किट 3: विवरण		
आइटम कोड	**शीर्षक**	**मात्रा**
पीआर -1	पिक्चर पज़ल	1 सेट
पीआर -2	स्लेट और अबेकस	1 सेट
पीआर -3	पिक्चर और वर्ड कार्ड	1 सेट
पीआर -4	असैंबलिंग किट	1 सेट
पीआर र-5	नंबर कार्ड	1 सेट
पीआर -6	एडीएल आइटम	1 सेट
पीआर -7	पाऊंड टायॅज़	1 सेट
पीआर -8	जिगसॉ पज़ल	1 सेट
पीआर -9	टैलिंग टाइम किट	1 सेट
पीआर -10	काऊंट एंड मैच	1 सेट
पीआर -11	पज़ल–बॉडी पार्ट	1 सेट

पीआर -12	एलफाबैट वर्म	1 सेट
पीआर -13	कार्यात्मक साक्षरता कार्यपुस्तिका	1सं.
पीआर -14	कार्यात्मक संख्यात्मक कार्यपुस्तिका	1 सं.
पीआर -15	यूकेजी स्तर की पुस्तकें	2 सं.
पीआर -16	कक्षा 1 पुस्तकें	2 सं.
पीआर -17	मैजिक स्टेट	1 सं.
पीआर -18	कलरिंग बुक्स विद क्रेयोन्स	01 सेट
पीआर -19	बिड्स	01 सेट
पीआर -20	एनआईईपीआईडी प्रकाशन 1. टीचिंग फंक्शनल एकेडिमिक्स फॉर स्टूडेंट्स विद एमआर 2. कार्यात्मक साक्षरता फ्लिप चार्ट 3. कार्यात्मक साक्षरता कार्यपुस्तिका 4. कार्यात्मक संख्यात्मक कार्यपुस्तिका 5. टीआईएस 6. प्ले फन 'एन' लर्न	01 सेट
पीआर -21	थैला	1 सं.
पीआर -22	यूजर मैनुअल	1 सं.

किट 4: विवरण		
आइटम कोड	**शीर्षक**	**मात्रा**
पीवी -1	कम्युनिटी हैल्पर्स	1 सेट
पीवी -2	वूडन ब्लॉक ऑफ एलफाबैट	1 सेट

पीवी -3	निडल वर्क किट	1 सेट
पीवी -4	डुप्लीकेट करैन्सी	1 सेट
पीवी -5	जनरल नॉलेज फ्लैशकार्ड	1 सेट
पीवी -6	एलफाबैट्स–वर्डस वूडन क्यूब्स	1 सेट
पीवी -7	फिटिंग और असेंबलिंग किट	1 सेट
पीवी -8	नंबर टाइल	1 सेट
पीवी -9	पज़ल ऑन इंडिया	1 सेट
पीवी -10	मेज़रिंग किट (टेप्स और कप्स)	1 सेट
पीवी -11	कहानी की किताब	1 सं.
पीवी -12	इंडिया जनरल	1 सेट
पीवी -13	मोबाइल फोन	1 सं.
पीवी -14	कैलकुलेटर	1 सं.
पीवी -15	डिजिटल वॉच	1सं.
पीवी -16	नंबर क्यूब्स	1 सेट
पीवी -17	मल्टीपलिकेशन टैक्टाइल बोर्ड	1 सेट
पीवी -18	कक्षा 2 पुस्तकें	2 सं
पीवी -19	कक्षा 3 पुस्तकें	2 सं
पीवी -20	एनआईईपीआईडी प्रकाशन 1. टीचिंग फंक्शनल एकेडिमिक्स फॉर स्टूडेंट्स विद एमआर 2. कार्यात्मक साक्षरता कार्यपुस्तिका 3. कार्यात्मक संख्यात्मक कार्यपुस्तिका 4. प्लेय फन 'एन' लर्न	1 सेट
पीवी -21	किट बैग	1 सं

पीवी -22	यूजर मैनुअल	1 सं

नोट :– आइटम कोड एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद अनुमोदित सूची के अनुसार है। सूचियां 2 आयु समूहों के अंतर्गत आयु–विशिष्ट शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) हैं– किट –3 : 6–11 वर्ष और किट –4: 12–18 वर्ष छात्रों के आयु वर्ग के अनुसार, प्रत्येक कक्षा के लिए कमसे कम2 टीएलएम किट की आवश्यकता है।

बाहरी उपकरण

- सीढ़ियों का साधारण सेट लकड़ी का रॉकिंग घोड़ा/बोट्स स्लाइड, जंगल जिम, सी–सा हुप्स, गेंद।

टिप्पणी

उपर्युक्त सूची निदेशात्मक मात्र हैं। स्कूलों और पुनर्वास केन्द्रों के लिए शिक्षण / प्रशिक्षण सामग्री का ठीक–ठीक प्रकार और प्रकृति और व्यावसायिक प्रशिक्षण/संरक्षक कार्यशाला के लिए उपकरण और सहायता की आवधिकता के संबंध में मामला दर मामला गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा। इस शीर्ष के अंतर्गत सहायता की सीमा, शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री के लिए 60,000 रुपए की अधिकतम सीमा और व्यावसायिक और पुनर्वास उपकरणों के लिए 200000 रुपए की अधिकतम सीमा के अंदर विनियमित की जाएगी।

V. गृह–आधारित पुनर्वास और समुदाय–आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों (एससीपी) का पुनर्वास

1. उद्देश्य :

यह परियोजना कुष्ठ उपचारित वयस्कों के लिए है और न कि कुष्ठ पीड़ित व्यक्तियों के लिए। इस वर्ग के दिव्यांगजनों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में दर्शाए गए परियोजना के मौजूदा घटकों में से केवल वीटीसी घटक को सशक्त रूप से प्रोत्सोहित किया जाना चाहिए। इस वर्ग के लिए सुरक्षित कार्यशाला का भी संचालन किया जा सकता है। इस योजना का मूल लक्ष्य, उन कौशलों से एलसीपी को सशक्त करना है जो उन्हें उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें या तो स्वरोजगार अथवा व्यक्तिगत रूप से और/अथवा सामूहिक रूप से उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने मे सक्षम बनाएगी। प्रत्येक वीटीसी को कम से कम 25 अथवा अधिक एलसीपी की आवश्याकता की पूर्ति करनी चाहिए। गंभीर रूप से दिव्यांग एलसीपी पीडितों को एक पृथक गृह हेतु सहायता दी जा सकती है।

2. कमरे की आवश्यकता : 04 (250 वर्ग फुट प्रत्येक)

अतिरिक्त यूनिट – 02 कमरे प्रत्येक (250 वर्ग फुट प्रत्येक)

आउटडोर/प्ले एरियम का प्रावधान वांछनीय है।

प्रारंभिक इकाई क्षमता	25
अतिरिक्त इकाई क्षमता	25

3. स्वीकार्य सहायता :

क. लागत मदें – व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाई और गृह के लिए समान रूप से (कुल 100 लाभार्थियों के लिए)

आवर्ती	
संशोधित पीबीसी प्रति वर्ष	रु. 3300

ख. लागत मद – व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाई (25 लाभार्थियों के लिए)

आवर्ती	
संशोधित पीबीसी प्रति वर्ष	रु. 39955

गैर–आवर्ती मदें	
1. उपकरण (मूल)	200000 रुपये तक (100 लाभार्थियों के लिए)
2. फर्नीचर (अल्प लागत वाले बहुउद्देशीय और अनुकूलनीय फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए) अधिकतम रु. 2000 प्रति लाभार्थी वास्तविक जरूरतों के आकलन के अधीन (5 साल में एक बार) (2,000x25 रुपये)	रु. 50000
कच्चा माल (वीटीसी के लिए 50 लाभार्थियों के लिए 100000 रुपये प्रति वर्ष, उसके बाद अगले 20	रु. 100000 (50 लाभार्थियों के लिए)

लाभार्थियों के लिए 20000 रुपये अधिकतम 2 लाख रुपये तक)	

ग. गंभीर रूप से दिव्यांग कुष्ठ उपचारित व्यक्तियों के लिए गृह (100 लाभार्थियों के लिए)

आवर्ती	
संशोधित पीबीसी प्रतिवर्ष	35078/-रूपए
गैर–आवर्ती	
1. बर्तन (100 लाभार्थियों के लिए 5 वर्ष में एक बार)	20000/-रूपए
2. फर्नीचर, चारपाई एवं गद्दे : वास्तविक जरूरतों के मूल्यांकन के अध्यधीन अधिकतम 2000 रूपए तक प्रति लाभार्थी। इसमें आवासीय सहवासियों के लिए उपयुक्त फर्नीचर चारपाई, गद्दों को कवर किया जाएगा। (5 वर्ष में 1 बार) (2000*100)	200000/-रूपए

4. परियोजना के लिए संगठन द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए:

प्द	**पदों की संख्या**
सामान्य लागत	
1. परियोजना समन्वयक	1
2. लेखाकार	1
3. परिवहन	मानदेय का 10%
व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाई	
1. व्यावसायिक प्रशिक्षक (अधिकतम 60 लाभार्थी, 100 लाभार्थियों के लिए अधिकतम 2)	1
2. वोकेशनल काउंसलर (प्रति सप्ताह अनिवार्य 2 दौरों के साथ	1

अंशकालिक आधार पर पद का संचालन करना बेहतर होगा) (100 लाभार्थियों तक)	
3. हेल्पर (पूरे प्रोजेक्ट के लिए)	1
4. क्लीनर सह चपरासी (पूरे प्रोजेक्ट के लिए)	1
5. परिवहन	मानदेय का 10%
कुष्ठ रोग से उपचारित व्यक्तियों के लिए घर	
7ण वार्डन	1
8ण रसोइया और हेल्पर	1 प्रत्येक
9ण नर्स (100 लाभार्थियों तक)	1
4. डॉक्टर (अंशकालिक प्रति सप्ताह प्रति दौरा 1 अनिवार्य दौरे के साथ) (100 लाभार्थियों तक)	1
5. क्लीनर सह चपरासी	1
6. परिवहन	मानदेय का 10%

टिप्पणियाँ

1. स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बडा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ–साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त सुगम्यता प्रदान करनी चाहिए।

2. किराए के लिए सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। स्वामित्व वाले भवन के मामले में, इसका रखरखाव **अनुबंध–XIII** के अनुसार किया जाएगा।

3. आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा। भारी मशीनरी वाली परियोजनाओं में बिजली पर अतिरिक्त शुल्क पर अलग से विचार किया जा सकता है।

4. स्टाइपेंड/छात्रावास अनुरक्षण अनुदान उन आश्रित लाभार्थियों तक ही सीमित होगा जिनके परिवार की सभी स्रोतों से आय 8.00 लाख प्रति वर्ष रुपये से अधिक नहीं है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षुओं के संबंध में विभिन्न ट्रेडों के लिए

मॉडल परियोजना के अनुबंध में निर्धारित प्रशिक्षण की अवधि के लिए छात्रावास रखरखाव / स्टाइपेंड के तहत सहायता प्रतिबंधित होगी।

5. यह अपेक्षित है कि वार्डन की ड्यूटी का निष्पादन कर्मचारियों के मौजूदा सदस्यों में से किसी एक द्वारा अतिरिक्त भत्ता अथवा मानदेय के लिए की जाती है।

6. इन सीमाओं के भीतर कच्चे माल की अधिप्रायण के निधि की वास्तविक आवश्यकता को पर्याप्त रूप से औचित्य देना होगा।

7. नियुक्त विशेष शिक्षा शिक्षकों को परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों को दिव्यांगता क्षेत्र में योग्य और आरसीआई पंजीकरण प्राप्त होना चाहिए।

8. स्थानीय परियोजना समिति के माध्यम से सोशल ऑडिट का संचालन एवं इसकी रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुबंध

व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित ट्रेडों की व्याख्यात्मक सूची

केवल एनएसडीसी/ एससीपीडब्ल्यूडी स्वीकृत ट्रेड

VI. गृह–आधारित पुनर्वास और समुदाय–आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ मानसिक रूग्णता से उपचारित और नियंत्रित व्यक्तियों के मानसिक–सामाजिक पुनर्वास के लिए हॉफ वे होम।

इस परियोजना का उद्देश्य उचित समय के भीतर सामान्य जीवन में एकीकृत होने में सक्षम होने के लिए मानसिक बीमारी से उपचारित और नियंत्रित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक सुविधाजनक तंत्र प्रदान करना है। ऐसे हाफ वे होम्स की आवश्यकता इसलिए महसूस की जाती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर समुदाय अभी भी ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार में स्वीकार करने से हिचकिचाता है। इस परियोजना का उद्देश्य मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और उन्हें पुन कौशल प्रदान करना है और साथ ही उन्हें और उनके परिवारों को परामर्श देना है ताकि परिवार/समाज के साथ फिर से उन्हें एकीकृत किया जा सकें। इस परियोजना से उनकी बीमारी से संबंधित मनोरोग/पुनर्वास सलाह और सेवाएं भी प्रदान करने की उम्मीद है ताकि समय–समय पर या कभी–कभी मनोवैज्ञानिक समस्या का प्रबंधन किया जा सके। हाफ वे होम/हॉस्टल 25 सहवासियों के समूह का हो सकते हैं।

प्रारंभिक इकाई क्षमता	25
अतिरिक्त इकाई क्षमता	25 (न्यूनतम 15)

क्र.सं.	आवर्ती	पदों / मदों की संख्या	रुपये में कुल वार्षिक लागत
क.	**मानदेय**		
1.	परियोजना समन्वयक (28750*12*1)	1	345000
2.	हाउस कीपर (7500*12*1)	1	90000
3.	हेल्पर (6250*12*1)	1	75000
4.	चौकीदार (6250*12*1)	1	75000
5.	कार्यालय सहायक सह लेखाकार (8750*12*1)	1	105000
6.	सामाजिक कार्यकर्ता (14500*12*1)	1	174000
7.	व्यावसायिक प्रशिक्षक (9500*12*2) (परियोजना के लिए अधिकतम 60 लाभार्थी और अधिकतम 2)	2	228000
8.	डॉक्टर (सामान्य चिकित्सक) – अंशकालिक / रु 850 प्रति विज़िट प्रति सप्ताह 2 अनिवार्य विज़िट के साथ) (850*2*52)	-	88400
9.	मनोचिकित्सक – अंशकालिक – @ रु 850 प्रति विज़िट प्रति सप्ताह 2 अनिवार्य विज़िट के साथ) (850*2*52)	-	88400
10.	ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट – पार्ट टाइम – @ रु 850 रुपये प्रति विजिट के साथ 2 अनिवार्य विजिट प्रति सप्ताह) (850*2*52)	-	88400
11.	क्लिनिकल / रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट – पार्ट टाइम – @ रु 850 रुपये प्रति विजिट के साथ 2 अनिवार्य विजिट प्रति सप्ताह) (850*2*52)	-	88400
ख.	**गैर –आवर्ती मानदेय**		
1.	किराया 25 लाभार्थियों तक प्रति माह) श्रेणी 'क' शहर : रु. 37500/– वर्ग 'ख' रु. 25000/– वर्ग 'ग'/अन्य : रु. 18750	-	-
2.	छात्रावास/गृह रखरखाव – 1250 प्रति माह लाभार्थी (1250*25*12)	-	375000

3.	आकस्मिकता (4000 प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष) (4000*25)	-	100000
4.	दवा और लैब शुल्क	-	62500
5.	कच्चा माल (वीटीसीआर के लिए 50 लाभार्थियों के लिए 100000 प्रति वर्ष, उसके बाद, अगले 20 लाभार्थियों के लिए 20000 रुपये अधिकतम 2 लाख रुपये तक)		100000 (50 लाभार्थियों के लिए)
	गैर आवर्ती		
1.	व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए उपकरण	-	200000
2.	फर्नीचर, चारपाई, गद्दे प्रति लाभार्थी 2000 रुपये की दर से, वास्तविक जरूरतों के आकलन के अधीन, कार्य क्षेत्र और छात्रावास / घर में उपयुक्त फर्नीचर को कवर करने के लिए। (हर 3 साल में एक बार) (2000*25)	-	50000
3.	रसोई के उपकरण	-	20000

टिप्पणी

1. स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बडा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ–साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।

2. किराए के प्रति सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। स्वामित्व वाले भवन के मामले में, इसका रखरखाव **अनुबंध–XIII** के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

3. आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।

4. यह अपेक्षित है कि वार्डन की ड्यूटी का निष्पादन कर्मचारियों के मौजूदा सदस्यों में से किसी एक द्वारा अतिरिक्त भत्ता अथवा मानदेय के लिए की जाती है।

5. इन सीमाओं के भीतर कच्चे माल की अधिप्रायण के निधि की वास्तविक आवश्यकता को पर्याप्त रूप से औचित्य देना होगा।

6. स्थानीय परियोजना समिति के माध्यम से सोशल ऑडिट का संचालन एवं इसकी रिपोर्ट वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

''वैकल्पिक आवेदकों के लिए परियोजनाओं में अनुशंसित अतिरिक्त घटक (मॉडल परियोजनाएं I–VI के लिए)

गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए परियोजना

जबकि दिव्यांगजनों को विशेष शिक्षा देने के लिए विशेष स्कूलों और संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों में समाज एवं गृह प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ोतरी की जाने की जरुरत है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांगजनों की जरूरतों का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रयोग में लाने को ध्या्न में रखते हुए, उन परियोजनाओं को जो समाज को शामिल करने और घर के परिवेश में परिवार को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इनमें से, गृह प्रबंधन परियोजनाओं से बच्चे की उसके बृहतर गृह परिवेश के व्यापक संदर्भ के भीतर विकास की मांग को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इस दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम विशेष स्कूल में प्राप्त इनपुट के लिए महत्वपूर्ण अनुपूरक के रूप में कार्य करेंगे। मौजूदा विशेष स्कूलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इससे इन सेवाओं के संचालन के लिए संसाधन प्रदान करना अपेक्षित है। इन कार्यक्रमों के लिए संसाधन आधार के रूप में स्थापित विशेष स्कूल पर निर्भर करने का लक्ष्य है। इन कार्यकमों के लिए सामग्री एवं लोजिस्टिक (संभार तंत्र) लागत से संबंधित प्रासंगिक व्यय प्रदान किए जाएंगे।

क. गृह आधारित पुनर्वास के लिए परियोजना

उद्देश्य :

i. दिव्यांगजनों को मोटर, सामाजिक, संचार, भाषा, संज्ञानात्मक और अनुकूली कौशल विकसित करने में मदद करना।

ii. घर पर उच्च समर्थन की जरूरत वाले बच्चों और गंभीर दिव्यांग बच्चों को संभालने के लिए माता–पिता/परिवार की क्षमता का निर्माण करने के लिए ।

iii. विशेष रूप से गंभीर रूप से दिव्यांगों के लिए घरेलू वातावरण में दैनिक जीवन कौशल की गतिविधियों को प्रदान करना।

परियोजना का आकार :

कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या कई दिव्यांग व्यक्ति को शामिल करते हुए 20 परिवारों (प्रत्येक में 10 परिवारों की अतिरिक्त इकाइयों के प्रावधान के साथ) तक होनी चाहिए। प्रत्येक यात्रा करने वाले शिक्षक के लिए प्रति घर कवरेज का अनुपात 1:10 होना चाहिए।

प्रारंभिक इकाई क्षमता	20
अतिरिक्त इकाई क्षमता	10 (न्यूनतम 7)

आधारभूत संरचना : 01 कमरा (250 वर्ग फीट) 100 लाभार्थियों तक ।

आधारभूत संरचना: 01 कमरा (250 वर्ग फीट) 100 लाभार्थियों तक।

स्वीकार्य सहायता :

आवर्ती मानदेय	
पहली पीबीसी प्रति वर्ष	रु. 22770
संशोधित पीबीसी प्रति वर्ष	रु.22770
संशोधित पीबीसी प्रति माह	रु.1900
शिक्षण और शिक्षण सामग्री आइटम	

1. शिक्षण / अधिगम सामग्री	रु. 20000

निम्नलिखित कर्मचारियों को परियोजना के लिए संगठन द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए:

पद	पदों की संख्या
1. विशेष शिक्षक (टीजीटी) (1:10) (परिवार) (दो परिवार प्रति सप्ताह 2 घंटे और 3 परिवार प्रतिदिन)	2
2. 10 परिवारों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए - विशेष शिक्षक/(टीजीटी) (प्रति परिवार सप्ताह में दो बार 2 घंटे और 3 परिवार प्रतिदिन)	1
3. गृह पर दौरे के लिए परिवहन (मानदेय का अधिकतम 20% तक)	मानदेय का 10%

टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।

2. नियुक्त किए गए विशेष शिक्षा शिक्षकों को योग्य होना चाहिए और परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांगता क्षेत्र में आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए। दो में से कम से कम एक शिक्षक के पास आईडी/सीपी/एमडी में विशेष योग्यता होनी चाहिए।

3. लाभार्थियों से मिलने के समय, माता–पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर उसी के मोबाइल नंबर के साथ लिए जाने चाहिए।

4. स्थानीय परियोजना समिति के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन और इसकी रिपोर्ट वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुबंध–

गृह आधारित पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री और उपकरणों की निदर्शी सूची

क. शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री की सूची:

- गतिविधि बनाए रखने और रिकॉर्ड देखने के लिए छात्र योजनाकार / फाइलें / फ़ोल्डर / बाइंडर

- स्टेशनरी – पेन / पेंसिल, इरेज़र, रंग (विभिन्न आकार और बनावट), रूलर, प्रतियां, रजिस्टर, ड्राइंग बुक आदि।

- बिल्डिंग ब्लॉक्स : छोटे लकड़ी के ब्लॉक/क्यूब्स, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स, मैग्नेटिकब्लॉक्स, ब्रिसल ब्लॉक्स, वफ़ल ब्लॉक्स, आदि। टीचर–मेड ब्लॉक्स (बड़े कार्डबोर्ड मिल्क कार्टन, प्लास्टिक कंटेनर, फोम कंटेनर, मजबूत बॉक्स, वुड कट इनटू ब्लॉक शेप्सन)

- पज़ल्सस : विभिन्न प्रकार की बनावट (फोम, प्लास्टिक, लकड़ी, बहु–बनावट) और विभिन्न जटिलताएँ, नाब वाले, बिना नाब वाले, विभिन्न प्रकार के टुकड़े (05 से 30), इंटरलॉकिंग और अलग–अलग टुकड़े, सिक्वैलन्स , फर्श।

- **जोड़तोड़** :
  - छोटे और बड़े मोती, तार, मनका पैटर्न कार्ड, मनका फ्रेम
  - सिलाई सामग्री ब्लन्ट, सुई सहित, ऊन, जूट–स्ट्रिंग, बटन, लेस/स्ट्रिंग के साथ लेसिंग कार्ड
  - खूंटे और खूंटी बोर्ड
  - ज़िप, स्नैप और बटन ड्रेसिंग फ्रेम
  - कनेक्टर्स के साथ स्ट्रॉ / स्टिक
  - नट और बोल्ट, स्क्रू
  - ट्रेन की पटरियाँ और ट्रेन
  - शेप सॉर्टर्स

- ड्राइंग : बड़े और छोटे क्रेयॉन; पेन, पेंसिल, इरेज़र, रंगीन पेंसिल; मोटे और पतले टैम्परेरी मार्कर; चॉक, चॉक बोर्ड, इरेज़र; कागज (विभिन्न आकार और रंग, पंक्तिबद्ध और रिक्त), समाचार पत्र, टिशू पेपर, कन्सडट्रैक्शन कागज; ड्राई–इरेज़ बोर्ड और मार्कर।

- पेंटिंग : फिंगर पेंट्स; लिक्विड टैम्परा पेंट; ब्लॉक/डिस्क टेम्परा पेंट और ट्रे; विभिन्न प्रकार के पेंट यूटैन्सिलस, पेंट ब्रश, रोलर्स, स्क्वीज और स्प्रे बोतलें, स्पंज, क्यू–टिप्स, पेंट स्क्रैपर्स।

- कोलाज : गोंद की बोतलें, गोंद–छड़ें, गोंद–ब्रश / स्प्रेडर्स; कागज–स्क्रैप, पत्रिकाएं, कार्ड, रैपिंग पेपर, रिबन; कंस्ट्रक्शन के लिए कार्डबोर्ड ट्यूब, बक्से, रोल; फैल्टे/फैब्रिक स्क्रैप, यार्न/स्ट्रिंग्स; रुई के गोले; पोम पोम्स; ग्लीटर, बटन, सेक्विन, रत्न; प्राकृतिक वस्तुएँ (पत्तियाँ, बीज, टहनियाँ, पंख)

- 3 डी सामग्री : ग्लूइंग / निर्माण के लिए प्ले–डो, मिट्टी, लकड़ी; पाइप–क्लीनर, प्लास्टिसिन , आदि

- उपकरण : सुरक्षित कैंची (बाएं और दाएं हाथ), स्टेपलर, पेपर पंच, टेप (विभिन्न प्रकार), टेप–होल्डर; प्ले–डो (शिल्प की छड़ें, कुंद चाकू, कैंची, स्टेंसिल) के साथ उपयोग करने के लिए उपकरण।

- मापने : तरल /सूखी मापने का सेट (कप और चम्मच); तराजू और वजन; कपड़ा नापने का टेप; मीटर छड़ी; रूलर; विंड–अप मीटर टेप; थर्मामीटर, ऊंचाई चार्ट; सेंटीमीटर क्यूब्स

- आकार : किसी भी आकार के खिलौने के लिए चुंबकीय आकार, पटर या मिलान कार्ड;

- विशेषता ब्लॉक (विभिन्न आकार, रंग , आकार, मोटाई); विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के साथ पहेलियाँ; आकार सॉर्टर्स / आयोजक

- रंगीन मोतियों, जानवरों, वाहनों, पैटर्न कार्ड के साथ या बिना या छँटाई / गिनती ट्रे के रूप में गिनने के लिए छोटी वस्तुएं ; प्ले, मनी; मिलान करने के लिए संख्याओं और छेदों के साथ खूंटे; खेल या पहेलियाँ जहाँ वस्तुओं की मात्रा का मिलान लिखित संख्या के साथ, डाईस गेम्सल ।

- लिखित संख्या : संख्या पुस्तकें और पोस्टर; चुंबकीय संख्या; संख्या पहेलियाँ; नंबर लेसिंग कार्ड; प्ले–टेलीफोन; प्ले मनी ; घड़ी; केलेंडर; फ्लैश कार्ड।

- मात्रा : नेस्टिंग /स्टैकिंग कप; डोमिनोज; अबेकस; चार्ट और रेखांकन; अधिक या कम/अंश खोजने के लिए खिलौने और खेल; स्नैप–क्यूब्स, सेंटीमीटर क्यूब्स; पहेलियाँ या त्रि–आयामी सिलेंडर विभिन्न ऊंचाइयों का अनुक्रम दिखाते हुए।

- विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता है। उन्हें स्टोर से खरीदा जा सकता है, वयस्क और बच्चों की किताबें, फोटो एलबम और बच्चों की पत्रिकाएं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में से कुछ चुनें :
  - तथ्यात्मक पुस्तकें: पशु; जानवरों और पौधों के बारे में तथ्य; वास्तविक जीवन के अनुभव (जैसे डॉक्टर के पास जाना); संख्या; आकार; रंग
  - प्रकृति और विज्ञान : पांच इंद्रियां; मानव शरीर; जानवरों के घर और जीवन
  - रेस और कल्चर : विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के लोगों के बारे में ऐतिहासिक और समकालीन कहानियां, विभिन्न भाषाओं में किताबें।
  - विविध क्षमता : विविध क्षमताओं वाले व्यक्तियों का चित्रण करने वाली पुस्तकें (व्हीलचेयर उपयोगकर्ता, बैसाखी, श्रवण यंत्र, चलने की छड़ी आदि)
  - काल्पनिक पुस्तकें : लोगों और जानवरों के बारे में कहानियों का नाटक करने वाले।

- अन्य सामग्री : कठपुतली, कठपुतली थियेटर; पोस्टर सेट (सर्दी/बरसात के दिन आदि); श्रवण केंद्र और रिकॉर्ड की गई कहानियाँ; फ्लेनल बोर्ड।

ख. मूल प्रशिक्षण सामग्री की सूची :

- अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न अक्षमताओं के विभिन्न विषयों पर दिव्यांगता जागरूकता सामग्री जैसे पोस्टर, बुकलेट, वीडियो, पैम्फलेट आदि।
- रेफरल एजेंसियों/पेशेवरों की सूची
- आसपास और समुदाय के भीतर उपलब्ध संसाधनों की सूची
- ज़िप, स्नैप और बटन ड्रेसिंग फ्रेम
- स्टैकिंग, अनुक्रमण और मैन्यूमपुलेशन खिलौने
- प्लेक डोह एंड कुकी क्टर, क्राफ्ट स्टिक, ब्लंट चाकू, स्टेंसिल खेलें।
- बोर्ड गेम जैसे कैरम, लूडो , सांप और सीढ़ी आदि।
- रंगों के साथ रंग भरने वाली किताब (विभिन्न आकार और बनावट)
- सैन्सरी डिब्बे और बक्से
- बीड्स और स्ट्रिंग्स (विभिन्न आकार, रंग और बनावट) बीड पैटर कार्ड और बीड फ्रेम के साथ
- पैग्स और पैग्स् बोर्ड (विभिन्न अवधारणाएं, आकार, आकार, रंग)
- शैप सॉर्टर (विभिन्न आकार, रंग, बनावट)
- विभिन्न प्रकार की बनावट (फोम, प्लास्टिक, लकड़ी, बहु–बनावट) और विभिन्न जटिलताओं के साथ पहेलियाँ, घुंडी, बिना घुंडी, विभिन्न प्रकार के टुकड़े (05 से 30), इंटरलॉकिंग और अलग–अलग टुकड़े, सिक्वैन्स, फर्श।
- ब्लॉक – छोटे लकड़ी के ब्लॉक/क्यूब्स, इंटरलॉकिंग ब्लॉक, चुंबकीय ब्लॉक, ब्रिसल ब्लॉक, वफ़ल ब्लॉक इत्यादि।
- पकड़ मजबूत करने वाले (अनेक ग्रिप्स)
- नेत्र–हाथ कॉरडिनेशन के लिए सामग्री
- द्विपक्षीय समन्वय के लिए सामग्री

- कोर–मजबूती के लिए गतिविधि आधारित सामग्री
- दृश्य–मोटर एकीकरण के लिए सामग्री

ख. समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए परियोजना

उद्देश्य :

i. दिव्यांगजनों के पुनर्वास और प्रशिक्षण के साथ–साथ उन्हें अपने समुदायों में एकीकृत करने के तरीके खोजने के लिए।

ii. इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को जीवन की मुख्य धारा में लाना और समाज के आत्मनिर्भर और सक्रिय सदस्य बनने के उनके प्रयास में उनकी मदद करना है।

iii. इस दृष्टिकोण का अभिन्न अंग स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक नए दल के प्रशिक्षण के लिए समुदाय के सदस्यों की भागीदारी है।

परियोजना का आकार : कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या 100 दिव्यांगजनों (50 पीडब्ल्यूडी प्रत्येक की अतिरिक्त इकाइयों के प्रावधान के साथ) से होनी चाहिए। प्रत्येक विशेष शिक्षक के लिए प्रति घर कवरेज का अनुपात 1 : 50 होना चाहिए।

आधारभूत संरचना : 01 प्रशिक्षण हॉल और 01 कमरा (100 लाभार्थियों तक)

प्रारंभिक इकाई क्षमता	100
अतिरिक्त इकाई क्षमता	50

स्वीकार्य सहायता:

गैर आवर्ती	
शिक्षण अधिगम सामग्री और चिकित्सा उपकरण	60000

निम्नलिखित कर्मचारियों को परियोजना के लिए संगठन द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए:

डाक	पदों की संख्या
1. सामाजिक कार्यकर्ता (प्रत्येक 100 लाभार्थी पर एक अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ता)	1
2. सीबीआर कर्मी (प्रत्येक 50 लाभार्थी के लिए अतिरिक्त एक)	2
3. विशेष शिक्षक (कोई भी दिव्यांगता)	1
4. विजिटिंग थेरेपिस्ट (अंशकालिक) – ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	1 विज़िट/सप्ताह
5. विजिटिंग थेरेपिस्ट (अंशकालिक) – फिजियोथेरेपिस्ट	1 विज़िट/सप्ताह
6. विजिटिंग थेरेपिस्ट (अंशकालिक) – स्पीच थेरेपिस्ट	1 विज़िट/सप्ताह
7. विजिटिंग थेरेपिस्ट (अंशकालिक) – मनोवैज्ञानिक	1 विज़िट/सप्ताह
दिव्यांगजनों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अतिरिक्त विशेष शिक्षक	1
9. गृह पर दौरे के लिए परिवहन (मानदेय का अधिकतम 20 % तक)	मानदेय का 10%
10.प्रशासनिक खर्च परियोजना लागत का 10%	

टिप्पणियाँ

1. नियुक्त किए गए विशेष शिक्षा शिक्षकों को योग्य होना चाहिए और दिव्यांगता क्षेत्र में आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए। 50 लाभार्थियों तक, नियुक्त विशेष शिक्षक के पास आईडी/सीपी/एमडी में विशेष शिक्षा होनी चाहिए। अतिरिक्त इकाइयों के मामले में, आधे शिक्षकों के पास आईडी/सीपी/एमडी में विशेष शिक्षा होनी चाहिए।

2. लाभार्थियों से मिलने के समय, माता–पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर उसी के मोबाइल नंबर के साथ लिए जाने चाहिए।

3. स्थानीय परियोजना समिति के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना प्रत्येकि वर्ष किया जाना चाहिए।

अनुबंध–

समुदाय आधारित पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री और उपकरणों की निदर्शी सूची

1. शिक्षण और प्रशिक्षण उपकरण	• विभिन्न आकृतियों के साथ पैग बोर्ड • बोर्ड बीड्स (पत्र, संख्या, शरीर के अंग) • लार्ज बी डी एस और छोटे बीड्स (रंगीन 100 प्रत्येक) • ब्लॉक (रंग और गैर रंगीन दोनों) • फूंकने वाले खिलौने, कठपुतली • खिलौने / अन्य सामग्री संवेदी उत्तेजना प्रदान करने के लिए • पेग लिंकिंग • फ़्लैश कार्ड • फलों, सब्जियों, फूलों का चित्र कार्ड • रंग (क्रेयॉन, वॉटर कलर) • ए4 आकार का कागज (रंगीन) • पहेली • गम, सीजर • ब्लैक बोर्ड, मैजिक बोर्ड, एस लेट, चॉक, डी यूस्टर • मोंटेसरी उपकरण • प्रीवोकेशनल उपकरण • नर्सरी से V. तक विभिन्न ग्रेड स्तरों की पुस्तकें • हाइलाइटर स्ट्रिप्स/रीडर ट्रैकर्स • बॉल्स– विभिन्न आकार

	• रंगी क्लेव • ब्रेल लेखन स्लेट , स्टाकयलस और ब्रेल पेपर • टेलर फ्रेम • अबेकस • विज्ञान किट • स्पर व्हील और रबर मैट • ज्यामिति किट • संवेदी प्रशिक्षण किट • सिग्नेचर गाइड • गतिशीलता के लिए बेंत • ब्रेल पुस्तकें और बड़े प्रिंट वाली पाठ्य पुस्तकें • मैग्नीमायर्स • फर्श और टेबल लैंप, रीडिंग स्टैंड • रिकॉर्ड की गई किताबें • आवाज़ करने वाली गेंद • शतरंज, ताश के पत्ते • चटाई / दरी
2. ओटी उपकरणों की सूची	• फ्लोर मैट • कम ऊंचाई के बिस्तर • थैरयूपटिक तकिए • बोल्स्टर • वैजैस़ • जिम बॉल • स्टेपर • पैरेलल बार (लकड़ी / धातु) • सीपी कुर्सी (विभिन्न किस्मों) • माता–पिता के सहयोग द्वारा प्रयोग होने वाले सहायक उपकरण (क्रॉलर, वॉकर आदि)

	• स्थायी फ्रेम • रस्सी की सीढ़ी • ट्रेम्पोलिन • टनल • झूला • प्लेटफार्म झूले • राइडिंग टॉय • पैग बोर्ड • बीड्स फ्रेम • संगीत वाद्ययंत्र (खड़ताल, खिलौने, ड्रम, जाइलोफोन.आदि) • बैलेंस बोर्ड • स्कूटर बोर्ड • जंगल जिम • स्प्लिंटिंग उपकरण : ओरिफिट, ऑरिफिट कटर, ओवन / ईमर्सन हीटर, वेल्क्रो स्ट्रैप
3. पीटी उपकरणों की सूची	**I. विद्युत चिकित्सा उपकरण : (पोर्टेबल)** • टीईएनएस • अल्ट्रासाउंड • आईएफटी • वैक्सी बाथ • विद्युत स्टीम्यूबलेटर • हाइड्रोकोलेटर पैक **II. व्यायाम चिकित्सा उपकरण** : • दर्पण के साथ समानांतर बार • फिजियोथेरेपी बॉल • स्टेटिक साइकिल

	• पुली • हैंड एक्सरसाईज़र • चैस्ट एक्ससपैंडर • व्यायाम चटाई • शोल्डर व्हील • वॉल बार्स • क्रचिज़ • कैलिपर्स • ट्राईपॉड • वाकिंग फ्रेम्स • डम्बल (मिश्रित) • मैडिसिन बॉल • थेरा बैंड • कलाई और हाथ व्यायाम इकाइयाँ • रोगी मूल्यांकन किट (गोनियोमीटर, परक्यूशन हैमर, मापने वाला टेप, आदि)
4. अनुसूचित जनजाति/भाषा हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) उपकरण की सूची	I. **सामान्य चिकित्सीय उपकरण** • दर्पण • टंग डिप्रेसर, टंग स्टिक्स (डिस्पोजेबल) • हाथ के दस्ताने • ओरो–मोटर किट • हाथ की कठपुतली • मिट्टी • अबेकस • बबल्स • सीटी • स्पाइरो मीटर / रेस्पिरो मीटर • स्ट्रॉ

	• मोमबत्ती, माचिस • गुब्बारे • सीड़ी रहाइमिंग • गिनती फ्रेम • शैल्फ • कनेक्टिक ब्लॉक सेट • हाउस ब्लॉक सेट • वर्णमाला ब्लॉक सेट • मैकेनिकल ब्लॉक सेट • टॉवर ब्लॉक सेट • आकार और पैटर्न ब्लॉक सेट • रिंग ब्लॉक सेट • बिल्डिंग ब्लॉक सेट • बॉलिंग पिन सेट • न्यूमैरिकल पैग बोर्ड • प्लें मैट • बैठने की कुर्सी–टेबल • पेग लिंकिंग • ब्लिडिंग ब्लॉक्स • स्टेकर (सर्कल, स्क्वायर, त्रिकोण) • पिरामिड • फ्लावर फिक्स • लेसिंग (आकार, वस्तुएं) • मोती (छोटा, बड़ा, ड्रम, शंक्वाकार, आयताकार) • स्क्विवैन्सिलज़ • लाजिक्ल स्क्विवैन्सिज़ **II. संगीत वाद्ययंत्र**

	• ड्रम • ज़ाईलोफोन • मराकास • डफ • झांझ • घंटी • जिंगल स्टिक • क्लैपर • अगोगो III. शैक्षिक पहेली • न्यूमरल • कैपिटल, स्मॉल लेटर पज़ल • उड़िया स्वर, अंक पहेली • अल्फा फोनो पहेली • आकार पहेली • वस्तु मिलान पहेली • फल, सब्जियां पहेली • वाहन पहेली • पशु (जंगली, खेत, पालतू, समुद्र) पहेली • पक्षी पहेली • फूल पहेली • कीड़े पहेली • शरीर अंग पहेली • आपोज़िट पज़ल • पिक्चर शैडो मिलान पहेली • राइमिंग वर्ड मैचिंग पज़ल

	• मौसम चित्र छँटाई पहेली • रोड सिग्नल पहेली III. फ्लैश कार्ड • वस्तु कार्ड • एक्शन कार्ड • आपोजिट कार्ड • स्टोरी टैलिंग कार्ड • राईमिंग वाले शब्द • वर्णमाला चित्र मिलान कार्ड • संख्यात्मक मात्रा मिलान कार्ड • क्रिएटिव कार्ड (क्या, कब, कहां, कौन) • व्हाएट्स नैक्स्ट कार्ड
5. मनोविज्ञान लैब उपकरण की सूची	I. सामान्य उपकरण • मिरर ड्राइंग उपकरण • मानव भूलभुलैया • मेमोरी ड्रम • स्थिरता परीक्षक • टैचिटोस्कोप • मुलर लेयर उपकरण • फिंगर डेक्सटिनाइट बोर्ड • वर्नियर क्रोनोस्कोप • भूल भुलमणि • सीरियल इंक्रीमिनेशन वेट सेट • टू हैंड कोरडिनेशन
6. संसाधन कक्ष सामग्री की सूची	I. उपकरण आवश्यक दिव्यांगता–वार • एसैस्मेंट चार्ट

	• एसैस्मेंट स्केल्सर • चार्ट/स्लाइड • मॉडल
5. सामुदायिक जागरूकता की सूची और अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	• बुकलेट्स • लीफलेट्स • नाटक • जागरूकता सामग्री • मीडिया जागरूकता (समाचार पत्र, रेडियो, टीवी)

तैयारी/उपचार केंद्र के लिए मॉडल परियोजना

VII. समावेशी शिक्षा परियोजना को जारी रखने के लिए विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक/उपचार केंद्र

प्रस्तावना : विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी) एक बहुआयामी न्यूरो –मनोवैज्ञानिक कमी है जिससे प्रभावित बच्चों में पढ़ने, समझने और लिखने के कौशल में कठिनाई होती है। यदि पेशेवरों से सहायता लेकर इस कठिनाई का समाधान नहीं किया जाता है, तो बच्चों के समावेशी शिक्षा से बाहर होने (ड्रॉप आउट) का जोखिम होता है। वर्तमान में, कोई भी योजना अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों को स्वयं को तैयार करने और समावेशी शिक्षा में शामिल करने के लिए सहायता नहीं करती है।

औचित्य : इस योजना के माध्यम से, अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों की पहचान जल्दी की जाएगी और पिछड़े (लैगिंग) अवधारणाओं को अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से समर्थन दिया जाएगा और समावेशी शिक्षा को जारी रखने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके अलावा, अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों को शिक्षा से बाहर होने के जोखिम से बचाया जाएगा और सामाजिक चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए सशक्त बनाया जाएगा और उनके शैक्षिक/सह–शैक्षिक कौशल को बढ़ाया जाएगा।

1. उद्देश्य :

(i) विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों की जल्द से जल्द पहचान करना;

(ii) विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों को समग्र, बहु–विषयक सहायता प्रदान करना ताकि बच्चे वैकल्पिक शिक्षा विधियों जैसे उपचारात्मक शिक्षण, पुनर्निर्माण शिक्षण आदि का उपयोग करके पिछड़ी हुई अवधारणाओं को सीख सकें;

(iii) विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के सह–शैक्षिक कौशल विकसित करना। उदाहरण के लिए नृत्य, संगीत, साइकिल चलाना, कराटे, योग, ड्राइंग, कढ़ाई, बागवानी, खेती आदि;

(iv) विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के आत्म–सम्मान और भावनात्मक कल्याण के विकास को बढ़ाने के लिए।

2. परियोजना का आकार :

(i) प्रत्येक इकाई के लिए कुल शक्ति 20 से 40 होनी चाहिए।

(ii) इस योजना के लाभार्थियों की कालानुक्रमिक आयु 3 से 18 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए।

3. बुनियादी ढांचा : योजना के लिए बुनियादी ढांचा व्यवस्था विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए और जहां तक संभव हो बाधा और खतरे से मुक्त होनी चाहिए। आउटडोर/प्ले एरिया का प्रावधान वांछनीय है।

200 वर्ग फुट के 04 कमरे प्रत्येक प्रारंभिक इकाइयों के लिए।

200 वर्ग फुट के 02 कमरे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए।

प्रारंभिक इकाई क्षमता	20-40
अतिरिक्त इकाई क्षमता	30 तक (न्यूनतम 15)

4. स्वीकार्य सहायता:

पीबीसी मानदंड निम्नानुसार हैं:

पीबीसी प्रति वर्ष	72850
पीबीसी प्रति माह	6071

आवर्ती और गैर–आवर्ती

1.	फर्नीचर (अल्प लागत वाला बहुउद्देश्यीय और अनुकूलनीय फर्नीचर) अधिकतम रु. 2500 प्रति लाभार्थी वास्तविक जरूरतों के आकलन के अधीन (5 साल में	रु.80000

	एक बार) (2000 * 40 रुपये)	
2.	सृजनात्मक अधिगम के लिए वर्चुअल लैब : आईसीटी सक्षम आधारभूत संरचना (एकमुश्त अनुदान) 10 –कंप्यूटर और सहायक उपकरण। सुगम्य सॉफ़्टवेयर, वेब एक्सेस फ़ीचर, 1–एलईडी टीवी	रु.200000
3.	विशेष शिक्षण अधिगम सामग्री	रु. 60000
4.	पुस्तकालय/संसाधन कक्ष (पहले वर्ष के लिए 10000 रुपये और बाद के वर्षों के लिए 5000 रुपये)	10000/5000
5.	गतिविधियां संबंधी उपकरण (संगीत/नृत्य/कला और शिल्प आदि), खेल/अनुकूल खेल उपकरण (10,000 या वास्तविक जो भी कम हो, 3 वर्षों में एक बार)	10000

निम्नलिखित कर्मचारियों को परियोजना के लिए संगठन द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए :

क्र.सं.	मानवीय संसाधन	पदों की संख्या
1.	क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक सह समन्वयक	1
2.	विशेष शिक्षक (शिक्षक से लाभार्थी अनुपात 1 : 8 अधिगम दिव्यांग बच्चों के लिए)	5
4.	देखभाल कर्ता/ परिचारक/आया (प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए 1)	3
5.	व्यावसायिक चिकित्सक	1
6.	शारीरिक शिक्षा सहयोग शिक्षक (अंशकालिक 1 मुलाकात/सप्ताह)	1
7.	गतिविधि शिक्षक – कला/शिल्प/नृत्य/संगीत/योग/नाटक शिक्षक (प्रति सप्ताह किसी भी 2 गतिविधि शिक्षक के साथ	2

	अंशकालिक प्रति विज़िट के आधार पर)	
8.	क्लीनर सह चपरासी	1
9.	परिवहन	मानदेय का 10%

टिप्पणी :

1) स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बडा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ–साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।

2) किराए के प्रति सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। स्वामित्व वाले भवन के मामले में, इसका रखरखाव **अनुबंध–XIII** के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

3) एसएलडी वाले बच्चों के लिए शिक्षक–छात्र अनुपात के लिए मौजूदा मानदंड 1:8 रखा गया है। तथापि, निधियन की सीमा विभिन्न कारकों यथा सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, पीआईए की वित्तीय क्षमता, सेवा प्रदायगी और पीआईए के गतिविधि स्तर, संगठन आदि द्वारा प्रस्तुत जरूरत एवं औचित्य पर निर्भर करेगा।

4) परिवहन भत्ता पीआईए द्वारा बरकरार रखा जाएगा, यदि वह परिवहन सुविधा प्रदान कर रहा है।

5) प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए केयर गिवर/अटेंडेंट/आया का एक पद।

6) नियुक्त विशेष शिक्षा शिक्षकों को परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांगता क्षेत्र में योग्य और आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए।

7) स्थानीय परियोजना समिति के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन और इसकी रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

8) आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।

अनुबंध –

विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चों के लिए परियोजना तैयारी/उपचार केंद्र के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री और उपकरणों की निदेशात्मक सूची

1. एसएलडी के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री की सूची

- अंग्रेजी, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान आदि सभी विषयों से संबंधित एलकेजी से सभी कक्षाओं की पुस्तकें।
- बहु–संवेदी दृष्टिकोण के माध्यम से अवधारणाओं को पढ़ाते समय प्रदर्शन देने के लिए सैन्स ऑर्गन्स, पर्वत, ग्लोब, सौर–प्रणाली आदि जैसे मॉडल।
- वाणिज्यिक और शिक्षक–निर्मित चार्ट।
- अंकगणितीय सहायता – अबेकस, नंबर रॉड्स, मोंटेसरी, वाणिज्यिक और शिक्षक द्वारा बनाए गए कैलकुलेटर, फ्लैशकार्ड, वर्कशीट, वर्कबुक आदि।
- फ्लैनल बोर्ड
- पहेलियाँ, व्यक्तिगत और समूह खेल, विभिन्न उम्र के लिए उपयुक्त कहानी पुस्तकें
- चित्र पुस्तकें, पत्रिकाएँ और कॉमिक्स
- स्मियूलेटेड लर्निंग सैन्टर्स जैसे मॉक शॉप ।
- फोनिम जागरूकता का समर्थन करने के लिए सामग्री जैसे पूरक सामग्री जिसमें चित्र, प्रतीक, रंग कोडिड कार्ड, उच्च रुचि वाली किताबें, कॉमिक्स, पत्रिकाएं आदि शामिल हैं।
- मौखिक भाषा की कठिनाइयों जैसे क्यू–कार्ड, पूरक दृश्य सामग्री, एएसी विधियों आदि का समर्थन करने के लिए सामग्री।

- मौखिक स्मृति, कार्यशील स्मृति और दृश्य स्मृति को बढ़ाने के लिए गतिविधियां और सामग्री

- दृश्य–स्थानिक क्षमता को बढ़ाने के लिए गतिविधियाँ जैसे ट्रेसिंग शीट, वर्कशीट का टेम्प्लेट, नोट्स ऑर्गनाइज़र, ग्राफ–पेपर, विभिन्न प्रकार के लेखन उपकरण (पेन / पेंसिल) आदि।

2. खेल/अनुकूलित खेल उपकरण की सूची

- क्रिकेट सेट (प्लास्टिक और लकड़ी)
- बैडमिंटन किट
- बॉल्स (टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, रग्बी सॉफ्ट बॉल, शॉट–पुट, वॉली बॉल)
- पोर्टेबल फुटबॉल गोल नेट
- फ्रिजबी और फोम भाला
- बहुरंगी हुला हुप्स
- तश्तरी / मर्किंग कोन्स
- 6 "और 9" स्टैप हर्डल
- 12 फीट पैराशूट
- कूदने की रस्सी
- एजीलिटी लैडर
- बोकी उपकरण
- जिम मैट, केटल बेल्स, फोम जिम स्प्रिंगबोर्ड

- एडजस्टेबल बैलेंस बीम और चपलता टेबल्स
- सॉफ्ट डॉज बॉल्स
- बास्केट बॉल रिंग
- साइकिल

3. विशिष्ट आईसीटी लैब कंप्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर / सहायक उपकरण आदि उपकरण की सूची

- कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक और पावर बैकअप के साथ डेस्कटॉप
- इसके लिए सॉफ्टवेयर :
    - संक्षिप्त नाम विस्तारक
    - वैकल्पिक कीबोर्ड
    - ऑडियो पुस्तकें और प्रकाशन
    - इलेक्ट्रॉनिक गणित कार्यपत्रक
    - ग्राफिक आयोजक और रूपरेखा
    - सूचना और डेटा प्रबंधक
    - ऑप्टिकल कैरेक्टर रिक्गनिशन
    - व्यक्तिगत एफएम सिस्टॉम
    - पोर्टेबल वर्ड प्रोसेसर
    - प्रूफरीडिंग कार्यक्रम
    - भाषण पहचान कार्यक्रम
    - स्पीच सिंथेसाइज़र/स्क्रीन रीडर्स
    - टाकिंग कैलकुलेटर
    - स्पेल–चेकर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी में बात करना
    - वर्ड परिडिक्शेन कार्यक्रम

4. **<u>मनोविज्ञान लैब उपकरण की सूची</u>**

- एनआईएमएच जीएलएडी
- एलडी के लिए निमहंस (एनआईएमएचएएनएस) बैटरी

- डीटीएलडी और डीटीआरडी
- अधिगम दिव्यांगों के लिए अन्य आकलन उपकरण
- बिनेट कामथ इंटेलिजेंस टेस्ट
- सेगुइन फॉर्म बोर्ड
- प्रदर्शन परीक्षण की भाटिया बैटरी
- ड्रा ए पर्सन टैस्टा
- वेक्स्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल (डब्यूमएआईएस–IV)
- बच्चों के लिए वेसलर इंटेलिजेंस स्केल (डब्यूआईएससी–आर)
- अवसाद–खुशी का पैमाना
- व्यवहार मूल्यांकन स्केल्स
- पीजीआई मेमोरी स्केल
- विस्कॉन्सिन कार्ड छँटाई परीक्षण
- पढ़ने के स्तर के लिए परीक्षण

5. ओटी उपकरण की सूची

- विभिन्न प्रकार के कागज (कार्डबोर्ड, सैंडपेपर, ऊतक आदि)
- बोर्ड गेम और पहेलियाँ
- प्ले : डॉ एंड कुकी कुकी कटर, क्राफ्ट स्टिक, ब्लंट चाकू, स्टेंसिल।

- नट और बोल्ट और ताला और चाबी
- संवेदी डिब्बे और बक्से
- बीड्स और स्ट्रिंग्स (विभिन्न आकार, रंग और बनावट) बीड पैटर कार्ड और बीड फ्रेम के साथ
- पैग्स और पैग्स बोर्ड (विभिन्न अवधारणाएं, आकार, आकार, रंग)
- कनेक्टर्स के साथ स्ट्रॉ / स्टिक
- आकार सॉर्टर (विभिन्न आकार, रंग, बनावट)
- सिलाई सामग्री ब्लन्ट, सुई सहित, ऊन, जूट–स्ट्रिंग, बटन, लेस/स्ट्रिंग वाले लेसिंग कार्ड
- विभिन्न प्रकार की बनावट (फोम, प्लास्टिक, लकड़ी, बहु –बनावट) और विभिन्न जटिलताओं के साथ पहेलियाँ, घुंडी, बिना घुंडी, विभिन्न प्रकार के टुकड़े (05 से 30), इंटरलॉकिंग और अलग–अलग टुकड़े, अनुक्रम, फर्श।
- ब्लॉक – छोटे लकड़ी के ब्लॉक/क्यूब्स, इंटरलॉकिंग ब्लॉक, चुंबकीय ब्लॉक, ब्रिसल ब्लॉक, वफ़ल ब्लॉक इत्यादि।
- पकड़ मजबूत करने वाले (विभिन्नं ग्रिप्स)
- सुरक्षा कैंची (विभिन्न आकार और पैटर्न)
- पेपर पंचिंग मशीन (विभिन्न आकार और पैटर्न)
- नेत्र–हाथ समन्वय के लिए सामग्री
- द्विपक्षीय समन्वय के लिए सामग्री
- कोर–मजबूती के लिए गतिविधि आधारित सामग्री
- दृश्य–मोटर एकीकरण के लिए सामग्री
- ज़िप, स्नैप और बटन ड्रेसिंग फ्रेम

- स्टैकिंग, अनुक्रमण और हेरफेर खिलौने
- रंगों के साथ रंग भरने वाली किताब (विभिन्न आकार और बनावट)
- थेरेपी बॉल और बोल्स्टर
- चुंबकीय डार्ट गेम

6. वाक् और भाषा हस्तक्षेप उपकरण की सूची

- मिरर / सेल्फ–करेक्ट मॉनिटर
- जीभ डिप्रेसर
- विभिन्न अवधारणाओं के समतल फ्लैशकार्ड
- सीवी, वीसी, सीवीसी, सीवीसीवी आर्टिक्यूलेशन कार्ड
- आत्म–शांति सिखाने के लिए दृश्य यंत्र
- ''मुझे इसके बारे में बताओ'' विशेषण खेल
- अनुक्रमण और निम्नलिखित दिशा–निर्देश खेल
- पूर्वस्कूली शब्दावली और प्रश्न कार्ड
- वर्ब /एक्शन फ्लैश कार्ड
- ''व्ये हर डज़ ईट गो?'' स्थानिक अवधारणाओं का खेल
- ''वह करता है, वह करती है'' सर्वनाम खेल
- सामान्य प्रथम शब्दों के लिए सांकेतिक भाषा फ़्लैशकार्ड

- ''मजेदार चेहरे'' फ़ाइल फ़ोल्डर व्याकरण खेल
- ''विस्तार अभिव्यक्ति'' टूल किट
- पूर्व–निर्मित कार्यपत्रक और चिकित्सा गतिविधियाँ
- व्हाइट–बोर्ड और मार्कर

7. प्ले / योग / संगीत / नृत्य चिकित्सा उपकरणों की सूची

- योगा मैट
- संगीत वाद्ययंत्रः घंटी, पियानो, त्रिकोण, जाइलोफोन, ताल की छड़ें; ड्रम; टैम्बोरिन, झांझ, टोन–ब्लॉक
- डांस प्रॉप्सः स्कार्फ, रिबन, स्ट्रीमर; हुप्स; कपड़े और जूते (पुरुष और महिला)
- ऑडियो उपकरणः टेप / सीडी प्लेयर, रेडियो; विभिन्न प्रकार के संगीत जैसे लोक, शास्त्रीय, लोकप्रिय बच्चों के गीत, तुकबंदी, विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न भाषाओं के संगीत के टेप / सीडी। हेडफोन, सॉन्ग–बुक्स, माइक्रोफोन।
- ड्राइंगः बड़े और छोटे क्रेयॉन; पेन, पेंसिल, इरेज़र, रंगीन पेंसिल; मोटे और पतले धोने योग्य मार्कर; चाक, चाक बोर्ड, इरेज़र; कागज (विभिन्न आकार और रंग, पंक्तिबद्ध और रिक्त), समाचार पत्र, टिशू पेपर, निर्माण कागज; ड्राई–इरेज़ बोर्ड और मार्कर।
- पेंटिंगः फिंगर पेंट्स; तरल टेमपरा पेंट; ब्लॉक / डिस्क टेम्परा पेंट और ट्रे; विभिन्न प्रकार के पेंट बर्तन, पेंट ब्रश, रोलर्स, स्क्वीज और स्प्रे बोतलें, स्पंज, क्यू–टिप्स, पेंट स्क्रेपर्स
- कोलाजः गोंद की बोतलें, गोंद–छड़ें, गोंद–ब्रश / स्प्रेडर्स; कागज–स्क्रैप, पत्रिकाएं, कार्ड, रैपिंग पेपर, रिबन; निर्माण के लिए कार्डबोर्ड ट्यूब, बक्से, रोल; लगा / फैब्रिक स्क्रैप, यार्न / स्ट्रिंग्स; रुई के गोले; पोम पोम्स; स्पारकल, बटन, सेक्विन, रत्न; प्राकृतिक वस्तुएँ (पत्तियाँ, बीज, टहनियाँ, पंख)
- 3 डी सामग्रीः ग्लूइंग / निर्माण के लिए प्ले–आटा, मिट्टी, लकड़ी; पाइप–क्लीनर, प्लास्टिसिन, आदि।

- उपकरणः सेफ कैंची (बाएं और दाएं हाथ), स्टेपलर, पेपर पंच, टेप (विभिन्न प्रकार), टेप–धारक; प्ले–आटा (शिल्प की छड़ें, ब्लन्ट चाकू, कैंची, स्टेंसिल) के साथ उपयोग करने के लिए उपकरण।

8. संसाधन कक्ष सामग्री की सूची

- विभिन्न विषय क्षेत्रों और जीके में चित्रों वाली पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय।
- एनसीईआरटी और सीबीएसई की ग्रेड स्तर की किताबें
- एससीईआरटी की ग्रेड स्तर की किताबें
- एनआईओएस की ग्रेड स्तरीय पुस्तकें
- कक्षा 01 से कक्षा 12 वींतक के विभिन्न विषयों के लिए अतिरिक्त पुस्तकें
- विभिन्न ग्रेड के लिए कहानी की किताबें
- विभिन्न ग्रेडों के लिए कंप्यूटर और डिजिटल शिक्षण सामग्री/सॉफ्टवेयर
- विभिन्न ग्रेड स्तरों और विभिन्न विषयों के लिए मॉडल, चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, स्टोरी कार्ड, पिक्चर बुक्स

क्रॉस–डिसेबिलिटी**पुनर्वास के लिए मॉडल परियोजना**

VIII. क्रॉस –डिसेबिलिटी थेरेपी और परामर्श केंद्र

यह परियोजना किसी भी प्रकार की दिव्यांगता (जैसा कि एसिड–अटैक पीड़ितों सहित आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में निर्दिष्ट है) से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों को उनकी चिकित्सीय या परामर्श आवश्यकताओं के लिए क्रॉस–डिसेबिलिटी थेरेपी और परामर्श सहायता प्रदान करना है। यह परियोजना वृद्धावस्था सहित किसी भी उम्र के दिव्यांगजनों की सेवा करेगी।

1. उद्देश्य :

(i) बच्चों, किशोरों, वयस्कों और वृद्धावस्था की जनसंख्या के लिए चिकित्सीय और परामर्श सेवाएं।

(ii) मुख्यधारा के स्कूल में जाने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता।

(iii) दिव्यांगजनों के समावेश और पुनर्वास को बढ़ावा देना।

(iv) दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता और जीवन कौशल को बढ़ावा देना।

(v) बच्चों में दिव्यांगता की गंभीरता और प्रभाव में कमी।

(vi) दिव्यांगजनों के कामकाज के स्तर में पर्याप्त सुधार।

(vii) अतिरिक्त और संबद्ध दिव्यांगताओं में पर्याप्त कमी।

(viii) सक्रिय भागीदारी और समावेश के लिए आवश्यक कौशल में सुधार करना।

(ix) पारिवारिक कौशल प्राप्त करने में सुधार करने से सशक्तिकरण होगा।

(x) पुनर्वास की प्रक्रिया में भागीदारों के रूप में माता–पिता की बढ़ी हुई भागीदारी।

(xi) दिव्यांगजनों के रोजगार और आय सृजन को बढ़ावा देना।

2. परियोजना का आकार :

हस्तक्षेप के लिए लाभार्थियों की संख्या 30 से 50 दिव्यांगजनों की होनी चाहिए। प्रत्येक अतिरिक्त इकाई 50 लाभार्थियों से अधिक 30–50 लाभार्थियों की होगी।

3. बुनियादी ढांचा :

केंद्र की ढांचागत व्यवस्था में शामिल होना चाहिए :

- ओटी कक्ष – न्यूनतम 350 वर्गफीट ।
- पीटी कक्ष – न्यूनतम 350 वर्गफीट ।

- वाक् और भाषा हस्तक्षेप कक्ष – न्यूनतम 250 वर्ग फीट
- मनोविज्ञान, परामर्श और परिवार चिकित्सा कक्ष – 250 वर्ग फुट ।
- पुनर्वासन और कौशल शिक्षा कक्ष – न्यूनतम 350 वर्ग फुट ।
- बहुउद्देश्यीय हॉल – न्यूनतम 500 वर्ग फुट।
- चिकित्सा कक्ष – न्यूनतम 200 वर्ग फुट ।
- मनोरंजन और आराम कक्ष – न्यूनतम 350 वर्ग फुट ।
- आउटडोर/खेल क्षेत्र का प्रावधान वांछनीय है।

प्रारंभिक इकाई क्षमता	50 (न्यूनतम 30)
अतिरिक्त इकाई क्षमता	50 (न्यूनतम 30)

50 लाभार्थियों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए, प्रारंभिक इकाई से परे, (i) मनोविज्ञान, परामर्श और परिवार चिकित्सा के लिए 03 अतिरिक्त कमरे; (ii) पुनर्वास और कौशल शिक्षा; और (iii) निर्धारित आकार के मनोरंजन और अवकाश कक्ष की आवश्यकता होगी।

4. स्वीकार्य सहायता :

स्वीकार्य मानदंड प्रति लाभार्थी लागत (पीबीसी) होंगे।

1. 50 लाभार्थियों के लिए फर्नीचर (बेंच, मेज, कुर्सी, अलमारी आदि सहित) 2,000/– की दर से (5 वर्ष में एक बार)	रू.100000
2. जिम / खेल / एडेपटेड खेल उपकरण	रू.10000
3. पुनर्वास उपकरण	परियोजना में नीचे दिए गए अनुबंध के अनुसार
4. ओटी उपकरण	
5. पीटी उपकरण	
6. वाक् और भाषा हस्तक्षेप उपकरण	
7. मनोविज्ञान लैब उपकरण	
8. मनोरंजन और अवकाश सामग्री (नाटक/योग/संगीत/नृत्य)	
9. संसाधन कक्ष सामग्री (पहले वर्ष के लिए 10000 रुपये / बाद के वर्षों के लिए 5000 रुपये)	रू.10000 (एक बार)/ रू. 5000 (आवर्ती)
10. शिक्षण और अधिगम सामग्री	रू. 60000
11. विशिष्ट कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/सहायक उपकरण/आईसीटी आदि	रू. 50000

निम्नलिखित कर्मचारियों को परियोजना के लिए संगठन द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए:

डाक	**पदों की संख्या**
1. क्लीनिकल/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक सह समन्वयक	1
2. पुनर्वासन और कौशल शिक्षक (विशेष शिक्षक)	1
3. व्यावसायिक चिकित्सा (ओटी)	1
4. फिजियोथेरेपी (पीटी)	1
5. स्पीच थेरेपी (एसटी) सह ऑडियोलॉजिस्ट	1

6. आया / परिचारक	1
7. डॉक्टर / बाल रोग विशेषज्ञ /पीएमआर (प्रति सप्ताह पार्ट टाइम प्रति विज़िट के आधार पर एक अनिवार्य विज़िट के साथ)	1
8. प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स (पी एंड ओ) पार्ट टाइम प्रति विज़िट के आधार पर, प्रति सप्ताह एक अनिवार्य विज़िट के साथ।	1
9. अतिरिक्त पुनर्वास और कौशल शिक्षक के लिए अतिरिक्त इकाई	1
10. अतिरिक्त यूनिट के लिए अतिरिक्त चिकित्सक (क) व्यावसायिक चिकित्सक (ख) फिजियोथेरेपिस्ट (ग) भाषा चिकित्सक सह ऑडियोलॉजिस्ट	अंशकालिक (4 घंटे) कर्तव्य के आधार पर 1 1 1
11. परिवहन	मानदेय का 10%

टिप्पणी

1. स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बडा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ–साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।

2. किराए के प्रति सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। यदि यह परियोजना विशेष स्कूल का एक भाग और किराए का दावा किया जाता है तो इस परियोजना के लिए किराए हेतु किसी भी अतिरिक्त सहायता पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।

4. इस प्रकार की परियोजनाओं में लाभार्थियों को एक दिन/सप्ताह में केवल कुछ घंटों के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होती है और शिक्षकों, परिचारकों और आयाओं की सेवाओं का ईष्टतम प्रयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस कारक को ध्यान में रखते हुए पदों की वास्तविक संख्या को विनियमित किया जाएगा।

5. नियुक्त किए गए विशेष शिक्षा शिक्षकों को योग्य होना चाहिए और परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांतगता क्षेत्र में आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए।

6. स्थानीय परियोजना समिति के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन और इसकी रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अनुबंध –

परियोजना क्रॉस दिव्यांगता परामर्श और चिकित्सा केंद्र के लिए सामग्री और उपकरणों की निदेषात्मक सूची

फिजियोथैरेपी इकाई

क्र.सं.	मदों का नाम
69.	पैरेलल बार
70.	स्टेपर
71.	कार्नर स्टेयर क्लाईम्बर (प्रशिक्षण सीढ़ियों)
72.	स्टैटिक सायॅकल
73.	स्टैडिंग फ्रेम
74.	रोइंग – मशीन
75.	कार्नर चेयर
76.	सीपी कुर्सी (ऐडजेस्टेबल)

77.	प्रौन क्रॉलर
78.	प्रौन वैज
79.	बोल्स्टर (1– व्यास 30 सेमी ×90 सेमी लंबा; 1– व्यास 40 सेमी ×120 सेमी लंबा)
80.	स्विस बॉल (55सेमी; 65सेमी; 75सेमी)
81.	पीनट बॉल
82.	बोसू बॉल
83.	बेलेन्स बोर्ड
84.	वौबल बोर्ड
85.	स्कूटर बोर्ड
86.	झूलों के विभिन्न प्रकार (v) बॉल्सटर (vi) प्लेटफार्म (vii) टी– आकार का (viii) सैंसरी स्विंग
87.	रोप लैडर स्विंग
88.	रॉक कलाईम्बर
89.	बॉल पूल
90.	टनल
91.	क्ले डो
92.	सैन्सरी स्टिीम्यूलेशन किट
93.	थैरेप्यूटिक सैंड
94.	थैरेपी मैट
95.	ट्रैम्पोलिन

96.	ऐडजैस्टेबल वॉकर
97.	ऐडजैस्टेबल एक्सिलरी क्रचैज़ (1 जोड़ी)
98.	ऐडजैस्टेबल ऐल्बौ क्रचैज़ (जोड़ी)
99.	गटर क्रॅच
100	व्हीलचेयर
101	ऐडजैस्टेबल वॉकिंग स्टिक
102	समायोज्य क्वाड्रिपॉड छड़ी
103	ऐडजैस्टेबल ट्राईपॉड वॉकिंग स्टिक
104	एमएफआर बॉल– 5 किलो
105	एमएफआर रोलर्स
106	वेट क्फस (1/2 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो आदि) – जोड़े
107	थेराबेंडस (प्रतिरोध के अनुसार विभिन्न रंग)
108	थेराबेंडस (प्रतिरोध के अनुसार विभिन्न रंग)
109	मैडिसिव बॉल (1 किग्रा, 2 किग्रा आदि)
110	इनडौर बास्केट बॉल
111	पैग बोर्डस
112	दृश्य, श्रवण और स्पर्श करने वाले खिलौने
113	सॉफ्ट टायॅज़ (विभिन्न प्रकार)
114	रिंग स्टैंड
115	स्टैंड के साथ पोस्टुरल ट्रेनिंग मिरर
116	क्वाड्रिसेप्स टेबल
117	ट्रीटमैन्ट काउच

118	रोलेटर
119	पिडियाट्रिक सायकल
120	ट्रेडमिल विद हार्नेस प्रणाली
121	एक्टीव पैसिव सायकल
122	पुली
123	शोल्डर व्हील
124	एंकल ऐक्सरसाईज़र
125	हाथ व्यायाम करने वाला टेबल
126	दीवार उंगली सीढ़ी
127	टिल्ट टेबल
128	स्फीगैमोमेनोमीटर
129	स्टेथोस्कोप
130	मापन टेप
131	हथौडा
132	गोनियोमीटर
133	कपास
134	स्पंद ऑक्सीमीटर
135	आपातकाल की घंटी
136	तौलिए

विद्युततापीय तौर–तरीके

क्र.सं.	मदों का नाम

10.	विद्युत उत्तेजक
11.	टीईएनएस
12.	इंटरफेरेंशियल थेरेपी
13.	अल्ट्रासोनिक थेरेपी
14.	क्रायोयूनिट और क्रायो कफ
15.	नम गर्मी पैक के साथ हाइड्रोकोलेटर नम हीट मशीन (गर्भाशय ग्रीवा और लम्बर लघु और लंबा)
16.	लेजर
17.	माइक्रोवेव डायथर्मी
18.	पैराफिन मोम बाथ

कार्यात्मक स्केल :

क्र.सं.	कार्यात्मक स्केल
1.	सकल मोटर कार्यात्मक उपाय

व्यावसायिक चिकित्सा यूनिट

क्र.सं.	मदों का नाम
1	दूसरी तरफ ढलान के साथ सीढ़ी पर्वतारोही
2	थेरेपी गेंदः 75सेमी, 85सेमी, 95सेमी,
3	मिट्टी का आटा
4	स्टैंडिंग फ्रेम बड़ा आकार

5	संशोधनों के साथ सीपी कुर्सी वयस्क आकार
6	कीलः 15सेमी × 60सेमी × 70सेमी
7	बोल्स्टर : आरेख 35सेमी × 90सेमी आरेख 40सेमी × 120सेमी
8	संतुलन बीम
9	शेष बोर्ड
10	ट्रम्पोलिन
11	टेक्टाइल वॉल
12	इनडोर बॉस्केट बॉल
13	खेल खिलौने
14	3–डी वर्णमाला, संख्या, जानवरों की तरह खिलौने सीखना
15	खूंटी बोर्डोंः मशरूम खूंटी बोर्ड पिंच पेग बोर्ड भारित खूंटी बोर्ड नट और स्क्रूर पेग बोर्ड
16	विभिन्न प्रकार की पहेलियाँ
17	विभिन्न आकारों, आकारों, बनावट के मोती अधिमानतः (मध्यम से छोटे तक)
18	अबेकस बोर्ड– वरिष्ठ
19	पेड़ो चक्र सपोर्ट सहित
20	एडीएल तालिका
21	चुंबकीय ग्रास्पर
22	विभिन्न प्रतिरोध के थेरा बैंड
23	वजन कफ 2 किग्रा का जोड़ा, 3 किलो का जोड़ा 3½ किग्रा का

	जोड़ा 4 किग्रा का जोड़ा, 4 ½ किग्रा का जोड़ा, 5 किग्रा का जोड़ा
24	समायोज्य ऊँचाई के साथ रोलेटर
25	समायोज्य ऊंचाई के साथ वॉकर
26	समायोज्य ऊंचाई के साथ ड्राईपोड़ और चतुर्भुज छड़ी
27	व्हीलचेयर
28	पैर रोलर्स
29	कंधे पहिया
30	उंगली सीढ़ी
31	कंधे की चरखी
32	हाथ व्यायामकर्ता प्रोनेटर / सुपिनेटर निर्मल उंगली व्यायामकर्ता सैंडिंग इकाइयाँ पिंच पेड़ हाथ जिम किट बॉक्स
33	प्लिंथ्स
34	पॉप पट्टियाँ
35	विभिन्न प्रकार के झूलेः परिपत्र, मंच, टायर, पाइप
36	बड़ी सुरंगें
37	हाथ पकड़े बड़े आकार के दर्पण
38	कैंची
39	फेवीकोल

40	स्केच पेन, क्रेयॉन जैसे विभिन्न रंग।
41	कागजः ग्लेज़ कागज, चार्ट पेपर
42	रंगों को पेंट करें
43	रेत प्ले बॉक्स
44	एडीएल प्रशिक्षण इकाई जैसे वॉश बेसिन, ड्रेसिंग टेबल, खाने की मेज आदि और इसके लिए आवश्यक बर्तन और सामान।
45	चढ़ाई दीवार
46	दृश्य उत्तेजना के साथ अंधेरे कमरे
47	प्रतिरोध खेल
48	पोस्टुरल दर्पण
49	भारित गेंदोंः 2 किलोग्राम 2 ½ किलोग्राम 3 किलोग्राम 3 ½ किलोग्राम 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम
50	विभिन्न टेक्स्चर्ड गेंदः स्पंज गेंद, स्पाइक गेंद, स्विगी गेंद, नरम गेंद
51	उपकरणः बीओटीएमपी2, डब्ल्यूईईएफआईएम, संवेदी प्रोफ़ाइल, जीएमएफएम, डेश, बर्ग संतुलन स्केल, सीओपीएम, एमएमएसई, कार एफएमए, टीवीपीएस, बैरी वीएमआई, एसआईपीटी नौ छेद खूंटी परीक्षण, मिनेसोटा लिखावट परीक्षण मिनेसोटा हाथ निपुणता परीक्षण, जेबसन टाइलर परीक्षण एम्स सीओटीएनएबी, डी– लोटका, पर्ड्यू खूंटी बोर्ड बेक के डिप्रेशन इन्वेन्टरी, एफआईएम, वीएएस, एससीआईएम, एशिया, एमओसीए, मौखिक अतिसंवेदनशीलता पैमाने

प्ले थेरेपी यूनिट

क्र.सं.	मद का नाम
24.	बॉल पूल

25.	मिट्टी का आटा
26.	स्विगी बॉल
27.	कठपुतलियां
28.	टेक्टाइल दीवार
29.	इनडोर बास्केट गेंद
30.	गुड़िया हाउस
31.	बुलबुला स्नान टब
32.	वेबी जादू रेत
33.	फर्श मैट
34.	स्किटल्स
35.	झूला
36.	रैटल
37.	बीन बैग
38.	खेल खिलौने
39.	लोन रेंजर प्रकार के मास्क
40.	पेंट सेट
41.	सिम्बल्स
42.	चिड़ियाघरों के जानवर, खेत के जानवर
43.	टॉय टनल
44.	कैरम बोर्ड
45.	फनब्लास्ट टिवस्टर होपस्कोच
46.	डार्ट बोर्ड सेट

मनोविज्ञान प्रयोगशाला

क्र.सं.	मनोवैज्ञानिक परीक्षण
1.	विकासात्मक स्क्रीनिंग टेस्ट / गेसेल विकास अनुसूची
2.	विनलैंड सामाजिक परिपक्वता पैमाने
3.	बाल्य ऑटिज्म रेटिंग स्केल / आत्मकेंद्रित के मूल्यांकन के लिए भारतीय पैमाने
4.	सेगुइम फॉर्म बोर्ड टेस्ट
5.	गेसेल ड्राइंग टेस्ट
6.	विशिष्ट अधिगम की अक्षमता के लिए बैटरी
7.	कॉनर का एडीएचडी रेटिंग स्केल
8.	भारतीय बच्चों के लिए मालिन का बुद्धिमत्ता पैमाना (एमआईएसआईसी)
9.	बुद्धिमत्ता के लिए बिनेटकामत टेस्ट (बीकेटी)
10.	जूनियर स्वभाव और चरित्र सूची
11.	बच्चों के एपरसेप्शन टेस्ट (सीएटी)
12.	16 पीएफ
13	वयस्क आत्मघाती विचारधारा प्रश्नावली (एएसआईक्यू)
14.	एम्स व्यापक न्यूरोलॉजिकल बैटरी – वयस्क रूप
15.	एम्स न्यूरोलॉजिकल बैटरी – बच्चों का रूप
16.	अलेक्जेंडर के पास–ए–लॉन्ग टेस्ट
17.	किशोर ड्रिकिंग सूचकांक
18.	बाले शिशु विकास पैमाने

19.	बेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट (1 और 2 दोनों)
20.	बाल दुर्व्यवहार मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट
21.	बच्चों के व्यक्तित्व प्रश्नावली (सीपीक्यू)
22.	बच्चों के रंग ट्रेल टेस्ट
23.	प्रगतिशील विश्राम के लिए नैदानिक गाइड
24.	संज्ञानात्मक व्यवहार रेटिंग स्केल
25.	संज्ञानात्मक विरूपण स्केल
26.	संज्ञानात्मक लक्षण चेकलिस्ट
27.	कॉलेज समायोजन तराजू– इन्वेंट्री किट
28.	रंग प्रगतिशील मैट्रिसेस
29.	गैर मौखिक बुद्धिमत्ता के लिए व्यापक परीक्षण
30.	काम्पैरेंसिव ट्रेल–मेकिंग टेस्टक (सीटीएमटी)
31.	अधिगम और व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन
32.	मूक बधिर और अनेकों बहु–दिव्यांग छात्रों के लिए पाठ्यक्रम गाइड
33.	रक्षा तंत्र इन्वेंट्री
34.	मनोभ्रंश रेटिंग स्केल
35.	अंतर खेल
36.	डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट
37.	ड्रा–ए–व्यक्ति परीक्षण
38.	भावनात्मक परिपक्वता पैमाने
39.	सम्मान खेल
40.	परिवार कार्य प्रश्नावली

41.	फैमिली लिविंग खेल
42.	हताशा खेल
43.	सामान्य स्वास्थ्य प्रश्नावली
44.	वैश्विक समायोजन सूची– छात्र
45.	वैश्विक समायोजन सूची– वयस्क
46.	हैमिल्टन अवसाद इन्वेंट्री
47.	हैमिल्टन चिंता स्केल
48.	गृह पर्यावरण इन्वेंट्री
49.	अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व विकार परीक्षा
50.	सीखने की अक्षमता नैदानिक सूची
51.	पत्र रद्दीकरण परीक्षण
52.	वैवाहिक समायोजन सूची
53.	एमएमपीआई–2
54.	प्रेरक विश्लेषण परीक्षण
55.	पी.जी.आई. बीबीडी
56.	पी.जी.आई. जनरल अच्छी तरह से किया जा रहा है उपाय
57.	जीवन की गुणवत्ता पैमाने
58.	मिनी मानसिक स्थिति परीक्षा
59.	रोर्शाच साइको–डायग्नोस्टिक टेस्ट
60.	सेक का वाक्य समापन परीक्षण
61	विषयगत अपेक्षरण परीक्षण
62.	बुद्धिमत्ता के लिए वेचस्लेर वयस्क प्रदर्शन पैमाने

63.	विस्कॉन्सिन कार्ड छँटाई परीक्षण
64.	वेचस्लेर स्मृति स्केल
65.	विभिन्न जैव प्रतिक्रिया प्रणालियों
66.	संज्ञानात्मक प्रशिक्षण मॉड्यूल
67.	संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी मॉड्यूल
68.	तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी मॉड्यूल
69.	आईपीएसआरटी मॉड्यूल
70.	प्ले थेरेपी मॉड्यूल
71.	प्रेरक वृद्धि थेरेपी मॉड्यूल
72.	परिवार थेरेपी मॉड्यूल

बच्चों के लिए उपकरण

क्र.सं.	डोमेन	सामग्री का नाम
1.	**संज्ञानात्मक**	✓ पहेलियाँ 2 – 6 टुकड़ा ✓ सरल चित्र अनुक्रमण कार्ड ✓ कपड़ा कैलेंडर ✓ ब्लॉक किताबें– विभिन्न चित्रों, दैनिक वस्तुओं, जानवरों, सब्जियों, फल, आदि, ✓ सरल भूलभुलैया बोर्ड ✓ ज्यामितीय स्टैकर ✓ छोटे बच्चों के लिए कहानी किताबें ✓ जंबो रंग के चाक के साथ बोर्ड लेखन ✓ आकृति सॉर्टर

		✓ जंबो क्रेयॉन ✓ विभिन्न रंग चार्ट
2.	**सकल मोटर कौशल**	✓ शंकु ✓ इनडोर बास्केट गेंद ✓ विभिन्न आकारों, टेक्साचरस, संगीत, रोशनी की गेंदों ✓ संतुलन बीम ✓ बाधाओं सेट (4/8 का सेट)
3.	**फाइन मोटर स्कीसलस एण्ड आंख हाथ समन्वय**	✓ लकड़ी के ब्लॉक ✓ रिंग स्टैंड ✓ खूंटी बोर्ड आकार, आकार, चित्र, शरीर के कुछ हिस्सों ✓ तेज़ खिलौने लकड़ी के हथौड़ा और खूंटे ✓ लिंक्स ✓ स्टैकिंग टब ✓ विभिन्न आकारों, आकारों, टेक्सचर अधिमानतः के मोती (मध्यम से बड़े तक) ✓ अबेकस बोर्ड जूनियर ✓ लेसिंग बोर्ड ✓ ड्रेसिंग फ्रेम– बटनिंग, ज़िपिंग, लेसिंग ✓ मुद्रांकन पैड ✓ टिंकर खिलौने

		✓	चौपिंग बोर्ड
		✓	पैनी बॉक्स
		✓	वंडर वॉल
		✓	कताई गियर
4.	**संचार**	✓	दर्पण
		✓	कहानी अनुक्रमण फ़्लैश कार्ड
		✓	चित्र संचार कार्ड
5.	**प्लेन एण्ड सोशल**	✓	बुलबुला उड़ाने खिलौने
		✓	हाथ कठपुतलियाँ और उंगली कठपुतलियाँ
		✓	हल्के और संगीत के खिलौने
		✓	फेस मास्क
		✓	गुडियां, रसोई सेट, वाहन खिलौने
		✓	प्लेस डो
		✓	काइनेटिक सेंड
		✓	बौर–विषैले वॉटर पेंट्स
		✓	सेंड आर्ट / सेंड प्ले
		✓	पुश एण्ड पुल खिलौने
6.	**संवेदक**	✓	टेक्स्चर्ड चटाई
		✓	टेक्स्चर्ड किट
		✓	टेक्स्चर्ड किताबें
		✓	रॉकिंग कुर्सी / घोड़ा
		✓	थेरेपी गेंद
		✓	पिनट गेंद

		✓ डोनट गेंद ✓ बीन बैग ✓ रेंगने वाली सुरंग ✓ ट्रैम्पोलिन 150 सेमी ✓ बॉल पूल ✓ झूला ✓ संतुलन बोर्ड 28 "×33" ✓ कंपित्र /मशाज करने वाला ✓ रस्सी वाली सीढ़ी ✓ चबाने वाली ट्यूब ✓ कपड़े की पिन

वाक् चिकित्सा एकक

क्र.सं.	मद का नाम
40.	डॉ. स्पीच (एन इलेक्ट्रोग्लोटोग्राफ (ईजीजी)
41.	लेरीपीआईएग्राफ
42.	श्वसन स्पाइरोमीटर
43.	पीआरएएटी साफ्टवेयर
44.	एएसी डिवाइस – एएडब्यूएजे, पेक्सट
45.	विलंबित श्रवण प्रतिक्रिया (डीएएफ) डिवाइस
46.	इलेक्ट्रोलेरिन्क्स

47.	वेस्टर्न एपेशिया बैट्ररी (डब्यूस्र एबी)
48.	भाषाई प्रोफ़ाइल परीक्षण (एलपीटी)
49.	हिंदी अभिव्यक्ति परीक्षण
50.	कार
51.	कोम–डील (भाषा सीखने के लिए विकासात्मक उदार दृष्टिकोण)
52.	एसएसआई–3 (स्टट्रिंग सिवियरिटी यंत्र)
53.	नैजोमीटर
54.	फ्रेंच डिसार्थ्रिया आकलन (एफडीए)
55.	कहानी बताने वाले चित्र
56.	टंगडि
57.	पोर्टेबल मिरर
58.	च्यूंइंग चित्र
59.	एक्शन चित्र
60.	ध्वनि उत्पन्न करने खिलौने
61.	पहेलियां
62.	स्ट्रॉ
63.	शहद
64.	लालीपाप
65.	कंपन वाला दंत ब्रश
66.	एक्शन पिचर्स
67.	बॉडी पार्टस पिचर्स
68.	गुब्बारे

69.	मोमबत्तियां
70.	हिंदी अल्फासबेटस (टेक्टाइल)
71.	0 से 9 तक क्रमांकन (स्पर्श)
72.	वाहन
73.	अर्टीक्यूलेशन–काड्र्स–सीवी–वीसी–सीवीसी–सीवीसीवी
74.	नोब ट्रे
75.	विलोम पहेली
76.	टॉय फोन
77.	मस्तिष्क बूस्टर पहेली
78.	डब्ल्यूएच, कौन, क्या, क्यों, कब और कहां सवाल

विशेष शिक्षा इकाई

क्र.सं.	मद का नाम	विवरण / मद के विनिर्देश
14.	बीन बैग	मध्यम आकार
15.	रिवोल्विंग चेयर	ऊँचाई समायोज्य
16.	अलमारी	वॉल माउंटिड
17.	घड़ी	दीवार स्थिर
18.	एलसीडी स्क्रीन	मध्यम आकार
19.	एलसीडी प्रोजेक्टर	
20.	कम्प्यूटर,	चेयर, टेबल, यूपीएस, सीपीयू, की–बोर्ड, माउस एण्ड स्पीकस
21.	ब्लैक बोर्ड	नोटिस बोर्ड के साथ, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड
22.	अलमारी	इस्पात

23.	लिपिकीय सारणी	लकड़ी
24.	सामग्री भंडारण बॉक्स	बड़ा आकार
25.	मेटेरियल स्टोसरेज बॉक्स	मध्यम आकार
26.	मेटेरियल स्टोलरेज बॉक्स	छोटा आकार

शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम):

क्र.सं.	मदों के नाम	वर्णन / वस्तुओं का विनिर्देश
74.	बॉडी पार्टस पजल्स	लकड़ी
75.	सब्जियां: मॉडल	लकड़ी / प्लास्टिक
76.	फल: मॉडल	लकड़ी / प्लास्टिक
77.	वोवल्स विद नोब (क्षेत्रीय भाषा)	लकड़ी
78.	पूर्व लेखन पैटर्न	लकड़ी
79.	ग्रोथ पजल	लकड़ी
80.	अंग्रेजी वर्णमाला ट्रे – अपर केस	लकड़ी
81.	अंग्रेजी वर्णमाला ट्रे– लोअर केस	लकड़ी
82.	आकृतियाँ बोर्ड	लकड़ी
83.	एक टॉवर बनाएँ: बड़ा सर्कल	लकड़ी
84.	एक टॉवर बनाएँ: बड़ा वर्ग	लकड़ी
85.	टॉवर टेकिंग क्यूब्स बनाएँ	लकड़ी
86.	ट्रांसपोर्ट पजल	लकड़ी
87.	एनिमल पलज्स (विल्डो एण्ड डोमेस्टिक)	लकड़ी

88.	वर्णमाला फ़्लैश कार्ड	थिक पेपर मेटेरियल
89.	अंग्रेजी वर्णमाला फ़्लैश कार्ड	थिक पेपर मेटेरियल
90.	3 टुकड़ों की पहेली	लकड़ी एण्ड कार्ड बोर्ड
91.	लकड़ी के मोती : बड़ा आकार	लकड़ी
92.	विट्सः स्मॉल साइज	लकड़ी / प्लास्टिक, मल्टी कलर
93.	शॉप बिट्स	लकड़ी / प्लास्टिक
94.	बीन बैग	रेक्सीन, मीडियम साइज
95.	सम्मिलित पहेली की गणना और मिलान करें	लकड़ी
96.	लेसिंग सेट	लकड़ी, थ्रिट
97.	पूह (क्लोक)	लकड़ी, मेनुअल
98.	ट्रेसिंग सेटः वर्णमाला	लकड़ी
99.	ट्रेसिंग सेटः अंग्रेज़ी – अपर केस	लकड़ी
100	अनुरेखण सेटः अंग्रेजी– लोअर केस	लकड़ी
101	ड्रेसिंग फ्रेम	कपड़े सहित
102	अच्छी आदतों के फ्लैश कार्ड	कार्ड बोर्ड
103	बर्डस : पजल्स	लकड़ी
104	बर्डस : फ्लैश कार्ड	कार्ड बोर्ड
105	वाहनः पजल्स	लकड़ी
106	व्हीकल : फ्लैश कार्ड	कार्ड बोर्ड
107	फल : पहेली	लकड़ी
108	फल : फ्लैश कार्ड	कार्ड बोर्ड
109	फूलों की : पहेली	लकड़ी

110	फूल : फ्लैश कार्ड	कार्ड बोर्ड
111	शेप बोर्ड	मेग्नेटिक
112	अर्ली ऐक्शन	पहेली
113	स्पोंज स्टेमपिंग	लकड़ी / प्लास्टिक
114	प्रारंभिक स्मृति खेल	
115	भूल भुलैया	लकड़ी
116	हेमर पेग	लकड़ी
117	रेलबो लिंक	लकड़ी
118	नम्बर्स पजल्स	लकड़ी
119	संख्या : फ़्लैश कार्ड	कार्ड बोर्ड
120	शोर्टिंग बिट्स (बिग)	कलर्स सोर्टिंग लकड़ी
121	शोर्टिंग बिट्स (बिग)	शेप सोर्टिंग लकड़ी
122	फेमली पजल्स	लकड़ी
123	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स	
124	कहानी कह रही है फ़्लैश कार्ड	कार्ड बोर्ड
125	जियो बोर्ड (49 भू–पिन)	लकड़ी
126	जियो बोर्ड (196 भू–पिन)	लकड़ी
127	लर्न (एन) काउंट (रिंगस =1 टू 10)	लकड़ी
128	स्पिंडल बॉक्स	लकड़ी
129	जंबो क्रेयॉन	वेक्स क्रियोन्स
130	रिंग टॉवर	लकड़ी
131	रोलिंग पिन	लकड़ी

132	विशाल लकड़ी के आकार	लकड़ी
133	चल संख्या सेट	वुड, चुंबकीय
134	चेन लाइक्स (बेलन आकार)	प्लास्टिक
135	चेन लाइक्स	प्लास्टिक
136	जिगसा डे पजल	लकड़ी
137	जिगसा मन्थ पजल	लकड़ी
138	चुंबकीय मछली	लकड़ी
139	थेरापुटी मिट्टी	थेरेपीयूटी
140	मिट्टी की मोहर	वुड
141	जेंडर टॉय	बॉय एण्ड गर्ल
142	बागवानी सेट	कलरफुल मद (7 पीस)
143	हिल ब्रश	स्मॉबल साइज
144	पक्षियों की मेरी पहली किताब जानवरों की मेरी पहली किताब सब्जियों की मेरी पहली किताब संख्याओं की मेरी पहली पुस्तक फलों की मेरी पहली किताब	किताबें
145	पुस्तकों : एलकेजी प्राथमिक अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा में गाया जाता है सभी एक में – अवधि 1 सभी एक में– अवधि 2	किताबें

	सभी एक में – अवधि –3	
146	पुस्तकों : यूकेजी क्षेत्रीय भाषा पुस्तकें सभी एक पद में 1 सभी एक पद में 2 सभी एक पद में 3	किताबें

योग इकाई

क्र.सं.	मद का नाम
1.	योग मैट
2.	योग पट्टियाँ
3.	बोल्स्टर
4.	हवाई योग स्विंग

व्यायामशाला / खेल इकाई

क्र.सं.	मद का नाम
1.	कूदने की रस्सी
2.	हैंड टिश्यूज

3.	हैंड सैनिटाइजर
4.	गेंद बल्ला सेट/क्रिकेट सेट
5.	फुटबॉल
6.	टेबल टेनिस
7.	हुल्ला हूप
8.	कैरम बोर्ड
9.	वॉली बॉल
10.	बास्केट बॉल
11.	टेक्टाइल (स्पर्श)
12.	डम्बल (विभिन्न वजन)
13.	बाउंस बैक पंचिंग बैग
14.	बच्चों के लिए निंजा वर्रियर बाधा कोर्स
15.	जिमनास्टिक दीवार बच्चों के खेल
16.	स्टेटिक साइकलिंग
17.	ट्रेडमिल
18.	थेरा–बैंड
19.	वजन कफ (विभिन्न वजन)
20.	जिम बॉल्स (विभिन्न आकार)
22.	मेडिसिन बॉल
23.	रोइंग मशीन
24.	बैडमिंटन
25.	बोसु बॉल
26.	परिवर्तनीय वजन के साथ वजन छड
27.	पुल–अप बार्स

संगीत इकाई

क्र.सं.	मद का नाम
1.	संगीत ड्रम
2.	कैसियो
3.	पियानो
4.	वाद्य जैज ड्रम सेट (बहु रंग)
5.	जाइलो–फोन
6.	गिटार
7.	हरमोनियम बाजा
8.	संगीत सयंत्र
9.	संगीतमय बांसुरी
10.	माउथ ऑर्गन
11.	तबला संगीत प्रणाली
12.	सुप्रा ऑरल / नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन

नृत्य इकाई

क्र.सं.	मद का नाम
1.	गीत और प्रकाश के साथ स्टेप–ऑन डांस संगीतमय कालीन (बहु रंग)
2.	स्पीकर सहित म्यूजिक सिस्टम

3.	पूर्ण दीवार दर्पण
4.	डीजे लाइट्स

आईसीटी इकाई

क्र.सं.	मद का नाम
1.	रेडियो सिस्टम को शामिल करना
2.	टेलीविजन
3.	सेलफोन
4.	कंप्यूटर और नेटवर्क (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर)
5.	वाईफाई पहुंच
6.	सभी एक प्रिंटर में

संसाधन कक्ष

क्र.सं.	मद का नाम
1.	रंग भरने वाली किताबें
2.	कहानियां की किताबें
3.	पंचतंत्र की पुस्तकें
4.	दैनिक जीवन की पुस्तकों की गतिविधियाँ
5.	मेज की किताबें
6.	माई बॉडी विलोन्ग टू मी
7.	अंतर पुस्तकें खोजें
8.	कॉमिक्स

9.	हाइजेनिक शिक्षण पुस्तकें
10.	पर्यावरण विज्ञान की किताबें
11.	सामान्य ज्ञान की किताबें
12.	समाचार पत्र (हिंदी और अंग्रेजी)
13.	पत्रिका
14.	सामान्य शैक्षणिक पुस्तकें
15.	ऑडियो सामग्री
16.	ब्रेल सामग्री
17.	बडी प्रिंट बुक सामग्री
18.	उपन्यास
19.	जीवनी

कौशल / व्यावसायिक इकाई

क्र.सं.	मद का नाम
1.	बागवानी
2.	खाना बनाना
3.	चित्रकारी
4.	कला और शिल्प
5.	रेत और मिट्टी मॉडलिंग
6.	संचार कौशल
7.	पशुपालन
8.	कागजी काम
9.	कंप्यूटर कौशल
10.	कपे धोने का कौशल

11.	मधुमक्खी संस्कृति
12.	मशरूम संस्कृति
13.	डेरी फार्मिंग
14.	बेकरी
15.	मुर्गी पालन
16.	मोबाइल रिपेयरिंग
17.	सिलाई और कढाई
18.	बढ़ई का काम

टिप्पणी : उपर्युक्त सूची केवल उदाहरणात्मक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पुनर्वास केन्द्रों और उपस्करों के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण की सामग्री के सटीक प्रकार और प्रकृति तथा सहायता की आवधिकता मामले पर उनके गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। इस शीर्ष सामग्री के तहत सहायता की सीमा को शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री के लिए 60000 रुपये और व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास उपकरणों के लिए 20000 रुपये की सीमा के भीतर विनियमित किया जाएगा।

अनुबंध–I

जीएफआर 12 – ए

[(नियम 238 (1) देखें]

आवर्ती / गैर–आवर्ती के संबंध में वर्ष ..... के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र

अनुदान–सहायता / वेतन / पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन

1. योजना का नाम.....
2. आवर्ती या गैर–आवर्ती अनुदान.....
3. वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
(i) नकदी हाथ में / बैंक
(ii) असमायोजित अग्रिम
(iii) कुल

4. प्राप्त अनुदानों, किए गए व्यय और समापन शेष राशि का विवरण : (वास्तविक)

प्राप्त वर्षों में अनुदान के अव्ययित शेष [क्र.सं. 3 (iii) में जैसा कि दर्शाया गया है]	उस पर अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध निधि (1+2-3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5–6)
1	2	3	4			5	6	7
			स्वीकृत सं. (i)	दिनांक (ii)	राशि (iii)			

अनुदान का घटकवार उपयोग किया गया :

सहायता अनुदान– सामान्य	सहायता अनुदान– वेतन	सहायता–अनुदान– पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	कुल

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

(i) नकदी हाथ में / बैंक

(ii) असमायोजित अग्रिम

(iii) कुल

प्रमाणित किया गया है कि मैंने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किए गए थे, उन्हें विधिवत रूप से पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का उपयोग वास्तव में उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी :

(i) मुख्य लेखे और अन्य सहायक लेखे और रजिस्टर (परिसंपत्तियों के रजिस्टरों सहित) का अनुरक्षण संगत अधिनियम/नियमों/स्थायी अनुदेशों (अधिनियम/नियमों का उल्लेख करें) में यथा निर्धारित किया गया है और नामित लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों/लेखों में उल्लिखित लेखा परीक्षित आंकडों के साथ उपर्युक्त आंकड़े दर्शाए गए हैं।

(ii) सार्वजनिक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वित्तीय आदानों के विरुद्ध भौतिक लक्ष्यों के परिणामों और उपलब्धियों को देखने, परिसंपत्ति निर्माण आदि में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।

(iii) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में, ऐसा कोई भी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियमों / स्थायी निर्देशों और योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है।

(iv) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट शब्दों में सौंपा गया है और प्रकृति में सामान्य नहीं है।

(v) लक्षित लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए गए थे और केवल ऐसे क्षेत्रों/जिलों को शामिल किया गया था जहां योजना को संचालित करने का विचार था।

(vi) योजना के दिशा–निर्देशों और सहायता अनुदानों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार योजना के विभिन्न घटकों पर व्यय प्राधिकृत अनुपात में था।

(vii) यह सुनिश्चित किया गया है कि (योजना का नाम), के तहत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों में यथा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्राप्त निष्पादन/लक्ष्य विवरण जिसके निधि के उपयोग से अनुबंध–I में परिणाम दिए गए हैं विधिवत रूप से संलग्न है।

(viii) निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप अनुबंध–II में दिए गए परिणाम विधिवत रूप से संलग्न किए गए हैं (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाने के लिए)।

(ix) एक ही मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायता अनुदान के माध्यम से एजेंसी द्वारा निष्पादित की गई विभिन्न योजनाओं के ब्यौरे अनुबंध–II (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाने वाले) पर दिया गया है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम .....
संगठन के प्रमुख
हस्ताक्षर

नाम .....
मुख्य वित्त अधिकारी
(वित्तीय प्रमुख)

(जो लागू न हो उसे काट दें)

अनुबंध–II

प्रपत्र–II

योजना का नाम–डीडीआरएस

नियोजित कर्मचारियों का विवरण

i. संगठन का नाम :–

ii. परियोजना का नाम और पताः–

iii. अनुदान का परियोजना वर्षः–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पता	शैक्षिक योग्यता	अनुभव	नियुक्ति की तारीख और अवधि जिसके लिए वर्ष के दौरान नियोजित किया गया है	प्रति माह मानदेय	आधार संख्या	आधार सीडेड बैंक खाता संख्या	आईएफएससी कोड	शैक्षिक योग्यता अपलोड करें	आधार कार्ड अपलोड करें	टिप्पणियां

टिप्पणी :

1. यदि कर्मियों की सेवाओं का उपयोग एक से अधिक परियोजनाओं के लिए किया जाता है, तो इसे उपयुक्त रूप से सामने लाया जा सकता है।

2. यह पुष्टि की जाए कि मानदेय से संबंधित योजना/लागत मानदंडों के प्रावधानों को एक नोट के माध्यम से नियोजित मानव संसाधन कर्मियों को अवगत करा दिया गया है।

हस्ताक्षर /महासचिव / महासचिव

पीआईए का नाम

अनुबंध–III

फार्म–III

योजना का नाम – डीडीआरएस

परियोजना .....

लाभार्थियों की सूची

(i) संगठन का नामः

(i) परियोजना का नाम और पताः

(ii) वर्षः

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	पिता / माता / अभिभावक का नाम	लाभार्थी का पत्राचार हेतु पता	जन्म तिथि	लिंग (जेंडर)	दिव्यांगता का प्रकार	दिव्यांगता की गंभीरता का प्रतिशत आयु	आवासीय / गैर–आवासीय	संस्था में प्रवेश की तिथि	यूडीआईडी संख्या	आधार संख्या	माता–पिता / परिवार की वार्षिक आय	आधार सीडेड बैंक खाता संख्या (या तो लाभार्थी या माता–पिता या अभिभावक के नाम पर)	आईएफएससी कोड	दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करें	आधार कार्ड अपलोड करें	टिप्पणियां
1																	
2																	
3																	

टिप्पणीः

क) सूची में उन सभी लाभार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए जो पिछले वित्त वर्ष में किसी भी भाग के लिए संस्था के साथ थे। कुल संख्या का मिलान सभी आवेदन के साथ करना चाहिए।

ख) प्रत्येक सूची की पहचान के लिए अलग–अलग गतिविधि होनी चाहिए या जहां तक संभव हो, परियोजना की गतिविधि / घटक के साथ लाभार्थी की पहचान की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

ग) सूची में लाभार्थियों की आयु के बढ़ते क्रम में अर्थात कमआयु के लाभार्थी को सूची में पहले स्थान पर रखना चाहिए।

हस्ताक्षर /

सचिव / महासचिव

पीआईए का नाम

फार्म–**IV**

योजना/परियोजना का नामः————————————————————————

संगठन के पदाधिकारियों/प्रबंध समिति का विवरण

i. संगठन का नामः

ii. परियोजना का नाम और पताः

iii. अनुदान का वर्षः

क्र.सं.	नाम	व्यवसाय	पता	दूरभाष सं.	शैक्षिक योग्यता	अनुभव	टिप्पणी
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

टिप्पणीः (i) जिस अवधि तक उपरोक्त प्रबंधन समिति मान्य होगी, उसे इंगित किया जाए और इसकी पुष्टि की जाए कि इसका गठन कानूनी रूप से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है। यदि उपरोक्त में से कोई भी सदस्य मंत्रालय से सहायता प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन में पदाधिकारी है, तो उसे उचित रूप से इंगित किया जाए।

हस्ताक्षरित/

सचिव/सामान्य सचिव

पीआई का नाम

अनुबंध– **V**

नई परियोजनाओं और नियमित परियोजनाओं के लिए बजट अनुमान / मानकीकृत गणना पत्रक
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
संगठन का नामः .....
वह उद्देश्य जिसके लिए अनुदान का अनुरोध किया गया थाः .....

लाभार्थियों की संख्या		पिछलाा वर्ष		वर्तमान वर्ष		आवर्ती / गैर–आवर्ती		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. सं.	पद का नाम/ लागत मद	पिछले वर्ष मानदेय राशि (कुल)	स्वीकार्य अनुदान प्रति माह	पदों / मदों / लाभार्थियों की संख्या (वर्तमान वर्ष)	क्या दरें मानकों के अनुसार हैं	क्या कर्मचारी योग्य हैं या नहीं	एनजीओ /राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित अनुदान (वर्तमान वर्ष)	वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत किए जाने के लिए (पी.ए.)
1								
2								

कुल .....

90 प्रतिशत .....

प्रथम किस्त .....

अव्ययित शेष .....

द्वितीय और अंतिम किस्त .....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नामः

पदः पताः

दिनांकः

कार्यालय मुहरः

i. आवर्ती और गैर–आवर्ती अनुदान के लिए पृथक शीट उपयोग किया जाएगा।

ii. प्रत्येक परियोजना के लिए अलग शीट का उपयोग किया जाएगा।

अनुबंध– **VI**

.....में..... परियोजना के संबंध में वर्ष के दौरान संगठन द्वारा किए गए व्यय का लेखा परीक्षित मदवार/पदवार विवरण ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

क्र. सं.	पद / मद	विभाग के स्वीकृति आदेश में दिखाए गए अनुसार कुल स्वीकार्य राशि [100%] (रू.)	स्वीकृत राशि (रु.) कॉलम 3 में दिखाई गई स्वीकार्य राशि का [90%/ 100%]	कॉलम 4 में यथा मंजूर की गई राशि में से संगठन द्वारा व्यय की गई राशि (रु.)	संगठन द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से व्यय की गई राशि (रु.)	संगठन द्वारा व्यय की गई कुल राशि (रु.) (कॉलम 5 + 6)	अभ्युक्तियां यदि कोई हो (अधिशेष राशि / कमव्यय) रुपये में
1	2	3	4	5	6	7	8

अध्यक्ष / सचिव का हस्ताक्षर, दिनांक सहित
नाम, हस्ताक्षर, तिथि के साथ

संगठन का नाम, हस्ताक्षर, दिनांक सहित मुहर
और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सील

नोट :

(i) प्रथम किस्त के समय व्यय विवरण का अपरीक्षित मद–वार पदवार ब्यौरा प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ii) द्वितीय किस्त के समय व्यय विवरण का परीक्षित मद–वार पदवार ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना होता है।

अनुबंध– VII

सरकारी अनुदानों से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अधिग्रहित परिसंपत्तियां अनुदानग्राही संस्था द्वारा रखा जा रहा रजिस्टर

.....

दूसरी किस्त के समय लेखा परीक्षित मदवार/खर्च के बाद के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं।

1. क्रम संख्या।
2. अनुदान ग्राही संस्था का नाम
3. स्वीकृति की संख्या और तारीख
4. स्वीकृत अनुदान की राशि
5. इस अनुदान का संक्षिप्त प्रयोजन
6. क्या स्वीकृत की गई अनुदान सहायता में, अनुदान से अर्जित संपत्ति अथवा अन्य में परिसंपत्तियों में सरकार के स्वामित्व के अधिकार के संबंध में कोई शर्त शामिल की गई थी।
7. वास्तविक रूप से जमा या अधिग्रहित परिसंपत्तियों का विवरण
8. वर्तमान स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों का मूल्य
9. वर्तमान में जिस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया
10. भार ग्रस्त है या नहीं
11. यदि भार ग्रस्त है तो इसके कारण
12. निपटान हुआ (विक्रय हुआ) या नहीं
13. कारण एवं प्राधिकार, यदि कोई हो,
14. विक्रय से प्राप्त राशि
15. टिप्पणी

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षरः सचिव / अध्यक्ष का नामः संगठन की मुहरः

नोटः यदि पिछले वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो, तो निम्नलिखित विवरण के साथ पिछले वर्ष के विवरण की एक फोटो प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए। "वर्ष .....से कोई परिवर्तन नहीं"

अनुबंध– VIII

(––––––पीआईए का नाम और पता ––––)

संकल्प

सं.: .....

संकल्प तारीख: .....

श्री / श्रीमती– ..... (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम), ...(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम) और / अथवा "श्री / श्रीमती.....(प्राधिकृत वैकल्पिक हस्ताक्षरकर्ता यदि कोई हो, का नाम), ...(प्राधिकृत वैकल्पिक हस्ताक्षरी का पदनाम), एतद्वारा, इस पीआईए की ओर से उपयोग प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने सहित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ सभी पत्राचार करने के लिए प्राधिकृत है।

क्र.सं.	नाम	प्रबंधन / कार्यकारी समिति का पदनाम	हस्ताक्षर
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

अनुबंध– IX

(20/– रुपये के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना)

बंधपत्र

इन बंधपत्र द्वारा सभी उपस्थित व्यक्तियों को यह विदित हो कि .....राज्य में..... ..... कार्यालय में पंजीकरण संख्या ..... दिनांक..... द्वारा ..... (पंजीकरण प्राधिकरण का नाम एवं पूर्ण पता).....के कार्यालय द्वारा पंजीकृत किए जाने पर समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत .....(**पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार संगठन का नाम**) संस्था के रूप में हम **(यहां इसके पश्चात बाध्यकार/बाध्यताधारी कहा गया**) मांग किए जाने पर अविलंब रूप से भारत के राष्ट्रपति (**यहां इसके पश्चात सरकार कहा गया**) को सही वास्तविक रूप से भुगतान की जाने वाली .....रू. की राशि (केवल.....रु. शब्दों में) सहित इस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से इस पर ब्याज के लिए धारित और दृढ़ता पूर्वक बाध्य हैं। जिसका भुगतान करने के लिए हम इस बंधपत्र के द्वारा स्वयं एवं अपने उत्तराधिकारियों तथा नियुक्त व्यक्तियों का बाध्य करते हैं।

2. वर्ष दो हजार ..... में ..... माह.....के .....दिन को हस्ताक्षरित.....

3. जबकि बाध्यताकारीगणों ने अपने पत्र संख्या.....दिनांक.....(एनजीओ को अग्रेषित पत्र की संख्या और तारीख लिखें) द्वारा.....रू. के अनुदान के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से सरकार को 10,000 करोड़ रुपये के अनुदान के लिए एक अनुरोध प्रस्ताव भेजा है। बाध्यताकारी इस बांड को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पक्ष में, 10,000 रुपये की पूरी राशि के लिए अग्रिम रूप से निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं जैसा कि सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में अनुरोध किया गया है। बाध्यताकारी प्रस्तावित राशि या सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत किसी अन्य राशि को स्वीकार करने का इच्छुक है। बाध्यकर्ता इस अनुबंध के साथ प्रस्तावित राशि का बंधपत्र निष्पादित करने का इच्छुक है कि बाध्यताकारी इस राशि तक या सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत वास्तविक राशि, तक, जो भी कमहो, के लिए बाध्य होंगे। बाध्यताकारी सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले "स्वीकृति पत्र" में उल्लिखित सभी निबंधन एवं शर्तें स्वीकार करने का भी इच्छुक है।

4. अब उक्त लिखित दायित्व की शर्त ऐसी है कि यदि बाध्यताकारीगण स्वीकृति पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को विधिवत रूप से पूर्ण और अनुपालन करते हैं तब उक्त लिखित बंधपत्र निरस्त और अप्रभावी होंगे। अन्यथा यह पूरी सख्ती एवं भावना में कायम रहेगा। यदि अनुदान का कोई भाग उस अवधि की समाप्ति के बाद अव्ययित शेष है, जिसमें यह व्ययित किया जाना आवश्यक है, तो बाध्यताकारीण 10%

(दस प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित अव्ययित शेष को लौटाने के लिए सहमत हैं, जब तक कि इसे अगले वित्त वर्ष के लिए ले जाने की स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा सहमति नहीं दे दी जाती है। इस पर अर्जित ब्याज सहित अनुदान राशि वापस लौटाई जाएगी।

5. समिति / न्यास सहमत है और सरकार को ऐसे सभी आर्थिक या अन्य लाभों के मौद्रिक मूल्य को लौटाने / भुगतान करने करने के लिए सहमत एवं वचनबद्ध है जो यह प्राप्त या व्युत्पन्न कर सकती है। संपत्ति / भवन के अनाधिकृत प्रयोग के माध्यम से / द्वारा प्राप्त या व्युत्पन्न की हैं (जैसे कि पर्याप्त या अपर्याप्त प्रतिफल की अपेक्षा कमप्रतिफल पर परिसर किराए पर देना या अनुदान जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए परिसर का प्रयोग) सरकारी अनुदान में से अत्यधिक सृजित / अर्जित / निर्मित अन्य संपत्ति सरकार को लौटाए/भुगतान की जानी उपर्युक्त उल्लिखित आर्थिक कीमत से संबंधित सभी मामलों के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव या संबंधित विभाग के प्रशासनिक प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं समिति / न्यास पर बाध्यकारी होगा।

6. अनुदानग्राही कार्यकारी समिति के सदस्य

क. स्वीकृति पत्र में निहित की गई लक्षित तारीखों तारीखों तक सहायता अनुदान की शर्तों का पालन करेगा, और

ख. अनुदान को वापस नहीं करना या योजना या संबंधित कार्य के निष्पादन को अन्य संस्था (एस) या संगठन (एस) को सौंपना, और

ग. सहायता अनुदान को अभिशासित करने वाले करार में निर्दिष्ट अन्य किसी शर्तों का पालन करेगा।

अनुदानग्राही द्वारा बंधपत्र की शर्तों का अनुपालन न करने या शर्तों को तोड़ने के माले में, बंध पत्र के हस्ताक्षरकर्ता संपूर्ण या अनुदान की शेष राशि इस पर 10% प्रति वर्ष की दर ब्याज सहित भारत के राष्ट्रपति, ब्याज को वापस करने के लिए संयुक्त रूप से एवं प्रमुख रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. यहां उपस्थित व्यक्ति इसके भी साक्षी हैं कि

i. यदि स्वीकृति पत्र में उल्लिखित किन्ही निबंधन एवं शर्तों को तोड़ा या उल्लंघन किया जाता है तो इस मामले में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव का निर्णय अंतिम और बाध्यकारीगणों पर बाध्यकर होगा, और

ii. इस बंधपत्र पर संदेय स्टांप शुल्क सरकार वहन करेगी, लागत अनुदान से समायोजित की जा सकती है।

बाध्यकारीगणों की ओर से और बाध्यकारीगणों के शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प नीचे दिए अनुसार जिनकी उपस्थिति में यह लेख निष्पादित किया गया है ..... दिनांक * ..... क * अनुसरण में यह उपर्युक्त लिखित दिन को जिसकी एक प्रति **अनुबंध ख** के रूप में यहां भी संलग्न की गई है।

(————————————————)

के लिए ओर की ओर से हस्ताक्षरित **.....

अनुदानग्राही के हस्ताक्षर ***

(पंजीकरण अनुसार बाध्यकारी संस्था का नाम)
पूर्ण डाक पता.....

दूरभाष नंबर/मोबाइल नंबर.....

ई–मेल पता (यदि उपलब्ध हो) .....

फैक्स नंबर .....

(की उपस्थिति में) साक्षी का नाम, पता एवं हस्ताक्षर

1. संस्थान का पंजीकरण संख्या

————————————————————————————

2. पंजीकरण की तिथि ————————————————————

3. पंजीकरण प्राधिकरण (आरए): ————————————

4. आरए के दूरभाष नंबर / ईमेल, आदि

————————————————————————————

(i)

(ii)

(हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एक के लिए स्वीकार किया गया

पदनाम

दिनांक

नाम और पता

* प्रबंधन/कार्यकारी समिति के संकल्प की संख्या और तारीख जिसके तहत संगठन ने अपने बंधपत्र को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया है।

** पीआईए का नाम

*** ऐसा बंधपत्र हस्ताक्षर करने के लिए पीआईए के संकल्प द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

अनुबंध– X

सहायता अनुदान/निधियां सीधे ही संगठन के बैंक खाते में भेजने के लिए प्राधिकार पत्र

मैं/हम ..... (संस्था/सोसायटी/संगठन का नाम) केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिरकण विभाग, भारत सरकार द्वारा संवितरित अनुदान सहायता इलेक्ट्रॉनिक अंतरण पद्धति के माध्यम से को सीधे ही सोसायटी/संस्था/संगठन इत्यादि के बैंक खाते में प्राप्त करना चाहूँगा/चाहेंगें। इसका विवरण निम्नानुसार है–

आदाता का विवरण							**बैंक विवरण**						
बैंक खाते में आदाता का नाम	पता	जिला	पिन कोड	राज्य	मोबाइल नंबर (जैसा कि पीआईए–दर्पण पोर्टल में दिया गया है)	ईमेल पता (जैसा कि पीआईए–दर्पण पोर्टल में बताया गया है)	बैंक का नाम	बैंक शाखा (पूरा पता और दूरभाष सं.)	बैंक खाता सं.	खाते का प्रकार	उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक अंतरण पद्धति माध्यम	आईए फएस सी कोड	एमआई सीआर कोड

मेरे द्वारा खाता सत्यापित किया गया है (प्रबधंक)	संगठन का नाम : ..... पंजीकरण सं. और तारीखः ...../ प्राधिकरण और पंजीकरण का स्थानः .....

(खाता का रख–रखाव करने वाली बैंक शाखा) (मोहर)	..... दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण सं. और तारीखः ..... पीआईए–दर्पण की विशिष्ट पहचान पत्र : ..... टिन / टैन / पैन नं.(पैन नंबर अनिवार्य): ..... मैं संगठन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम).....(हस्ताक्षर).....के रूप में प्रमाणित करता हूं कि संगठन द्वारा ऊपर दी गई जानकारी पीआईए–दर्पण पोर्टल पर प्रदान की गई जानकारी के साथ संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के अनुरूप है।

अनुबंध– **XI**

स्वीकृति के नियमों और शर्तों की स्वीकृति

संदर्भ संख्या.

दिनांक

सेवा में,

अवर सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(डीडी–II/V अनुभाग) 5वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

विषयः .....शीर्षक परियोजना हेतु वर्ष..... के लिए सहायता अनुदान के संबंध में।

हम एतद्द्वारा यह पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त विषय पर दिनांक.....के स्वीकृति पत्र सं ..... में निहित निबंधन एवं शर्तें संगठन को स्वीकार्य हैं और वह उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

भवदीय,

दिनांक नाम और पदनाम के साथ हस्ताक्षर

रबर की मुहर के साथ पीआईए का नाम

अनुबंध–XII

मानदेय के लिए योग्यता और लागत सीमा (आवर्ती व्यय) के साथ मानव संसाधन कार्मिकों का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	संशोधित प्रस्तावित योग्यता और अनुभव	मानदेय (राशि रुपये में)
1	परियोजना निदेशक / समन्वयक	किसी भी आरसीआई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में पीजी / डिग्री 3 साल का पद योग्यता अनुभव	28750
2	मेडिकल डॉक्टर (बाल रोग विशेषज्ञ / मनोचिकित्सक / ईएनटी विशेषज्ञ / न्यूरोलॉजिस्ट / ऑर्थोपेडिक सर्जन / आदि)	विशेषज्ञता के क्षेत्र में एमडी या पीजी डिप्लोमा	20500
3	नर्स	नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा	9500
4	ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट	बीओटी	20500
5	फिजियोथैरेपिस्ट	बीपीटी	20500
6	ऑर्थोटिस्ट / प्रोस्थेटिस्ट	5 साल के अनुभव के साथ बीपीओ या डीपीओ	14500
7	ऑडियोलॉजिस्ट / एंड स्पीरच थेरेपिस्टस*	बीएएसएलपी	20500
8	स्पीसच एंड हियरिंग तकनीशियन #	2 साल के अनुभव के साथ डीएचएलएस	14500
9	स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन #	डीएचएलएस	9500
10	ईयर–मोल्ड तकनीशियन	डी.एच.ए.आर.ई.एम.टी. कोर्स	8250
11	क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्टस / रिहैबिटिलेशन	क्लिनिकल फिजियोलॉजी में एम. फिल / रिहैबिटिलेशन फिजियोलॉजी में एम. फिल	20500

	फिजियोलॉजिस्ट		
12	जूनियर फिजियोलॉजिस्ट	पीजीडीआरपी या पीडीसीपी	14500
13	हाउसकीपर (मानसिक रोगी के लिए हॉफ वे होम के लिए)	कक्षा 10+ सीसीसीजी सीनियर या सीसीसीजी जूनियर 3 वर्ष के अनुभव के साथ	7500
14	घर आधारित पुनर्वास / प्रबंधन कार्यक्रम के लिए पर्यवेक्षक	स्नातक + आरसीआई पंजीकृत पेशेवर (बी.एड. स्पे.ई.एड.) आईडी / एमडी में विशेषज्ञता	17250
15	प्राधानाचार्य / माध्यमिक के हेडमास्टर / मिडिल स्कूल	बी.एड विशेष शिक्षा / डी.एड.स्पे(शल.एड के साथ पीजी में आठ साल का अनुभव होना चाहिए	20500
16	विशेष शिक्षक (टीजीटी) / कौशल शिक्षक	बी.एड विशेष शिक्षा / पीजीएपीडीएसई / पीजीपीसीएसई के साथ स्नातक	17250
17	विशेष शिक्षक (पीआरटी)	डीईडीएसई / डीईसीएसई के साथ 10+2	14500
18	संगीत शिक्षक	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा	9500
19	नृत्य शिक्षक	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा	9500
20	शिल्प शिक्षक	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा	9500
21	ड्राइंग शिक्षक	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा	9500
22	योग प्रशिक्षक / शिक्षक	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा	9500
23	सोशल वर्कर	एम.ए. (एसडब्यू डीएस) / एम.आर.एससी. / पीजीडीडीआरएम या 2 साल के अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएसडब्यूर्य	14500
24	ग्रामीण पुनर्वास कार्मिक / स्वायंसेवक / सीबीआर कर्मचारी	डीसीबीआर / सीबीआईडी / पीजीडीसीबीआर या एमएसडब्यूनर (आरसीआई मान्यता प्राप्त)	9500
25	संपादक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और	14500

		पत्रकारिता में डिप्लोमा	
26	फोरमैन	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा और पर्यवेक्षण और अनुरक्षण में अनुभव	14500
27	वोकेशनल काउंसलर	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और डिप्लोरमा इन काउंसिलिंग / एडीसीजीसी / बी.आर. एससी में डिप्लोमा	14500
28	किसी भी व्यापार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षक (ऑकेशनल इंस्ट्रक्टर)	संबंधित व्यापार में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	9500
29	बुक बाइंडर	संबंधित व्यापार में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	9500
30	कम्पोजर	संबंधित व्यापार में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	9500
31	प्रूफ रीडर	संबंधित व्यापार में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	9500
32	प्रतिलिपि धारक (कॉपी होल्डर)	संबंधित व्यापार में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	9500
33	मशीन ऑपरेटर	संबंधित व्यापार में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	9500
34	मानचित्रकार	संबंधित व्यापार में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	9500
35	ट्रेडल मैन	संबंधित व्यापार में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	7500
36	पैकर	संबंधित व्यापार में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	6750
37	अर्ली इंटरवेंशन थैरेपिस्ट	2 साल के अनुभव के साथ दिव्यांयगता संबंधी अध्ययन में एम.एससी या 2 वर्ष के अनुभव के साथ पीजीडीईआई	17250
38	सुपरवाईजर / ऑफिस इंचार्ज	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बीआरएस या एमडीआरए से स्नातक और पुनर्वास परियोजना प्रशासन मामलों, लेखांकन, बजट आदि के सुपर विजन में अनुभव।	13000

39	वार्डन	संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा (हाउस कीपिंग)	13000
40	वार्डन (यदि मौजूदा कर्मचारी अतिरिक्त काम कर रहे हैं)		2500
41	कार्यालय सहायक सह टाइपिस्ट / डेटा एंट्री ऑपरेटर		8750
42	लेखाकार	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ 10+2	8750
43	रसोइया	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.काम और अधिमानतः 2 वर्ष का अनुभव	6250
44	प्यून / आया / हेल्पजर / केयर गिवर / अटेंडेंट	खाना पकाने में अनुभव	6250
45	क्लीनर कमप्यून	कक्षा 8	6250
46	चौकीदार/वॉचमैन	शून्य	6250
47	डॉक्टर (विभिन्न विशिष्टताएं) (प्रति यात्रा)	शून्य	850 प्रति यात्रा
48	निम्न दृष्टि	विशेषज्ञता के क्षेत्र में एम.डी या पी.जी डिप्लोमा	8750

टिप्पणी

क. ऊपर विहित योग्यता न्यूनतम वांछित योग्यता हैं और आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यताओं के संदर्भ में पढ़ा और इसकी व्याख्या की जानी चाहिए।

ख. मानव संसाधन कार्मिक, गैर–सरकारी संगठनों के कर्मचारी हैं न कि भारत सरकार के संगठन अपने स्वयं के स्रोत से उच्चतर मानदेय देने के लिए स्वतंत्र हैं और इस योजना के तहत मंत्रालय का निधियन उपर्युक्त ऊपरी सीमा से अधिक नहीं हो सकता है। संसाधन कर्मियों को नियुक्त करते समय यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए। यदि सहायता अनुदान बंद हो जाता है, तो डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई, भारत सरकार को पीआईए द्वारा भर्ती किए गए लोगों को भुगतान किए

जाने वाले मानदेय के मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। पूरी तरह से जिम्मेदारी मॉडल परियोजना के पीआईए की होगी।

ग. इस योजना का मूल सिद्धांत स्वैच्छिक कार्रवाई है और इस योजना के अंतर्गत योग्यता अनुपालन के संदर्भ में अथवा अपेक्षाओं हेतु कहीं और भुगतान की जा रही राशि के बराबर राशि हेतु दावा करने में किसी भी रीति में इसके आधार के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। संसाधन कार्मिक को नियुक्त करने के समय यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए।

घ. परिभाषित मानकों के एक सेट के लिए, अनुबंध के इस भाग में पदों को सूचीबद्ध करना, इस अनुबंध में दी गई प्रमुख गतिविधियों के लिए किसी भी परियोजना प्रोफाइल के अंतर्गत पद के निधियन के लिए स्वतः अर्हक नहीं बनाता है और इन परियोजना प्रोफाइलों को ध्यान में रखते हुए, सहायता की सीमा विनियमित की जाएगी। प्रत्येक पद के लिए निधियन, गुणदोषों के आधार पर और किसी विशिष्ट परियोजना प्रोफाइल के प्रति लाभार्थी आदर्श लागत को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

ङ. पुनर्वास सेवाओं से संबंधित कई पद जैसे भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपी), वाक् चिकित्सक (स्पीच थेरेपिस्ट) इत्यादि दिए गए हैं परंतु ये सेवाएं अधिमानतः अंशकालिक आधार पर ली जानी चाहिए।

अनुबंध -XIII

मानदेय के अलावा अन्य आवर्ती मदों के लिए लागत सीमा

क्र. सं.	मद	मात्रा	मानदंड	दरों की सीमा (रुपये में)/ मानदंड
1.	किराया (मॉडल परियोजना II, III, IV और V के तहत)	प्रति माह	क श्रेणी का शहर	50000
			ख श्रेणी का शहर	35000
			ग श्रेणी का शहर	25000
2.	किराया (मॉडल परियोजना I, VII और VIII के तहत)	प्रति माह	क श्रेणी का शहर	35000
			ख श्रेणी का शहर	27500
			ग श्रेणी का शहर	17500
3.	किराया (मॉडल परियोजना VI के तहत)	प्रति माह	क श्रेणी का शहर	37500
			ख श्रेणी का शहर	25000
			ग श्रेणी का शहर	18750
4.	भवन अनुरक्षण	प्रति माह	i. भवन लागत का 2% ii. रु. 70000	विकल्प i और ii का कमहोना।
5.	परिवहन भत्ता	प्रति माह प्रति लाभार्थी	क श्रेणी का शहर	1000
			ख श्रेणी का शहर	875
			ग श्रेणी का शहर	625
6.	आकस्मिकता व्यय (मॉडल परियोजना II, III, IV, V और VI के तहत)	–	-	4000

7.	आकस्मिकता व्यय (मॉडल परियोजना I, VII और VIII के तहत)	प्रति माह प्रति लाभार्थी	-	1750
8.	स्टाइपेंड / छात्रावास अनुरक्षण (मॉडल परियोजनाओं II, III, IV, V और VI के तहत)	प्रति माह प्रति लाभार्थी	आवासीय गैर–आवासीय	2125 500
9.	छात्रावास का रखरखाव (मॉडल परियोजना VI के तहत)	प्रति माह प्रति लाभार्थी	आवासीय	1250
10.	कच्चा माल *(50 लाभार्थियों के लिए वीटीसी के लिए 100000 रुपये प्रति वर्ष। इसके बाद अगले 20 लाभार्थियों के लिए 20000 रुपये अधिकतम 2 लाख रुपये तक)	प्रति वर्ष प्रति ट्रेड	-	100000 (50 लाभार्थियों के लिए)
11.	संसाधन कक्ष / पुस्तकालय	प्रति वर्ष		10000 (पहली बार) / 5000 (बाद के वर्षों में)
12.	विशेष शिक्षण और अधिगम सामग्री	प्रति वर्ष		60000
13.	कानूनी सहायता (वकील की फीस सहित अदालत का खर्च)	प्रति मामला	-	22500

** स्वीकृत सहायता राशि लाभार्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी।*

अनुबंध -XIV

गैर–आवर्ती मदों के लिए लागत सीमा

क्र. सं.	मद	दरों की सीमा (रुपये में)
1.	कंप्यूटर हार्डवेयर और सहायक उपकरण	50000
2.	विशेष सॉफ्टवेयर	60000 (वास्तविक लागत के अधीन होगा **)
3.	कलर टीवी (1 टीवी)	10000
4.	पुस्तकें (2 साल में एक बार)	15000
5.	शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री और उपकरण (50 लाभार्थियों के लिए)	60000
6.	व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए ट्रेड विशिष्ट उपकरण (150 लाभार्थियों के लिए)	200000
7.	खेल उपकरण / अनुकूलित खेल उपकरण / खिलौने और खेलने के उपकरण (50 लाभार्थियों के लिए)	10000
8.	चिकित्सा और प्रयोगशाला शुल्क	25000
9.	आवासीय परियोजनाओं में रसोई उपकरण / बर्तन (3 वर्ष में एक बार 100 लाभार्थियों के लिए)	20000

** दिव्यांगजनों के लिए अब विशेष सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, उदाहरण के लिए दृष्टि दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए स्क्रीन रीडिंग एस / डब्ल्यू जेएडब्ल्यूएस, प्रमस्तिष्क घात वाले व्यक्तियों के लिए विशेष कीबोर्ड /

एक्सेस तकनीक, श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो फाइल में पाठ रूपांतरण। मॉडल परियोजनाओं की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ तकनीकी समितियों द्वारा प्रत्येक वर्ष दरें निर्धारित की जाएंगी।

अनुबंध -XV

<u>अर्ध–वार्षिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट</u>

योजना का नामः दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना

मॉडल परियोजना का प्रकार : समुदाय आधारित पुनर्वास

छमाही जिससे संबंधित रिपोर्ट हैः अप्रैल–सितंबर / अक्टूबर–मार्च 20––––––

अनुदानग्राही पीआईए का नाम/पताः

परियोजना विवरणः

<u>भाग I: भौतिक और वित्तीय प्रगति</u>

क्र.सं.	योजना के घटक जिसके लिए केंद्रीय सहायता / अनुदान प्राप्त हुआ	भौतिक प्रगति									
		भौतिक प्रगति की इकाई	वित्त वर्ष के दौरान भौतिक प्रगति								
			पूर्व में वित्त वर्ष का छमाही–वर्ष (जहां लागू हो)			रिपोर्ट के तहत छमाही के दौरान			संचयी प्रगति (4+5)		
			पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)		
1.	चिकित्सा मूल्यांकन / थेरेपी	लाभार्थियों की संख्या									
2.	व्यावसायिक प्रशिक्षण / शिक्षा	लाभार्थियों की संख्या									

3.	संवेदीकरण	i. शिविरों की संख्या ii. सत्रों की संख्या iii. परामर्श किए गए दिव्यांगों की संख्या										
	कुल											

टिप्पणीः

1. कवर किए गए ब्लॉक/पंचायतों/गांवों के ब्यौरे भाग–II में दर्शाए जाने चाहिए।

2. समुदाय या शिक्षण प्रणाली में एकीकृत दिव्यांगजनों के विवरण को अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ भाग III में दर्शाया जाना चाहिए।

भाग–II: कवर किए गए ब्लॉक / पंचायतों / गांवों का विवरण (उस जिले का उल्लेख करना जिससे वे संबंधित हैं)

भाग–III: उल्लेखनीय घटनाओं / उपलब्धियों / समस्याओं का विवरण, यदि रिपोर्ट के तहत छमाही वर्ष के दौरान कोई हो

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

पदनामः

दिनांकः

नामः

_____

_____

_____

अनुबंध– XVI

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगताएं:

1. शारीरिक दिव्यांगता–

(अ) गतिविषयक दिव्यांगता (सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसके अंतर्गत–

(क) ''कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है किंतु निम्न लिखित से पीड़ित है–

(i) हाथ या पैरों में संवेदना का ह्रास के साथ–साथ आंख और पलक में संवेदना का ह्रास और आंशिक घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है;

(ii) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(iii) अत्यंत शरीरिक विरूपता के साथ–साथ वृद्ध जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और ''कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्ति'' पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा.

(ख) ''प्रमस्तिष्क घात'' से कोई गैर–प्रगामी तन्त्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के संचलन को और पैशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात् होता है;

(ग) ''बौनापन'' से कोई चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फीट इस इंज (147 से.मी.) या उसके कमरही जाती है।

(घ) ''पेशीयदुष्पोषण'' से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचलित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है;

(ड.) ''तेजाबी आक्रमण पीड़ित'' से तेजाब या समान संक्षारित पदार्थ को फेंककर किए गए हिंसक हमले के कारण विद्रूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(आ) दृष्टिगत ह्रास

(क) ''अंधता'' से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्न लिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है, –

(i) दृष्टि का पुर्णतया अभाव; या

(ii) सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्षणता 3/60 से कमया 10/200 (स्नेकलन) से कम; या

(iii) 10 डिग्री से कमके किसी कोण पर कक्षांतरित दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) ''निम्न दृष्टि'' से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्:–

(i) बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कमसे 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्षणता; या

(ii) 40 डिग्री से कमसे 10 डिग्री तक की कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा;

(ग) ''श्रवण शक्ति का ह्रास''–

(क) ''बधिर''– से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) ''ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति '' से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबिल से 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) ''वाक और भाषा दिव्यांगता'' से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2. ''बौद्धिक दिव्यांगता'' से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कोशलों का रेंज है, जिसके अंतर्गत–

(क) ''विनिर्दिष्टि विद्या दिव्यांगताओं'' से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विद्यमान होती है जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक दिव्यांगता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी है;

(ख) ''स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार'' से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टतः जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे–पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3. मानसिक व्यवहार–

''मानसिक रूग्णता '' से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्कतरण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4. निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता–

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे–

(i) ''बहु–स्केलेरोसिक'' से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ श्रतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक–दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) ''पार्किसन रोग'' से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जो कम्प , पेशी कठोरता ओर धीमा, कठिन संचलन द्वारा चिन्होकिंत होता है जो मुख्यतया मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामई के ह्रास से संबद्ध मध्य आयु ओर वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है।

(ख) रिक्त विकृति–

(i) ''हेमोफीलिया'' से एक आनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरूषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे महिला द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे छोटे से घाव का परिणाम भी घात रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) ''थेलेसीमिया'' से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अभाव है;

(iii) ''सिक्कल कोशिका रोग'' से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं ओर अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है; ''हेमोलेटिक'' लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट' करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5. बहुदिव्यांगता (उपरयुक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट् दिव्यांगताएं) जिसके अंतर्गत बधिरता, अंधता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्त के श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत हैं।

6. कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

अनुबंध -XVII

देश के सीमावर्ती जिलों की सूची (पैरा 3.5.1 में उल्लिखित)

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	बिहार	पश्चिम चम्पारण
		पूर्वी चंपारण
		सीतामढ़ी
		मधुबनी
		सुपौल
		अररिया
		किशनगंज
2	गुजरात	बनास कांठा
3	पंजाब	पठानकोट
		गुरदासपुर
		अमृतसर
		तरनतारन
		फिरोजपुर
		फाजिल्का
4	राजस्थान	गंगानगर
		बीकानेर
		जैसलमेर
		बाड़मेर
5		पीलीभीत

	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर
		बहराइच
		श्रावस्ती
		बलरामपुर
		सिद्धार्थ नगर
		महाराजगंज
6	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग
		जलपाईगुड़ी
		कूच बिहार
		उत्तर दिनाजपुर
		दक्षिण दिनाजपुर
		मालदा
		मुर्शिदाबाद
		नादिया
		उत्तर 24 परगना